


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां
2005 की संख्या - 2



विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय I – कृषि मंत्रालय		
विद्युत की अधिक संविदागत मांग के कारण अतिरिक्त व्यय	1.1	1
अध्याय II - नागर विमानन मंत्रालय		
एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स से गारंटी-शुल्क की अवसूली	2.1	3
अध्याय III- वाणिज्य मंत्रालय		
लेखापरीक्षा के कहने पर अवसंरचना परियोजनाओं के अग्राह्य घटकों पर बचाया गया व्यय	3.1	4
राजस्व की वसूली न होने के कारण हानि	3.2	5
अध्याय IV – संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
डाक विभाग		
संगठनात्मक ढांचा और वित्तीय प्रबन्धन	4.1	7
सेवा कर की गैर वसूली	4.2	11
सावधि जमा खातों को अनियमित ढंग से खोलना	4.3	12
आवर्ती जमा लेखाओं के प्रति अनियमित भुगतान	4.4	13
दूरसंचार विभाग को जारी भण्डारों की लागत की गैर वसूली	4.5	14
निष्क्रिय खातों पर सेवा प्रभारों की कटौती न करना	4.6	15
लोक भविष्य निधि पर ब्याज का अनियमित भुगतान	4.7	16
नियमों का उल्लंघन करके खोले गए खातों पर ब्याज का अनियमित भुगतान	4.8	17
दूरसंचार विभाग		
पृष्ठभूमि	4.9	18
लाइसेंस शुल्क तथा सॉयल्टी प्रभारों की विलम्बित वसूली पर ब्याज की हानि तथा वी सैट प्रणालियों एवं समर्पित रेडियो लिंक के लिए लाइसेंस शुल्क की वसूली न करना	4.10	19

	पैराग्राफ	पृष्ठ
म.टे.नि.लि. मुम्बई से अवकाश वेतन व पेंशन अंशदान के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की गैर वसूली	4.11	21
अध्याय V – संस्कृति मंत्रालय		
आन्तरिक नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप दुर्विनियोजन	5.1	23
अध्याय VI – विदेश मंत्रालय		
मुक्त राजदूत कार्यालय के सृजन पर परिहार्य व्यय	6.1	25
संतान शिक्षा योजना के अन्तर्गत अग्राह्य मदों का अपालन	6.2	27
वेट की वापसी में हानि	6.3	30
चालक की अनियमित नियुक्ति	6.4	31
अनियमित व्यय	6.5	32
आवास को पट्टे पर लेने के कारण अप्राधिकृत और परिहार्य व्यय	6.6	33
फालतू स्टाफ के वेतन तथा भत्तों पर अतिरिक्त व्यय	6.7	35
मनमानी कार्रवाई के कारण निष्फल व्यय	6.8	36
सरकारी धन की हानि	6.9	37
व्यक्तिगत लाभों के लिए शासकीय शक्तियों का दुरुपयोग	6.10	38
खाली आवास पर परिहार्य व्यय	6.11	40
एक महाकांसुल द्वारा अग्रिम का अनुचित अवरोधन	6.12	41
अत्यधिक नकद शेष के अविवेकपूर्ण अवरोधन के कारण ब्याज की आवर्ती हानि	6.13	43
अध्याय VII – वित्त मंत्रालय		
मुम्बई में भा.हो.नि. के होटलों की बिक्री	7.1	46
जनसंचार अभियान पर अप्राधिकृत व्यय	7.2	57
निष्क्रिय निधियां और दाण्डिक ब्याज की कम वसूली	7.3	58
अध्याय VIII – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
टी.बी. निरोधक दवाईयों और एक्स-रे फिल्म के प्रयोग की अवधि की समाप्ति	8.1	61
विद्युत प्रभारों का वसूल न किया जाना	8.2	63
अपात्र कर्मचारियों को रोगी देखभाल भत्ते का अनियमित भुगतान	8.3	64
वाहन भत्ते का अनियमित भुगतान	8.4	65

	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय IX – गृह मंत्रालय		
राज्यों / लो.क्षे.उ. को अनभिप्रेत आर्थिक सहायता	9.1	67
रंगीन फोटोकॉपियर मशीनों की अविवेकपूर्ण खरीद	9.2	72
ठेकेदार को अनियमित भुगतान	9.3	74
अध्याय X – मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
अधिक अनुदानों का जारी करना	10.1	75
अनियमित वित्तीय सहायता	10.2	76
अनुदानों के उपयोग का अपर्याप्त अनुश्रवण	10.3	77
प्रशासनिक उपरि खर्च/सेवा प्रभारों का अनियमित भुगतान	10.4	79
अध्याय XI – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
आन्तरिक नियंत्रण पद्धति/आन्तरिक लेखापरीक्षा की कार्यशीलता	11	81
अध्याय XII – श्रम मंत्रालय		
निधियों का अधिक जारी किया जाना	12.1	89
अध्याय XIII – विद्युत मंत्रालय		
कार्यकारी स्टाफ को पट्टा रिहाइशी आवास के अनियमित प्रावधान के परिणामस्वरूप परिहार्य आवर्ती/ वित्तीय विवक्षा	13.1	90
अध्याय XIV – जहाजरानी मंत्रालय		
शक्ति गुणक सुधारक कैपेसिटर का प्रतिष्ठापन न होने के कारण परिहार्य व्यय	14.1	92
अध्याय XV – पर्यटन मंत्रालय		
मुद्रण पर अपव्यय	15.1	93
अध्याय XVI – जनजातीय कार्य मंत्रालय		
वित्तीय सहायता की अनियमित स्वीकृति	16.1	96
अध्याय XVII – शहरी विकास मंत्रालय		
जमा निर्माण कार्यों के निष्पादन में अनियमितताएं	17.1	98
कार्य के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय	17.2	99
विद्युत शुल्क का अनियमित भुगतान	17.3	101

	पैराग्राफ	पृष्ठ
बकाया किराये की वसूली न करना	17.4	102
निर्धारित कोटे से अधिक आबंटन	17.5	104
अध्याय XVIII – युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय		
अव्ययित अनुदान का अवरोधन	18.1	106
अध्याय XIX – संघ शासित क्षेत्र		
अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन		
जलयान की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय	19.1	108
शेड्स के निर्माण पर निष्फल व्यय	19.2	109
जलयानों पर मल्लाह रखने पर परिहार्य व्यय	19.3	111
अध्याय XX – सामान्य		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति	20.1	113
विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफॉर्मा लेखाओं की स्थिति	20.2	114
बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां तथा अवसूलीयोग्य देय राशि	20.3	116
ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर	20.4	116
परिशिष्ट		
I	मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नवम्बर 2004 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति	119
II	मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नवम्बर 2004 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति	120
III	विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	125
IV	2003-2004 के दौरान बट्टेखाते में डाली गई/छोड़ी गई हानियों तथा अवसूलीयोग्य राशियों का विवरण	129
V	ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर	130

प्राक्कथन


मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां 2005 के प्रतिवेदन संख्या 1 में शामिल की गई हैं। इस प्रतिवेदन में डाक और दूरसंचार विभाग को शामिल करते हुए सिविल मंत्रालयों के लेन-देनों की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले शामिल किए गए हैं।

मंत्रालयों तथा विभागों की कुछ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत मामलों पर प्रतिवेदन संख्या 3 में विचार किया गया है।

संघ सरकार के पृथक प्रतिवेदन : स्वायत्त निकाय (सं.4), वैज्ञानिक विभाग (सं.5), रक्षा-थल सेना तथा आयुध कारखाने (सं.6), वायुसेना तथा नौ-सेना (सं.7), रेलवे (सं.8 और 9), अप्रत्यक्ष कर: सीमा-शुल्क (सं.10), अप्रत्यक्ष कर : केन्द्रीय-उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर (सं.11) तथा प्रत्यक्ष कर (सं.12 और 13) भी संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं, जो कि 2003-04 की अवधि की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। पूर्णता की दृष्टि से, वे मामले, जो पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित हैं परन्तु पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए गए थे, भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार, कुछ मामलों में अप्रैल 2004 के बाद के लेन-देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्ष भी, जहां कहीं उपलब्ध और सुसंगत हैं, उल्लिखित किये गये हैं।



विहंगावलोकन

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में डाक एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को सम्मिलित करते हुए लेनदेन लेखापरीक्षा से प्रकट हुई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के लेखाओं (रेलवे को छोड़कर) पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां 2005 के प्रतिवेदन सं. 1 में समाविष्ट की गई है।

मुक्त राजदूत के कार्यालय के सृजन पर परिहार्य व्यय

विदेश मंत्रालय ने भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा प्रवासी भारतीयों के लिए अगस्त 2001 में राजदूत मुक्त के पद का सृजन किया था। न्यूयार्क में स्थित कार्यालय पांच भारतीय मूल तथा पांच स्थानीय पदों, जिन्हें कोई विशिष्ट एवं पृथक अधिदेश नहीं दिया गया था, के साथ खोला गया था। कार्यालय पर 15.95 करोड़ रु. का व्यय करने के पश्चात् अक्टूबर 2004 में इसे बन्द कर दिया था।

(पैराग्राफ 6.1)

जन संचार अभियान पर अप्राधिकृत व्यय

वित्त मंत्रालय ने, संसद के अनुमोदन के बिना निधियों का विपथन करके जन संचार अभियान पर 63.23 करोड़ रु. का व्यय किया, हालांकि इस गतिविधि का वार्षिक बजट में विचार नहीं किया गया था इसलिए यह 'नई सेवा/सेवा का नया साधन' था।

(पैराग्राफ 7.2)

निर्धारित कोटे से अधिक आबंटन

दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों के पृथक कोटे के अंतर्गत आबंटन करते समय, मंत्रालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और स्वयं के दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहा। मंत्रालय, ने 2001-2004 के दौरान पाँच प्रतिशत की निर्धारित सीमा से बाहर विभिन्न शीर्ष पदधारियों के प्रमुख कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का बिन-बारी आबंटन किया था।

(पैराग्राफ 17.5)

मुम्बई में भा.हो.नि. के होटलों की बिक्री

जुहू सेन्टौर तथा एयरपोर्ट सेन्टौर होटल प्रतियोगिता का लाभ उठाए बिना एकमात्र बोली के आधार पर बेचे गए थे। सम्पत्तियों का मूल्यांकन करने तथा एयरपोर्ट सेन्टौर के आरक्षित मूल्य के नियतन में असंगतियों के साथ-साथ बोलीकर्ता को जूहू सेन्टौर की

बिक्री को सरल बनाने के लिए दी गई छूट ने लेनदेन के जोखिम को कम करने के लिए अपर्याप्त प्रयास करते हुए सम्पत्तियां बेचने में अनुचित अत्यावश्यकता को दर्शाया।

(पैराग्राफ 7.1)

टी.बी. निरोधक दवाइयों और एक्स-रे फिल्म के प्रयोग की अवधि की समाप्ति

संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त 66.16 लाख रु. मूल्य की टी.बी. निरोधक दवाइयां तथा एक्स-रे फिल्म, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, नई दिल्ली द्वारा समय पर निर्गोचन आदेश जारी करने तथा घटिया दवाइयों के प्रतिस्थापन के लिए अधिप्रापण एजेंट के प्रति प्रभावशाली कार्यवाही करने में विफलता के कारण सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो, कोलकाता में समयावधि समाप्त हो गई थी। 66.16 लाख रु. की हानि के अतिरिक्त, दवाइयां तथा फिल्म उन रोगियों, जिनके लिए वे बनाई गई थी, तक नहीं पहुँच सकी जिससे अधिप्रापण का उद्देश्य निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ 8.1)

म.टे.नि.लि., मुम्बई से अवकाश वेतन व पेंशन अंशदान के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की गैर वसूली

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुम्बई में प्रतिनियुक्ति पर गए दू.सं.वि. कर्मियों के अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान 100 से 491 दिवसों के विलम्ब के पश्चात् संचार लेखा नियंत्रक, दू.सं.वि. सैल, महाराष्ट्र परिमंडल द्वारा प्राप्त किए गए थे। विलम्बित भुगतानों के कारण 78 लाख रु. का ब्याज बना जिसके लिए संचार लेखा नियंत्रक दावा करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 4.11)

सेवा कर की गैर वसूली

डाक विभाग ने वित्त अधिनियम 2001 के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार 20 डाक परिमंडलों में तार-प्राप्तियों पर सेवा कर का उद्ग्रहण नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 66.94 लाख रु. राशि के सेवा कर तथा ब्याज की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 4.2)

आवर्ती जमा लेखाओं के प्रति अनियमित भुगतान

राजस्थान परिमंडल के अधीन दो प्रमुख डाकपालों तथा छत्तीसगढ़ परिमंडल के एक प्रमुख डाकपाल ने अवयस्कों की ओर से खोले गए आवर्ती जमा लेखे के संबंध में अभिभावकों के अलावा व्यक्तियों द्वारा राशि आहरित करने की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप 2002-2003 के दौरान 32.43 लाख रु. का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 4.4)

सावधि जमा खातों को अनियमित ढंग से खोलना

दिल्ली डाक परिमंडल में तीन प्रधान डाकघरों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए संस्थानों/संस्थाओं को सावधि जमा खाते खोलने की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप 41.24 लाख रु. के ब्याज का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 4.3)

लाइसेंस शुल्क तथा रॉयल्टी प्रभारों की विलम्बित वसूली पर ब्याज की हानि तथा वीसेट प्रणालियों एवं समर्पित रेडियो लिंक के लिए लाइसेंस शुल्क की वसूली न करना

संचार लेखा नियंत्रक, मुंबई ने प्राइवेट रूप से रखे गए वीसेट प्रणालियों तथा समर्पित रेडियो लिंक के लिए समय पर लाइसेंस शुल्क तथा रॉयल्टी की वसूली नहीं की जिससे 8.85 करोड़ रु. की विलम्बित वसूली हुई और परिणामस्वरूप 1.44 करोड़ रु. के ब्याज की हानि हुई। एक अन्य मामले में, मुख्य महाप्रबंधक, केरल टेलीकॉम परिमंडल 26.38 लाख रु. के लाइसेंस शुल्क की वसूली करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 4.10)

सरकारी धन की हानि

भारतीय उच्चायोग, लंदन की राजस्व के लीकेज के प्रति बचाव के लिए कांसुल मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफलता के कारण सरकारी धन का गबन हुआ तथा परिणामस्वरूप 11.58 लाख रु. की हानि हुई।

(पैराग्राफ 6.9)

अनियमित व्यय

विदेश मंत्रालय ने 2000-2003 के दौरान विदेश सचिव के आवास के लिए फर्नीचर, साज़ सामान, वातानुकूलकों आदि पर 40.92 लाख रु. का अनियमित व्यय किया।

(पैराग्राफ 6.5)

व्यक्तिगत लाभों के लिए शासकीय शक्तियों का दुरुपयोग

भारतीय दूतावास, उल्लांबाटार के एक अधिकारी, जिसने चांसरी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तथा समय-समय पर चार्ज द एफेयर के रूप में भी कार्य किया, ने अपने 10.89 लाख रु. राशि के व्यक्तिगत लाभों के लिए बार-बार अपनी शासकीय शक्तियों का दुरुपयोग किया।

(पैराग्राफ 6.10)

मुद्रण पर अपव्यय

फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड तथा मिलान स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों ने जनप्रचार सामग्री, जिसे अभीष्ट उद्देश्यों हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सका, के मुद्रण के प्रति 60.04 लाख रु. का अपव्यय किया। लंदन स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालय ने सामग्री की प्राप्ति का प्रमाण प्राप्त किए बिना सहायक सामग्रियों के मुद्रण के प्रति 38.87 लाख रु. खर्च किए।

(पैराग्राफ 15.1)

प्रशासनिक उपरि खर्च/सेवा प्रभारों का अनियमित भुगतान

भारतीय विज्ञान, दार्शनिक तथा संस्कृति इतिहास के परियोजना निदेशक ने, सम्यता अध्ययन केन्द्र, एक स्वैच्छिक संगठन को मंत्रालय के अनुमोदन के बिना सेवा प्रभारों के रूप में 68.86 लाख रु. का भुगतान किया। परियोजना निदेशक प्राप्तकर्ता संगठन का अध्यक्ष भी था जिसके कारण उनके हितों में टकराव हुआ।

(पैराग्राफ 10.4)

राज्यों/लो.क्षे.उ. के अनभिप्रेत आर्थिक सहायता

लेखापरीक्षा द्वारा पहले ध्यान दिलाए जाने के बावजूद मंत्रालय, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती हेतु राज्य सरकारों तथा लोक क्षेत्र उपक्रमों से बकाया राशियों की वसूली करने की पद्धति में कमियां सुधारने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 2399.55 करोड़ रु. की बकाया राशियों का संचयन हुआ। वसूली करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 372.38 करोड़ रु. की राशि, जो 26 बीमार/विनिवेशित लो.क्षे.उ. से प्राप्त होनी थी, भी अप्रतिप्राप्य हो गई।

(पैराग्राफ 9.1)

अनुदानों के उपयोग का अपर्याप्त अनुश्रवण

मध्यप्रदेश सरकार को कम्प्यूटरों के अनुस्क्षण हेतु वर्ष 1997-98 के दौरान सी.एल.ए.एस.एस. योजना के अंतर्गत जारी किए गए 5.96 करोड़ रु. के अनुदान के उपयोग को सत्यापित करने में मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत सम्मिलित न की गई मदों की खरीद पर 3.48 करोड़ रु. का व्यय किया गया और शेष 2.48 करोड़ रु. सितम्बर 2004 तक अप्रयुक्त पड़े रहे। अप्रयुक्त राशि पर भारत सरकार को ब्याज की लागत 1.53 करोड़ रु. पड़ी थी।

(पैराग्राफ 10.3)

अधिक अनुदानों का जारी करना

मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ को वास्तव में ग्राह्य अनुदानों से अधिक 35.08 करोड़ रु. जारी किए जो निवल घाटा आधार पर वापस किये जाने थे। संस्थान द्वारा यह राशि अनियमित रूप से अपनी धर्मस्व/संग्रह निधि में रखी गई थी।

(पैराग्राफ 10.1)

आंतरिक नियंत्रण पद्धति/आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्यशीलता

आंतरिक नियंत्रण के कार्यान्वयन में लापरवाही के परिणामस्वरूप सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्य में त्रुटियाँ/कमियाँ हुईं। कुछ मुख्य त्रुटियाँ विभिन्न प्रबन्धन और प्रशासनिक नीतियों और अन्य मामलों की समीक्षा न करना, स्थायी परिसम्पत्तियों और भण्डार का सत्यापन न करना, आंतरिक एवं सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई त्रुटियों के सुधार के लिए प्रभावी कार्रवाई न करना, 10 लाख रु. से अधिक सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों के निष्पादन की विफलता आदि थीं।

(पैराग्राफ 11)

अव्ययित अनुदान का अवरोधन

प्रथम एफ्रो-एशियन खेल 2001 की आयोजन समिति से 5.82 करोड़ रु. के अव्ययित अनुदान वसूल करने में युवा मामले और खेल मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ। समिति ने खेलों के स्थगन के 30 माह बाद भी 1.06 करोड़ रु. भी रोके रखे थे (मार्च 2004)।

(पैराग्राफ 18.1)

अनियमित वित्तीय सहायता

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योजना आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को 2002-03 एवं 2003-04 के प्रत्येक वर्ष के दौरान 'माध्यमिक शिक्षा व्यवसायिकरण योजना' के अंतर्गत 3.75 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता जारी की थी।

(पैराग्राफ 10.2)

आंतरिक नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप दुर्विनियोजन

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्टेशनरी- मदों को जारी करने के लिए निर्धारित जांच और लेखाबद्ध करने की विफलता के परिणामस्वरूप 8.37 लाख रु. मूल्य की वस्तुओं का दुरुपयोग हुआ।

(पैराग्राफ 5.1)

विद्युत की अधिक संविदागत मांग के कारण अतिरिक्त व्यय

दिल्ली दुग्ध योजना ने दिल्ली विद्युत बोर्ड से आवश्यकता से अधिक विद्युत की संविदात्मक मांग करने के कारण अप्रयुक्त भार पर न्यूनतम मांग प्रभारों के प्रति 2.20 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय किया।

(पैराग्राफ 1.1)

निधियों का अधिक जारी किया जाना

श्रम मंत्रालय की पूर्व वर्षों में जारी अधिक अनुदानों का समायोजन करने में विफलता के परिणामस्वरूप बाला कार्मिका विकास सोसाइटी, अनंतपुर, आन्ध्र प्रदेश को 12.68 लाख रु. अधिक जारी किए गए।

(पैराग्राफ 12.1)

विद्युत प्रभारों का वसूल न किया जाना

लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल की अपने स्टाफ क्वार्टरों के लिए घरेलू दर पर विद्युत कनेक्शन लेने में विफलता के परिणामस्वरूप 97.17 लाख रु. का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। अप्रैल 1997 से जुलाई 2004 की अवधि के लिए घरेलू दरों पर वसूली योग्य 51.86 लाख रु. में से, ले.हा.मे.का. ने स्टाफ क्वार्टरों के अधिभोक्ताओं से जून 2004 तक 5.75 लाख रु. ही वसूल किए थे।

(पैराग्राफ 8.2)

निष्क्रिय निधियां और दायित्व ब्याज की कम वसूली

वित्त मंत्रालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को अपनी आवश्यकता का उचित मूल्यांकन किए बिना 4.86 करोड़ रु. जारी किए जिसके फलस्वरूप 28 माह के लिए 2.93 करोड़ रु. निष्क्रिय पड़े रहे। मंत्रालय ने दायित्व ब्याज के प्रति 35.85 लाख रु. भी कम वसूल किए।

(पैराग्राफ 7.3)

फालतू स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर अतिरिक्त व्यय

मंत्रालय ने भारतीय उच्च आयोग, नैरोबी में दिए गए अतिरिक्त सहायकों को वापस लेने में विलम्ब और इसके अतिरिक्त एक अपर सहायक को तैनात करने के परिणामस्वरूप 22.72 लाख रु. का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।

(पैराग्राफ 6.7)

मनमानी कार्रवाई के कारण निष्फल व्यय

उच्च आयुक्त, दास-ए-सलाम द्वारा एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अताशे को बेकार बिठाए रखने में मनमानी कार्रवाई के कारण उसके वेतन और आवास के किराए पर 14.93 लाख रु. का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 6.8)

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स से गारंटी-शुल्क की अवसूली

नागर विमानन मंत्रालय मार्च 2004 तक एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस से 1021.50 करोड़ रु. का गारंटी शुल्क वसूल करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 2.1)

जलयानों पर मल्लाह रखने पर परिहार्य व्यय


निदेशक, जहाजरानी सेवा ने अपने जलयानों पर मल्लाह रखने के लिए एक एजेंट नियुक्त किया तथा दो जलयानों की अस्थायी छंटनी की अवधि के दौरान एजेंट के साथ ठेके का विस्तारण किया; जिससे 66.89 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 19.3)

जमा निर्माण-कार्यों के निष्पादन में अनियमितताएं

कार्यकारी इंजीनियर, केन्द्रीय प्रभाग, नासिक ने जमा निर्माण-कार्यों के निष्पादन में नियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया और प्राप्त जमा राशि से 3.76 करोड़ रु. का अधिक व्यय किया।

(पैराग्राफ 17.1)



अध्याय I : कृषि मंत्रालय

दिल्ली दुग्ध योजना

1.1 विद्युत की अधिक संविदागत मांग के कारण अतिरिक्त व्यय

आवश्यकता से अधिक विद्युत की संविदागत मांग के अवरोधन के कारण, दि.दु.यो. ने 2.20 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय किया।

दिल्ली दुग्ध योजना (दि.दु.यो.) को पौष्टिक दुग्ध की आपूर्ति करने के अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के प्रारम्भिक उद्देश्य के साथ 1959 में स्थापित किया गया था।

पांच वर्षों से अधिक 1999-2004 की अवधि के दौरान दि.दु.यो. द्वारा भुगतान किए गए बिजली के मासिक बिलों का पुनरीक्षण दर्शाता था कि विद्युत की संविदागत मांग वास्तविक मांग से काफी अधिक थी। दि.दु.यो. ने, डेयरी संयंत्र का संचालन करने के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड से, 1999-2001 के दौरान दर्ज की गई, 1794 के.वी.ए. उच्च दाब (उ.दा.) और 71 के.वी.ए. निम्न दाब (नि.दा.) की अधिकतम मांग के विरुद्ध 5125 के.वी.ए. उच्च दाब (उ.दा.) और 262 के.वी.ए. निम्न दाब (नि.दा.) की संविदागत मांग की थी। यह भी पाया गया था कि इकाई के अनुरोध पर, अगस्त 2001 में उ.दा. मांग 3500 के.वी.ए. तक कम कर दी गई थी। तथापि, कमी को, विस्तृत संयंत्र-वार निर्धारण किए बिना और पिछले दो वर्षों के दौरान विद्युत के अधिकतम उपयोग का उल्लेख किए बिना प्रयुक्त किया गया था, जो कि इकाई द्वारा मांगे गए संशोधित भार से काफी कम था।

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर भार को कम कराने में दि.दु.यो. की विफलता के कारण उच्चभार का अवरोधन तथा फलस्वरूप अधिक और अप्रयुक्त भार पर न्यूनतम मांग प्रभार के प्रति परिहार्य भुगतान हुआ। वास्तविक अधिकतम खपत से अधिक 10 प्रतिशत की सीमा के अनुमत करने और 2000 के.वी.ए.(उ.दा.) और 80 के.वी.ए.(नि.दा.) पर अधिकतम विद्युत भार को सीमित करने से दि.दु.यो. मार्च 2004 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान 2.20 करोड़ रु. के अतिरिक्त व्यय को बचा सकता था, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

अवधि	संविदा मांग (के.वी.ए.)	अधिकतम मांग (के.वी.ए.)	अधिकतम यथोचित मांग (के.वी.ए.)	अप्रयुक्त भार (के.वी.ए.)	प्रति के.वी.ए. की भुगतान की गई दर	अप्रयुक्त भार पर अतिरिक्त व्यय
	क		ख	ग= क-ख	घ	
अप्रैल 1999 से जुलाई 2001	5125 262	1794 71	2000 80	3125 182	150 150	468750 रु. X 28 माह = 131.25 लाख रु. 27300 रु. X 28 माह = 7.64 लाख रु.
अगस्त 2001 से मार्च 2004	3500 262	1794 71	2000 80	1500 182	150 150	225000 रु. X 32 माह = 72.00 लाख रु. 27300 रु. X 32 माह = 8.74 लाख रु.
जोड़						= 219.63 लाख रु. अर्थात् 2.20 करोड़ रु.

दि.दु.यो. ने अगस्त 2004 में बताया कि विद्युत भार, भारी मशीनरी जैसे स्प्रे ड्राईंग संयंत्र, रोलर ड्रायर और आईसक्रीम संयंत्र को दूसरी डेयरियों को स्थानान्तरित करने के कारण वर्तमान स्तर अर्थात् 3500 के.वी.ए. तक कम किया गया था। दि.दु.यो. ने यह भी सूचित किया कि वह उन्नति और आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ी परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव कर रहा था, जिसके कारण संस्वीकृत भार को और कम करना उचित नहीं था। तथापि, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि दि.दु.यो. ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अभी तक न ही बनाया अथवा मंत्रालय को प्रस्तुत किया था (सितम्बर 2004)। दूरवर्ती भविष्य में वृद्धि की प्रत्याशा में अधिक भार का अवरोधन, अविवेकी वित्तीय प्रबन्धन को दर्शाता है।

पर्याप्त औचित्य के बिना अतिरिक्त भार के अवरोधन के कारण दि.दु.यो. ने भविष्य में आवर्ती देयताओं के साथ अप्रैल 1999 से मार्च 2004 के दौरान बिजली पर 2.20 करोड़ रु. का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया।

मामला मंत्रालय को सितम्बर 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय II : नागर विमानन मंत्रालय

2.1 एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स से गारंटी-शुल्क की अवसूली

नागर विमानन मंत्रालय, मार्च 2004 तक 1021.50 करोड़ रु. राशि का गारंटी शुल्क वसूल करने में विफल रहा।

संविधान का अनुच्छेद 292, संघ सरकार को, ऐसी सीमाओं जो कि संसद के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है, के भीतर दिए गए कर्जों के सम्बन्ध में गारंटियां देने के लिए, अधिकार देता है। सरकार समय-समय पर निर्धारित दरों पर ऐसी गारंटियों पर गारंटी शुल्क वसूल करती है जो सरकार के गैर-कर राजस्व का हिस्सा बनता है।

जून 1993 में, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ने अनुदेश जारी किए कि बाह्य उधारों के सम्बन्ध में, सभी सरकारी गारंटियां, मूल तथा उस पर ब्याज की बकाया राशि पर 1.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष के गारंटी शुल्क की शर्त पर दी जाएंगी। गारंटी शुल्क, गारंटी की तिथि से और उसके बाद प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से उद्ग्रहित किया जाना था। ऐसे शुल्क, पहले से जारी परन्तु आंशिक रूप से अभी भी बकाया गारंटियों के सम्बन्ध में भी उद्ग्रह्य थे। देय तिथि पर गारंटी शुल्क के भुगतान न करने के मामलों में, चूक की अवधि के लिए शुल्क, सामान्य दर से दुगुना देय था।

नागर विमानन मंत्रालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एयर इंडिया लि. तथा इंडियन एयरलाइन्स लि. के पास मार्च 2004 तक 24171 करोड़ रु. तथा 18392 करोड़ रु. राशि के क्रमशः बकाया कर्ज तथा ब्याज थे। मंत्रालय ने जनवरी 1989 से मार्च 2004 की अवधि के लिए, गारंटी शुल्क वसूल नहीं किया। एयर इंडिया लि. और इंडियन एयरलाइन्स लि. से गारंटी शुल्क, जो कि सामान्य दर पर क्रमशः 290.05 करोड़ रु. और 220.70 करोड़ रु. और चूक के मामले में लागू सामान्य दर के दुगुने पर क्रमशः 580.10 करोड़ रु. और 441.40 करोड़ रु. बनता था, वसूल नहीं किया गया था।

मामला अगस्त 2004 में मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2004)।

अध्याय III : वाणिज्य मंत्रालय

३.१ लेखापरीक्षा के कहने पर अवसंरचना परियोजनाओं के अग्राह्य घटकों पर बचाया गया व्यय

लेखापरीक्षा के कहने पर अवसंरचना परियोजनाओं के अग्राह्य घटकों पर ४.२० करोड़ रु. की राशि को बचाया गया।

महत्वपूर्ण स्थानों पर निर्यात अवसंरचना को मजबूत बनाने के विचार से वाणिज्य मंत्रालय (वा.मं.) ने १९९६ में समीक्षात्मक अवसंरचना संतुलन (स.अ.सं.) शीर्षक की एक योजनागत योजना आरंभ की। दिशानिर्देशों के अनुसार, वा.मं. द्वारा योजना के अंतर्गत आवृत आकस्मिक प्रकृति की अवसंरचना परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों के विभागों को निधियां उपलब्ध करायीं जानी थीं।

हरियाणा राज्य से गुड़गांव में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क सुविधा के विकास से संबंधित ९.८५ करोड़ रु. की लागत (जिसमें भूमि की लागत के प्रति २ करोड़ रु. तथा प्रशासन एवं स्थापन, विपणन, वेतन आदि पर आवर्ती लागत के प्रति २.६० करोड़ रु. शामिल थे) की एक परियोजना प्राप्त हुई थी। वा.मं. दिसम्बर २००१ में भूमि की लागत तथा आवर्ती लागत को शामिल करते हुए कुल लागत का ५० प्रतिशत हिस्सा बाँटने के लिए सहमत हुआ। वा.मं. ने तदनुसार मार्च २००२ में परियोजना के लिए ४.९२ करोड़ रु. की निधि स्वीकृत की। अगस्त २००२ में, लेखापरीक्षा ने वा.मं. का ध्यान परियोजना में ४.६० करोड़ रु. राशि के अग्राह्य घटकों जैसे भूमि की लागत तथा आवर्ती लागत का समावेश करने की ओर दिलाया था। वा.मं. ने, जून २००३ में राज्य सरकार को २.३० करोड़ रु. तक हिस्सा घटाने का अनुरोध किया।

इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ राज्य के एक अन्य परियोजना प्रस्ताव सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, भिलाई में हाई स्पीड डेट कम्यूनिकेशन केन्द्र की स्थापना हेतु अपने हिस्से की गणना करते समय वा.मं. ने दिसम्बर २००१ में ८.५० करोड़ रु. की कुल लागत से ३.८० करोड़ रु. राशि के वेतन, मजदूरी, स्थापना आदि खर्चों पर आवर्ती लागत को नहीं निकाला था। परियोजना के लिए मार्च २००२ में ४ करोड़ रु. राशि की निधियां संस्वीकृत की गई थीं। अगस्त २००२ में की गई लेखापरीक्षा आपत्ति के प्रत्युत्तर में वा.मं. ने फरवरी २००४ में अग्राह्य लागत के प्रति वा.मं. का हिस्सा १.९० करोड़ रु. तक घटाने के लिए राज्य सरकार को लिखा।

इस प्रकार, वि.मं. द्वारा अपर्याप्त संवीक्षा करने के परिणामस्वरूप अग्राह्य घटकों पर 4.20 करोड़ रु. संस्वीकृत किए गए। मंत्रालय को चूकों के लिए उत्तरदायित्व नियत करने की कार्यवाई करनी चाहिए।

3.2 राजस्व की वसूली न होने के कारण हानि

फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा चूककर्ताओं के प्रति समय पर कानूनी कार्यवाई आरंभ करने में विफलता के परिणामस्वरूप छः से बारह वर्षों के बीच की अवधियों के लिए निजी उद्यमकर्ताओं से 2.26 करोड़ रु. राशि के गैर-कर राजस्व की हानि/वसूली नहीं हुई।

पश्चिम बंगाल, फाल्टा में, फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (अब फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र) (फा.वि.आ.क्षे.) कोलकाता पत्तन न्यास से पट्टे के आधार पर प्राप्त एक भूखण्ड पर स्थित है। इसका उद्देश्य निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में निर्यात को प्रोत्साहन देना तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करना है। जनवरी 1986 से, फा.वि.आ.क्षे. ने उद्यमियों को निर्यातान्मुख व्यापारिक गतिविधियां कार्यान्वित करने हेतु प्रारम्भिक पांच वर्ष से 15 वर्षों के लिए किराए की विभिन्न दरों पर भूमि तथा निर्मित स्थानों को उप पट्टे पर देना प्रारम्भ किया।

मार्च 2004 तक, फा.वि.आ.क्षे. ने 109 इकाइयों को भूमि तथा निर्मित स्थान आबंटित किए जिसमें से 85 इकाइयों के किराए बकाया चल रहे थे। 31 मार्च 2004 तक बकाया वसूली 4.19 करोड़ रु. थी। फा.वि.आ.क्षे. बकाया राशि के वर्षवार ब्यौरे प्रस्तुत नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 85 इकाइयों में से 2.26 करोड़ रु. की राशियां रखने वाली 13 इकाइयों ने अपने व्यापार बंद कर दिए थे। लेखापरीक्षा के कहने पर विभाग ने फरवरी 2004 में संबंधित जिले के प्रमाणन अधिकारी को राशियां वसूल करने के लिए कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। उसने कम्पनियों की परिसम्पत्तियों की बिक्री आय में से राशियों की वसूली हेतु परिसमापक के साथ मामला भी उठाया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 इकाइयों में से दो इकाइयों के परिसम्पत्तियों की पहले से ही नीलाभी कर दी गई थी, चार इकाइयों में कोई परिसम्पत्तियां उपलब्ध नहीं थी तथा एक इकाई की परिसम्पत्तियां दूसरी इकाई में स्थानान्तरित की गई थी। इस प्रकार, इन मामलों में परिसम्पत्तियों की बिक्री आय में से बकाया राशियों की वसूली की संभावना बहुत कम थी।

फा.वि.आ.क्षे. की ओर से किराए की वसूली हेतु समय पर कार्यवाई करने में विफल होने के परिणामस्वरूप प्राइवेट उद्यमकर्ताओं से छः से बारह वर्षों के बीच की अवधियों के लिए 2.26 करोड़ रु. राशि के गैर-कर राजस्व वसूली नहीं हुई।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय IV: संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

डाक विभाग

4.1 संगठनात्मक ढांचा एवं वित्तीय प्रबंधन

4.1.1 विभाग के कार्य

डाक विभाग (डा.वि.) के मूल कार्यों में डाक का संग्रहण, प्रसंस्करण, संचरण एवं वितरण, टिकटों एवं डाक लेखन सामग्री की बिक्री, पंजीकृत, बीमाकृत एवं मूल्य अदायगी वस्तुएं, धन आदेश, पार्सल इत्यादि को बुक करना सम्मिलित हैं।

डा.वि. अन्य मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ एजेन्सी कार्य जैसे कि डाक बचत बैंक एवं अन्य छोटी बचत योजना, डाक जीवन बीमा, लोक भविष्य निधि योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, विदेशों से डाक द्वारा भेजी गई वस्तुओं पर सीमा शुल्क का संग्रहण, तार की बुकिंग, संचरण एवं वितरण, सैन्य एवं रेलवे पेंशन भोगियों को पेंशन का संवितरण, कोयला खान कर्मियों एवं कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के कर्मचारियों के परिवारों को परिवार पेंशन का संवितरण भी करता है।

4.1.2 संगठनात्मक ढांचा

विभाग का प्रबंधन डाक सेवा बोर्ड में निहित है। बोर्ड का एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं, जो प्रचालन, अवसंरचना और वित्तीय सेवाएं एवं कार्मिक विभाग संभालते हैं। अध्यक्ष, डा.वि. में भारत सरकार का सचिव भी होता है। बोर्ड देश के अन्दर डाक महानिदेशालय में उप महानिदेशकों की सहायता से डाक सेवाओं के प्रबंधन को निदेशित और पर्यवेक्षित करता है। कारोबार विकास निदेशालय (का.वि.नि.) की स्थापना 1996 में मूल्य वर्धित सेवाओं, जैसे- द्रुत डाक, द्रुत डाक पासपोर्ट सेवा, कारोबारी डाक, एक्सप्रेस पार्सल डाक, मीडिया डाक, मेघदूत डाक पत्र, बधाई डाक, डेटा पत्र, ई-बिल डाक एवं ई-डाक, का केन्द्रीकृत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हुई।

विभाग के पास 22 डाक परिमंडल हैं, जोकि 34 क्षेत्रीय कार्यालयों में बंटे हुए हैं तथा 441 डाक मंडलों एवं 70 रेलवे डाक सेवा मंडलों को नियंत्रित करते हैं। सशस्त्र सेनाओं की डाक संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आधार परिमंडल भी है। 31 मार्च 2004 को विभाग के कर्मचारियों की संख्या 5.49 लाख थी, जिसमें 2.51 लाख विभागीय कर्मचारी तथा 2.98 लाख बहिर्विभागीय कर्मचारी थे।

4.1.3 डाक ट्रैफिक

विभाग द्वारा अपंजीकृत डाक के दर्शाए गए ट्रैफिक की गणना गत दो वर्ष के आकलित ट्रैफिक के आधार पर की गई थी। आकलित ट्रैफिक हमेशा अर्जित राजस्व पर आधारित होता था। विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2001-2004 के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं, जैसे- पोस्टकार्ड, पत्र कार्ड (अन्तर्देशीय), धन आदेश, बीमा आदि की बिक्री के संदर्भ में दर्शाये गए और आकलित ट्रैफिक का ब्यौरा निम्न सारणी के अनुसार था:

डाक ट्रैफिक

(क) अपंजीकृत डाक

(लाख रुपयों में)

क्र सं	मद	2001-02		2002-03		2003-04	
		प्रक्षेपित	आकलित*	प्रक्षेपित	आकलित*	प्रक्षेपित	आकलित*
1.	पोस्टकार्ड	2878.5	1933	1933.02	2290.06	2551.11	2706.81
2.	मुद्रित पोस्टकार्ड	1420.5	1005	1005.10	420.55	468.49	816.08
3.	पत्र कार्ड (अन्तर्देशीय)	4569.0	3295	3294.79	2939.60	3274.69	2809.93
4.	समाचार-पत्र						
	एक बंडल	1071.5 198.0	731 181	730.91 180.60	531.87 322.41	592.50 359.16	811.83 82.84
5.	पार्सल	695.5	643	642.94	479.45	534.10	409.92
6.	पत्र	9352.5	5403	5403.42	4370.98	4869.23	3720.97
7.	पुस्तक पैकेट	988.0	699	699.22	600.70	669.17	747.50
8.	मुद्रित पुस्तकें	193.5	259	258.99	227.87	253.85	175.76
9.	अन्य आवधिक पत्रिकायें	152.0	187	186.74	233.76	260.41	199.95
10.	पावती	399.5	324	324.44	279.61	311.48	637.45

* राजस्व संग्रहण पर आधारित

(ख) पंजीकृत डाक तथा अन्य

(लाख रुपयों में)

क्र सं.	मद	2001-02		2002-03		2003-04	
		प्रक्षेपित	वास्तविक	प्रक्षेपित	वास्तविक	प्रक्षेपित	वास्तविक
11.	धन आदेश (ध.आ.)	1230.5	1099	1067.31	1095.82	1165.01	1136.55
12.	बीमा	93	88	88.26	87.18	97.12	95.59
13.	मूल्य अदायगी पत्र एवं पार्सल	91.5	93	92.86	170.44	189.87	100.43
14.	पंजीकृत पत्र एवं पार्सल	2375.5	1961	1960.85	2004.50	2233.00	1923.61

4.1.4 डाक सेवाओं से अर्जन और उनकी लागत

विभाग की द्रुत डाक सहित डाक सेवाओं पर निवल समग्र हानि 2002-2003 में हुई निवल हानि की तुलना में 2003-2004 में 11.32 करोड़ रु (एक प्रतिशत) कम होकर 1162.21 करोड़ रु. थी। वर्ष 2003-04 में 20* राजस्व अर्जन सेवाओं में से केवल पांच सेवाओं अर्थात् पत्र, अन्य आवधिक पत्रिकाएं, बीमा, प्रतियोगिता पोस्टकार्ड एवं विदेशी डाक को लाभ के अलावा अन्य 15 सेवाओं में लगातार हानि होती रही।

1999-2004 की अवधि के दौरान विभाग को स्पीड पोस्ट सहित अन्य डाक सेवाओं पर हुई निवल हानियों की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार थी:



डाक सेवाओं पर निवल हानि 1999-2000 की तुलना में 17 प्रतिशत बढ़ गई परन्तु पिछले वर्ष की तुलना में केवल एक प्रतिशत की कमी हुई।

राजस्व वसूली तथा राजस्व व्यय


4.1.5 राजस्व

सेवाओं के चार प्रमुख राजस्व उपार्जन वर्ग उदाहरणार्थ, डाक टिकटों की बिक्री, घ.आ./आई.पी.ओ. में कमीशन, नकद डाक व्यय व अन्य प्राप्तियों ने वर्ष 2003-04 के दौरान

* पोस्टकार्ड, पत्र, पंजीकरण, अन्तर्देशीय पत्र, घन आदेश, समाचार पत्र (एक), समाचार पत्र (बंडल), भारतीय पोस्टल आर्डर (भा.पो.आ.), मुद्रित पोस्टकार्ड, मूल्य अदायगी डाक, अन्य आवधिक पत्रिकाएँ, पावती, पुस्तक एवं नमूना पैकेट, तार घ.आ, मुद्रित पुस्तकें, बीमा, पार्सल, प्रतियोगिता पोस्टकार्ड, द्रुत डाक एवं विदेश डाक

2005 का प्रतिवेदन संख्या 2

4257 करोड़ रु. अर्जित किए। डाक राजस्व के स्रोत-वार अंश को नीचे के चार्ट में दर्शाया गया है:



4.1.6 राजस्व व्यय

2003-04 के दौरान वेतन एवं भत्ते, डाक परिवहन, डाक टिकटों का मुद्रण, पोस्ट कार्ड व डाक लेखन सामग्री आदि पर राजस्व व्यय नीचे की तालिका में दर्शाया गया है:

राजस्व व्यय

(करोड़ रुपयों में)

श्रेणी	2003-04	कुल व्यय की प्रतिशतता
(क) वेतन एवं भत्ते, आकस्मिक व्यय, अंतरिम सहायता आदि	4192.89	73.09
(ख) पेंशन प्रभार	1107.02	19.30
(ग) डाक टिकट, पोस्टकार्ड आदि	33.60	0.59
(घ) लेखन सामग्री व फार्म मुद्रण आदि	35.54	0.62
(च) डाक परिवहन (रेलवे तथा वायु डाक वाहकों को भुगतान)	189.35	3.30
(छ) अन्य व्यय	177.66	3.10
जोड़	5736.06	

2003-04 में निवल राजस्व बजटीय समर्थन 1375.22 करोड़ रु. था जो कि 5736.06 करोड़ रु. के सकल राजस्व व्यय में से 4256.93 करोड़ रु. की प्राप्तियां तथा 103.91 करोड़ रु. की वसूलियों की कटौती करने के बाद परिकलित हुआ था।

4.2 सेवा कर की गैर वसूली

वित्त अधिनियम 2001 के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार तार प्राप्तियों में सेवा-कर उगाहने की विफलता के परिणामस्वरूप सेवा कर और 20 डाक परिमंडलों में 66.94 लाख रु. की राशि पर ब्याज की गैर वसूली हुई!

वित्त अधिनियम, 2001, ने तार प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध पट्टे पर दिये गये परिपथों, तार, टेलेक्स व फ़ैक्सिमिलि संचरण से संबंधित सेवाओं पर जुलाई 2001 से पांच प्रतिशत सेवाकर लगाया है। इसके अतिरिक्त सेवा कर के विलम्बित भुगतान के लिये 24 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज भी प्रभार्य था। वित्त अधिनियम 2003 के अन्तर्गत सेवा कर मई 2003 से आठ प्रतिशत तक बढ़ाया गया था।

तार प्राप्तियों के संबंध में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 20 डाक परिमंडलों में जुलाई 2001 से मार्च 2004 की अवधि के दौरान तार सेवाओं पर सेवा कर नहीं लगाया गया था, परिणामस्वरूप कुल 49.61 लाख रु. के राजस्व की गैर वसूली हुई जैसा कि नीचे बताया गया है:

परिमंडल का नाम	सेवा कर की राशि जो वसूल नहीं की गई (वर्षवार एवं परिमंडलवार)			
	2001-02	2002-03	2003-04	जोड़
केरल	69451	76144	60466	206061
छत्तीसगढ़	15874	19820	20945	56639
तमिलनाडु	359389	341324	314150	1014863
हिमाचल प्रदेश	48946	56363	56653	161962
मध्य प्रदेश	18995	19199	21466	59660
उत्तरांचल	8232	10393	8469	27094
गुजरात	46278	142465	134792	323535
उत्तर प्रदेश	0	8292	9845	18137
कर्नाटक	146816	133987	173524	454327
दिल्ली	4252	5840	14233	24325
उड़ीसा	12611	38993	35414	87018
आन्ध्र प्रदेश	33673	77327	57045	168045
असम	10695	10999	11682	33376
बिहार	39633	61296	0	100929
जम्मू एवं कश्मीर	15228	17953	8352	41533
पंजाब	71996	82193	31998	186187
हरियाणा	22422	27064	44218	93704
राजस्थान	70337	68255	69982	208574
पश्चिम बंगाल	76109	81610	62463	220182
महाराष्ट्र	374993	500429	599691	1475113
जोड़	1445930	1779946	1735388	4961264

इसके अतिरिक्त अवसूली सेवाकर पर 17.33 लाख रू. का ब्याज भी वसूल नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने के बाद डाक विभाग (डा.वि.) ने अगस्त 2004 में बताया कि

- भा.सं.नि.लि./म.टे.नि.लि. जो कि इस सेवा के लिये सेवा सम्भरक थे, ने तार प्राप्तियों पर सेवा कर की उगाही के संबंध में न तो डा वि मुख्यालय को और न ही किसी डाक परिमंडल को बताया था। इसलिये कार्य कर रहे डाकघर सेवा कर संग्रहीत नहीं कर सके।
- तथापि, डा.वि. ने स्वयं अपना निर्णय लिया और परिमंडलों को सलाह दी कि अप्रैल 2004 से आठ प्रतिशत दर पर सेवा कर संग्रहीत किया जाये।

डाक निदेशालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए परिमंडलों से आंकड़ों की पुष्टि व लम्बित सत्यापन और पुष्टीकरण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।

डाक विभाग का उत्तर इस मामले को सम्बोधित करने में, सरकार की सर्वोच्च संस्था में आंतरिक नियंत्रण की कमी व गम्भीरता का अभाव दर्शाता है, विशेष तौर पर जहां सरकारी खजाने में राजस्व की हानि सम्मिलित है, जिसमें इस अवस्था में सामान्य तौर पर लोगों से सेवा कर की वसूली की कोई सम्भावना नहीं है।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 में प्रतीक्षित था।

4.3 सावधि जमा खातों को अनियमित ढंग से खोलना

दिल्ली डाक परिमंडल में तीन प्रधान डाकघरों ने नियमों का उल्लंघन करके संस्था/संघों के पक्ष में सावधि जमा खाते खोले तथा 41.24 लाख रू. के ब्याज का अनियमित भुगतान अनुमत किया।

डाकघर सावधि जमा नियमों में व्यवस्था है कि संस्थाओं को 1 अप्रैल 1995 से डाकघर सावधि जमा खाता खोलने के लिये अनुमति नहीं है। आदेशों में कहा गया है कि इस संबंध में अनियमितता के किसी भी मामले में दोषी कर्मचारियों के प्रति कार्रवाई की जानी चाहिये।

दिल्ली डाक परिमंडल में तीन प्रधान डाकघरों (प्र.डा.घ.) के संबंध में अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल तथा मई 2004) के दौरान लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि प्रावधानों के विपरीत कॉलेज व संस्थाओं को 1999-2000 से 2003-2004 की अवधि के दौरान सावधि जमा खाता खोलने के लिये अनुमत किया गया था। इन खातों में 41.24 लाख रु. का ब्याज भी अनुमत किया गया था जो कि अनियमित था जैसा कि नीचे वर्णित है:

(लाख रुपयों में)

क्र सं	प्र.डा.घ. का नाम	खातों की कुल संख्या	निवेश की राशि	भुगतान किये गये ब्याज की राशि
1	कृष्णा नगर	13	43.36	0.70
2	इन्द्रप्रस्थ	2	13.00	2.31
3	लोधी रोड	43	939.00	38.23
	जोड़		995.36	41.24

यह इंगित किये जाने पर, इन्द्रप्रस्थ प्र.डा.घ. ने बताया कि ब्याज जमा करने के लिये संबंधित संघों को नोटिस जारी कर दिये गये थे और नियमन के लिये उच्चतर प्राधिकारियों के साथ मामला भी उठाया जा रहा था। लोधी रोड प्र.डा.घ. ने तथ्यों की पुष्टि की तथा कृष्णा नगर प्र.डा.घ. से उत्तर प्रतीक्षित था।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 को प्रतीक्षित था।

4.4 आवर्ती जमा लेखाओं के प्रति अनियमित भुगतान

राजस्थान मंडल में दो मुख्य डाक कार्यालयों के मुख्य डाकपालों तथा छत्तीसगढ़ मंडल में एक मुख्य डाक कार्यालय ने, डाक कार्यालय बचत बैंक सामान्य नियमावली का उल्लंघन करते हुए 2002-03 के दौरान 32.43 लाख रु. का अनियमित भुगतान अनुमत किया।

डाक कार्यालय बचत बैंक सामान्य नियमावली, 1981 और इसके नियम 6(4) में प्रावधान है कि अव्यस्क या विक्षिप्त व्यक्ति की ओर से खोले गए आवर्ती जमा लेखे से आहरण की अनुमति केवल इस बारे में अभिभावक द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही की जानी चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि राजस्थान मंडल के अंतर्गत बाड़मेर और जोधपुर के मुख्य डाकपालों, छत्तीसगढ़ मंडल के अंतर्गत दुर्ग मुख्य डाक कार्यालय ने 2002-03 के दौरान 197 मामलों में अभिभावकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को

32.43 लाख रु. का भुगतान अनुमत किया। इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके कारण इस सम्बन्ध में अनियमित भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रत्युत्तर में डाकपाल, जोधपुर ने बताया कि नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा उप डाकपालों को अनुदेश जारी कर दिए गए थे कि अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना भुगतान न किया जाए। डाकपाल बाडमेर ने बताया कि इस सम्बन्ध में भुगतान तुरन्त प्रभावी तिथि से रोक दिया गया था और इसे उच्चतर प्राधिकारियों के ध्यान में लाने के लिए कार्यवाही की जा रही थी। डाकपाल, दुर्ग ने बताया कि वसूली के लिए उच्चतर प्राधिकारियों के साथ मामला उठाया जाएगा।

मामला अगस्त 2004 में मंत्रालय को भेजा गया था; इसका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

4.5 दूरसंचार विभाग को जारी भंडारों की लागत की गैर-वसूली:

भा.सं.नि.लि. को आपूर्त सामग्री के लिये प्रभारित करने में संहिता प्रावधानों के गैर अनुपालन के कारण 30.89 लाख रु. के प्राप्यों की गैर वसूली हुई।

नियमों में व्यवस्था है कि लोक निर्माण मंडल किसी अन्य विभाग को दी गई सेवाओं अथवा आपूर्त वस्तुओं के लिये प्रभारों का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा बैंक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिये। ये नियम डाक सिविल विंग को लागू होते हैं।

जनवरी 2004 में डाक सिविल मंडल, केरल डाक परिमंडल में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 1991-92 से 2001-02 की अवधि के दौरान भा.सं.नि.लि. की विभिन्न इकाइयों को ऋण के आधार पर 30.89 लाख रु. के 234 मी.ट. सीमेंट तथा 161 मी.ट. स्टील जारी किये थे। अक्टूबर 2004 तक इन आपूर्तियों के लिये डाक सिविल मंडल द्वारा कोई निपटान/भुगतान प्राप्त नहीं किया गया था।

यह इंगित किये जाने पर, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, केरल परिमंडल ने बताया (अक्टूबर 2004) कि मामला मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार, केरल परिमंडल, तिरुवनन्तपुरम के साथ उठाया गया है।

इस प्रकार संहिता प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 1991-92 से 2001-02 के दौरान दू.वि./भा.सं.नि.लि. को जारी सामग्री की 30.89 लाख रु. लागत की गैर वसूली हुई।

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

4.6 निष्क्रिय खातों पर सेवा प्रभारों की कटौती न करना

खातों पर सेवा प्रभार उगाहने में विभाग की विफलता के कारण मार्च 2002 से पहले निष्क्रिय खातों के रूप में समझे गये 24.43 लाख रु. के सेवा प्रभारों का क्रेडिट नहीं हुआ।

डाकघर बचत खाता नियमावली, 1981 अनुबंध करती हैं कि ऐसे खातों जिनमें पूरे तीन वर्षों तक न तो कोई जमा किया गया है और न ही आहरण किया गया है, को निष्क्रिय खाता समझा जायेगा। नियमों में यह भी व्यवस्था है कि निष्क्रिय खाते जिनमें 50 रु. की अनुबद्ध राशि से कम शेष हो, में 20 रु. के सेवा प्रभार जो कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अर्थात् 31 मार्च 2003 से लागू है कटौती की जायेगी। सेवा प्रभार में कटौती करने के बाद यदि शेष शून्य रहता है तो खाता स्वतः बंद माना जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्यदिवस को कटौती किए गए सेवा प्रभार को अवर्गीकृत प्राप्तियों के रूप में विभागीय खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त दिसंबर 2003 में डाक विभाग ने यह स्पष्ट किया था कि 31 मार्च 2003 से पहले जिन खातों को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया था, उन पर सेवा प्रभार की उगाही के प्रयोजन हेतु उनको तकनीकी रूप से चालू किया जाना अपेक्षित था।

महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु डाक परिमंडलों में आठ प्रधान डाकघर (प्र.डा.घ.)/सामान्य डाकघर में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2002 से पहले घोषित 62493 निष्क्रिय खातों के संबंध में कुल 24.43 लाख रु. के सेवा प्रभारों की कटौती 31 मार्च 2003 तथा 31 मार्च 2004 की अवधि की समाप्ति तक नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने के बाद मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, तमिलनाडु परिमंडल ने अप्रैल 2004 में उत्तर दिया कि 31 मार्च 2003 से पहले निष्क्रिय खातों पर सेवा प्रभार उगाहने के लिये अनुदेश जारी किये थे। महाराष्ट्र परिमंडल के अधीन परतवाडा प्र.डा.घ. के डाकपाल ने नवंबर 2004 में बताया कि 9023 खातों के संबंध में, 2.89 लाख रु. के सेवा प्रभार वसूल कर लिए गये थे। महाराष्ट्र परिमंडल के अधीन चालीसगांव प्र.डा.घ. के संबंध में भी, डाकपाल ने जुलाई 2004 में बताया कि आवश्यक सेवा प्रभार में कटौती की जायेगी तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

इस प्रकार, मार्च 2002 से पहले निष्क्रिय खातों पर सेवा प्रभार उगाहने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 24.43 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

4.7 लोक भविष्य निधि पर ब्याज का अनियमित भुगतान

लोक भविष्य निधि (लो.भ.नि.) नियमों के अनुपालन में पांच प्रधान डाकघरों (प्र.डा.घ.) की विफलता के परिणामस्वरूप लो.भ.नि. खाते पर 19.08 लाख रू. के ब्याज का अनियमित भुगतान हुआ।

लोक भविष्य निधि (लो.भ.नि.) योजना, 1968 में व्यवस्था है कि एक वर्ष में एक व्यक्ति 70000 रू. (15 नवंबर 2002 से पहले 60000 रू.) का अधिकतम अंशदान दे सकता है। सीमा से अधिक अंशदान अनियमित अंशदान माना जायेगा और अभिदाता को बिना किसी ब्याज के वापिस कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, लो.भ.नि. योजना के अधीन अभिदाता को निर्धारित प्रपत्र में लो.भ.नि. के अन्य खातों के विवरण जो इस घोषणा से खोले गये कि निर्धारित सीमा से अधिक किये गये जमा में कोई ब्याज भुगतान योग्य नहीं होगा, अभिदाता को खाता खोलने के लिये आवेदन करना होता है।

नियम यह भी अनुबंध करते हैं कि वित्तीय वर्ष जिसमें प्रारम्भिक अंशदान किया गया था, के बंद हो जाने की तिथि से 15 वर्षों की समाप्ति के बाद अर्थात् लो.भ.नि. खाता परिपक्वता तिथि पर बंद किया जा सकता है। अभिदाता योजना में एक अथवा पांच वर्षों से अधिक खण्डों में अंशदान जारी रख सकता है। इसके लिये, उसे परिपक्वता तिथि से एक वर्ष के भीतर अपना विकल्प देना चाहिये। ऐसे मामलों में यदि वह अपना विकल्प देने में विफल रहता है और जमा करना जारी रखता है, तो उन्हें अनियमित जमा माना जायेगा और उन पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

अप्रैल-जुलाई 2004 के दौरान दिल्ली परिमंडल में दो प्रधान डाकघरों (प्र.डा.घ.) तथा उत्तर प्रदेश परिमंडल में तीन प्र.डा.घ. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि:

- इन प्र.डा.घ. ने 36 लो.भ.नि. खातों को खोलना इस घोषणा को प्राप्त किये बिना, अनुमत कर दिया था कि वे अनुज्ञेय सीमा के बाद जमा की गई राशि पर ब्याज के भुगतान में पात्र नहीं होंगे और अधिक जमा की गई राशि पर 12.31 लाख रू. के ब्याज का अतिरिक्त भुगतान अनियमित रूप से किया।

- इनमें से दो प्र.डा.घ. ने विकल्प प्राप्त किये बिना परिपक्वता तिथि के बाद जमा किया था और 18 लो.भ.नि. खातों पर 6.77 लाख रु. के ब्याज का अनियमित भुगतान किया था।

इन चूकों के परिणामस्वरूप ब्याज में 19.08 लाख रु. का कुल अनियमित भुगतान हुआ।

प्र.डा.घ. ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और बताया कि वसूली के लिए कार्यवाही की जायेगी तथा अनुज्ञेय सीमा से अधिक राशि पर ब्याज के गैर भुगतान के बारे में आवश्यक घोषणा प्राप्त करने के लिये कार्रवाई की जायेगी। प्र.डा.घ. ने बताया कि ऐसे मामलों में जहां ब्याज का भुगतान परिपक्वता तिथि के बाद किया गया था, उनके लेज़र शेष में ब्याज की राशि डेबिट करने तथा संबंधित जमाकर्ता को शेष वापिस करने के लिये कार्रवाई की जायेगी।

वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

4.8 नियमों का उल्लंघन करके खोले गये खातों पर ब्याज का अनियमित भुगतान

“सरकारी क्षमता खातों” को खोले जाने के संबंध में नियमों का अनुपालन करने में मध्य प्रदेश परिमंडल में डाकपाल, होशंगाबाद के विफल रहने के परिणामस्वरूप 18.41 लाख रु. के ब्याज का अनियमित भुगतान हुआ।

डाकघर बचत खाता नियमावली 1981 में राजपत्रित सरकारी अधिकारी अथवा सरकारी कम्पनी/निगम के अधिकारी, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्थानीय प्राधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा नियुक्त प्राप्तकर्ता द्वारा सरकारी क्षमता खातों को खोलने की व्यवस्था है। उनके द्वारा यह प्रमाणपत्र देना अपेक्षित है कि धन व्यक्तियों अथवा निकाय की सम्पत्ति है जिनकी तरफ से खाता खोला जाना है। नियम सरकारी धन रखने के लिये खाता खोलने की अनुमति नहीं देते हैं। नियमों का उल्लंघन करके खोले गये ऐसे खाते ब्याज का भुगतान किये बिना बंद कर देने चाहिये। महानिदेशक डाक ने जुलाई 1987 में अनुदेशों की पुनरावृत्ति की।

अगस्त 2002 के दौरान मध्य प्रदेश में डाकपाल होशंगाबाद के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 1995-96 से 1996-97 की अवधि के दौरान विधायक निधि/ सांसद निधि के संबंध में कलैक्टर/ जिला आयोजना अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन

करके दो सरकारी क्षमता खातों के खोलने व प्रचालन की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप 18.41 लाख रू. की राशि के ब्याज का अनियमित भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने के बाद, मंत्रालय ने जनवरी 2005 में उत्तर दिया कि खातों पर अनुमत ब्याज वसूल कर लिया गया था और इन खातों में और जमाओं को अनुमत नहीं किया जा रहा था।

दूरसंचार विभाग

4.9 पृष्ठभूमि

1948 में, भारत में प्रति सौ की जनसंख्या पर लगभग 0.02 दूरभाष घनत्व के साथ केवल 0.1 मिलियन दूरभाष संयोजन थे। तब से 31 मार्च 2004 तक भारत में दूरभाष संयोजनों की संख्या प्रति सौ की जनसंख्या पर 7.02 दूरभाष घनत्व के साथ 76.5 मिलियन तक बढ़ गई है।

4.9.1 प्रशासन एवं नियंत्रण

दूरसंचार आयोग, जिसकी स्थापना जुलाई 1989 में की गई थी, के पास दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार की प्रशासकीय व वित्तीय शक्तियां हैं। दूरसंचार आयोग व दूरसंचार विभाग (दू.वि.) दूरसंचार सेवाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में काम कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के नीति निर्धारण व प्रशासन हेतु उत्तरदायी है।

दू.वि. 31 मार्च 2004 तक 1817 अधिकारियों/कर्मचारियों (वर्ग क-132, वर्ग ख-705, वर्ग ग-755 और वर्ग-घ-225) द्वारा प्रबंधित है।

4.9.2 दूरसंचार क्षेत्र में विकास

भारत में दूरसंचार सेवायें प्रदान करने में निजी आपरेटरों के प्रवेश की प्रक्रिया 1992 में आरम्भ हुई। मूलभूत दूरभाष सेवाओं का निजीकरण करने के अलावा सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि कई मूल्य युक्त सेवायें जैसे सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष, रेडियो पेजिंग, ई-मेल, इंटरनेट, क्लोज्ड यूज़र ग्रुप (सीयूजी), आदि निजी आपरेटरों के माध्यम से शुरू की जाये, जो वर्तमान मूलभूत दूरभाष सेवाओं के मूल्य में वृद्धि करती है। दूरभाषों की कुल संख्या में निजी क्षेत्र की भागीदारी मार्च 2003 को 21 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2004 को 39 प्रतिशत हो गई।

निजी सेवा सम्भरकों की प्रविष्टि से एक स्वतंत्र नियमन की अनिवार्यता भी आवश्यक हो गई। इसलिये संसद के अधिनियम जिसे भा.दू.वि.प्रा. अधिनियम 1997 कहा जाता है, के द्वारा 20 फरवरी 1997 को दूरसंचार सेवाओं को विनियमन के लिए भारत के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भा.दू.वि.प्रा.) की स्थापना की गई थी। 24 जनवरी 2000 को भा.दू.वि.प्रा. अधिनियम में एक अध्यादेश द्वारा संशोधन कर दिया गया था, दूरसंचार विवाद निपटान व अपीलीय ट्रिब्यूनल (दू.वि.नि.अ.ट्रि.) स्थापित करके भा.दू.वि.प्रा.से अधिनिर्णय तथा विवाद कार्यों को अलग कर दिया गया था। दू.वि.नि.अ.ट्रि. लाइसेंस देने वाले और लाइसेंस धारक के बीच दो अथवा उससे अधिक सेवा सम्भरकों के बीच तथा एक सेवा सम्भरक व उपभोक्ताओं के समूह के बीच किसी विवाद का अधिनिर्णय करता है। यह भा.दू.वि.प्रा. के किसी निर्देश, निर्णय अथवा आदेश के प्रति अपील भी सुनता व निपटान करता है।

4.10 लाइसेंस शुल्क तथा रॉयल्टी प्रभारों की विलम्बित वसूली पर ब्याज की हानि तथा वी सैट प्रणालियों एवं समर्पित रेडियो लिंक के लिए लाइसेंस शुल्क की वसूली न करना

निजी तौर पर स्वामित्व वाली वी सैट प्रणालियों व समर्पित रेडियो लिंक हेतु लाइसेंस फीस व रॉयल्टी के लिये संग्रहण करने में नियंत्रक, संचार लेखा मुंबई तथा महाप्रबंधक केरल दूरसंचार परिमंडल की विकलता से 9.11 करोड़ रु. की रैर वसूली तथा 1.44 करोड़ रु. के ब्याज की हानि हुई।

निजी पार्टियों द्वारा अधीनस्थ वैरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल (वी सैट) तथा समर्पित रेडियो/आप्टिकल फाइबर केबिल (आ.फा.के.) लिंक के प्रचालन व अनुरक्षण हेतु दूरसंचार विभाग (दू.वि.) को अनापत्ति प्रमाणपत्र (अना.प्र.) तथा लाइसेंस जारी करने का अधिकार है। लाइसेंस फीस या तो प्रणाली चालू किये जाने की तिथि के 18 महीनों के बाद, जो भी पहले हो, देय है। विभाग को बाद की अवधि के लिये लाइसेंस फीस की अग्रिम वसूली करनी होती है और वसूली समान तिमाही किश्तों में की जा सकती है। दू.वि. ने लाइसेंस फीस की वसूली के लिये दूरसंचार परिमंडलाध्यक्षों को नियंत्रण व बिलिंग प्राधिकारी नामांकित किया था। दूरसंचार सेवाओं के भा.स.नि.लि. में निगमित होने के बाद, नियंत्रण व बिलिंग प्राधिकारी का नामांकन 2002 तक जारी था। दू. वि. ने जनवरी 2003 में निर्णय लिया कि दूरसंचार परिमंडलाध्यक्षों के बजाय, नियंत्रक संचार लेखा संबंधित परिमंडलों के लिये नियंत्रक संचार लेखा, (नि.सं.ले), नियंत्रण व बिलिंग प्राधिकारी होंगे और परिमंडलों के अध्यक्षों/मुख्य महाप्रबंधक (मु.म.प्र.), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म.टे.नि.लि.) से सभी सुसंगत अभिलेख व आंकड़े संग्रहीत करेंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से एक मामले में निजी तौर पर स्वामित्व वाली वी सैट प्रणालियों व समर्पित रेडियो लिंक की विलम्बित वसूली पर ब्याज की हानि और दूसरे मामले में लाइसेंस फीस की गैर वसूली का पता चला जैसा कि नीचे वर्णित है:

मामला I

जुलाई 2003 में म.टे.नि.लि. मुम्बई के अधीन महाप्रबंधक (पट्टे पर दिये गये परिपथ) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मु.म.प्र.म.टे.नि.लि. मुम्बई ने दिसम्बर 1999 से मार्च 2004 की अवधि के लिये 8.85 करोड़ रु. की लाइसेंस फीस व रॉयल्टी संग्रहीत की जो कि रिलायन्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (रि.इं.लि.) तथा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (ब.स्टा.ए.) उपलब्ध कराये गये समर्पित हब तथा निजी वी सैट नेटवर्क के संबंध में है और दू.वि. को प्रेषण करने के बजाय म.टे.नि.लि. सेवाओं से आय को म.टे.नि.लि. लेखे में बुक किया। इसके बाद अगस्त 2003 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर महाराष्ट्र परिमंडल के उपनियंत्रक, संचार लेखा ने अप्रैल 2004 में बताया कि म.टे.नि.लि. ने 8.85 करोड़ रु. की राशि मार्च 2004 में भेज दी थी। इसके परिणामस्वरूप 1.44 करोड़ रु. के ब्याज की हानि हुई, जिसकी गणना रि.इं.लि. तथा ब.स्टा.ए. से वसूली की तिथि से मार्च 2004 तक अर्थात् दू.वि. को भेजे जाने की तिथि तक बैंक द्वारा सरकारी खातों में सरकारी प्राप्तियों के विलम्ब से प्रेषण के लिये लागू न्यूनतम 8 प्रतिशत की सन्तुलित दर पर की गई है।

मामला II

दूरसंचार जिला प्रबंधक कावाराती के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अप्रैल 1998 में अ.उ.आ. प्रणाली की स्थापना व प्रचालन हेतु लक्षद्वीप संघ क्षेत्र के पुलिस विभाग को अना.प्र. जारी किया गया था। अप्रैल 1999 में लक्षद्वीप के दस द्वीपों में ग्यारह स्टेशनों के साथ प्रणाली चालू की गई थी और लाइसेंस फीस उस तिथि से ही भुगतान योग्य हो गई थी। अना.प्र. के अनुसार, मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार केरल दूरसंचार परिमंडल प्रणाली के लिये बिलिंग व नियंत्रण प्राधिकारी था और निर्धारित दर के अनुसार लाइसेंस फीस के संग्रहण के लिये उत्तरदायी था। तथापि, परिमंडल ने प्रणाली के संबंध में 1999 से न तो मांग पत्र जारी किये और न ही लाइसेंस फीस की वसूली की थी। जनवरी 2003 में नियंत्रण व बिलिंग प्राधिकारी के कार्य को पुनः आबंटित किये जाने के बाद भी लाइसेंस फीस वसूल नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा के ध्यान में यह भी आया कि केवल तीन वर्षों तक अना.प्र. वैध था और दू.वि. द्वारा जारी अनेक नोटिसों के बावजूद भी सितम्बर 2004 तक इसे नवीकृत नहीं किया गया था। विभाग ने प्रणाली के प्रचालन हेतु कोई औपचारिक लाइसेंस भी जारी नहीं किया था।

इस प्रकार, अप्रैल 1999 से मार्च 2004 की अवधि के लिये 26.38 लाख रू. की लाइसेंस फीस बिना वसूली के पड़ी रही।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने के बाद, नि.सं.ले. तिरुवनन्तपुरम ने बताया (सितम्बर 2004) कि नवम्बर 2003 में पुलिस विभाग के प्रति 26.38 लाख रू. के बिल अप्रैल 1999 से मार्च 2004 की अवधि के लिये बनाये गये थे। वसूली विवरण प्रतीक्षित थे।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर/दिसम्बर 2004 में भेजा गया था; दिसम्बर 2004 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

4.11 म.टे.नि.लि. मुम्बई से अवकाश वेतन व पेंशन अंशदान के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की गैर वसूली।

नियंत्रक, संचार लेखा, दू.वि. सैल, महाराष्ट्र परिमंडल प्रतिनियुक्ति पर माने गये अपने कर्मचारियों के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म.टे.नि.लि.) मुम्बई से विलम्ब से प्राप्त अवकाश वेतन व पेंशन अंशदान पर 78 लाख रू. के ब्याज का दावा करने में विफल रहा।

अनुपूरक नियम 307 (1) अनुबंध करते हैं कि विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारी के संबंध में देय अवकाश वेतन अथवा पेंशन के लिये अंशदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त से 15 दिनों के भीतर वार्षिक रूप से किया जाना चाहिये। यदि भुगतान उपर्युक्त अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो उपर्युक्त अवधि की समाप्ति की तिथि से दो पैसा प्रतिदिन प्रति 100 रू. की दर पर बिना भुगतान के अंशदान पर सरकार को ब्याज का भुगतान उस तिथि में जब अंशदान का अंतिम रूप से भुगतान कर दिया गया हो, कर देना चाहिये।

नियंत्रक, संचार लेखा (नि.सं.ले.) दू.वि. सैल, महाराष्ट्र परिमंडल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2004) से पता चला कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म.टे.नि.लि.), मुंबई को अक्टूबर 2000 से मार्च 2003 की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त पर दू.वि. के कर्मचारियों के अवकाश वेतन व पेंशन योगदान 100 से 491 दिनों के बाद म.टे.नि.लि. से विलम्ब से प्राप्त हुए थे। इस विलम्बित भुगतान पर 78 लाख रू. का ब्याज बनता था जिसका दावा करने में नि.सं.ले. विफल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर नि.सं.ले. महाराष्ट्र परिमंडल ने फरवरी 2004 में दावा किया। भुगतान की प्राप्ति के विवरण प्रतीक्षित थे।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय V : संस्कृति मंत्रालय

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

5.1 आंतरिक नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप दुर्विनियोजन

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्टेशनरी की वस्तुओं को जारी करने तथा लेखांकन करने पर निर्धारित नियंत्रण रखने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 8.37 लाख रु. मूल्य की स्टेशनरी, वस्तुओं का दुर्विनियोजन हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 109(2) में यह निर्धारित है कि एक अधीनस्थ प्राधिकारी, जिसको भण्डार सौंपे गए हैं, चोरी, दुर्घटना, धोखाधड़ी या अन्य माध्यम से हानियां रोकने के विचार से उसके प्रभारधीन भण्डार के संबंध में उपयुक्त लेखे तथा सामान-सूचियों का अनुसंधान करेगा तथा सही रिपोर्ट तैयार करेगा जिससे किसी भी समय वास्तविक शेषों का दर्ज शेषों के साथ जांच करना संभव हो सके। इसके अतिरिक्त, सा.वि.नि. के नियम 115 की टिप्पणी 2 में यह व्यवस्था है कि भण्डार की समस्त सामान-सूचियाँ/लेखे की आंतरिक जांच की जानी चाहिए चाहे वे लेखापरीक्षा अधिकारी तथा/या लेखा अधिकारी, जैसा मामला हो, द्वारा किसी जांच के अधीन हों या न हों। सा.वि.नि. के नियम 119(2) के अंतर्गत भण्डार के आवधिक निरीक्षण का प्रावधान भी विद्यमान है।

वर्ष 2003-04 के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) की पुरातत्व शाखा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि स्टेशनरी की मदें, प्राप्त मांगपत्रों के आधार पर जारी की गई थीं तथा प्रापकों द्वारा प्राप्त की गई थीं। स्टेशनरी मदें जारी करते समय स्टॉक प्रविष्टियां नहीं की गई थी। माह के दौरान जारी स्टेशनरी मदों का समेकित विवरण किसी पर्यवेक्षीय स्टाफ द्वारा प्रमाणन किए बिना तैयार किया गया था। समेकित विवरण में भण्डार प्रभारी ने आंकड़ों में हेराफेरी की और इनको स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट कर दिया। 7.17 लाख रु. लागत के ए-4, ए 3 तथा एफ.एस. आकार वाले फोटोस्टेट पेपर 3207 रिमों तक अधिक जारी किए दर्शाए गए थे। वैसे ही 1.01 लाख रु. तथा 0.19 लाख रु. की लागत वाले क्रमशः डुप्लीकेटिंग पेपर के 1678 रिम तथा टाइपिंग पेपर के 307 रिम अधिक जारी किए गए दर्शाए गए थे। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि प्रशासनिक अधिकारी स्टॉक प्रविष्टियों का मूल अभिलेखों जैसे मांगकर्ताओं से प्राप्त मांगपत्रों/पावती आदि से मिलान करने में विफल रहा। इसके

अतिरिक्त, भा.पु.स. द्वारा आंतरिक जांच भी नहीं की जा रही थी। ये कमियाँ 8.37 लाख रु. मूल्य की स्टेशनरी वस्तुओं के दुर्विनियोजन में सहायक सिद्ध हुई।

भा.पु.स. ने दुर्विनियोजन को स्वीकार किया और बताया (जून 2004) कि भंडारकर्ता तथा प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध प्रधान दण्ड के लिए अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी तथा उनको स्थानान्तरित कर दिया गया था। भा.पु.स. ने यह भी सूचित किया कि निवारक उपाय किए जा रहे थे।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय VI : विदेश मंत्रालय

6.1 मुक्त राजदूत कार्यालय के सृजन पर परिहार्य व्यय

मंत्रालय ने बिना कोई अधिदेश निर्धारित किए न्यूयार्क में मुक्त राजदूत पद का सृजन किया। कार्यालय 15.95 करोड़ रु. का व्यय वहन करने के पश्चात् अक्टूबर 2004 में परिसम्पत्त कर दिया गया था।

विदेश मंत्रालय ने अगस्त 2001 में भारतीय दूतावास वाशिंगटन में एक सलाहकार तथा प्रवासी भारतीयों (प्र.भा.) एवं भारतीय मूल के व्यक्तियों (भा.मू.व्य.) के लिए मुक्त राजदूत (मु.रा.) के पद का सृजन किया। इसके साथ-साथ, मंत्रालय ने यह पद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक स्थायी निवासी को प्रस्तावित किया, जिसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा सितम्बर 2001 में न्यूयार्क स्थित कार्यालय का कार्यग्रहण किया। अक्टूबर 2001 में, मंत्रीमंडल ने पांच भारत आधारित एवं पांच स्थानीय पदों सहित कार्यालय को खोलना अनुमोदित किया। अक्टूबर 2004 में कार्यालय को परिसम्पत्त कर दिया गया था। मिशन पर सितम्बर 2004 तक कुल 15.95 करोड़ रु. का व्यय किया गया था।

निम्नलिखित बातें लेखापरीक्षा के ध्यान में आईं:

- 1. सरकार ने इस मु.रा. कार्यालय के लिए कोई विशिष्ट एवं पृथक अधिदेश नहीं दिया। वाशिंगटन स्थित मिशन और न्यूयार्क में केन्द्र के साथ कार्य निष्पादन में परस्पर हस्तक्षेप था। यद्यपि, पांच भारत आधारित पदों तथा पांच स्थानीय पदों को संस्वीकृत करने के आधार को लेखापरीक्षा द्वारा मार्च 2004 में मांगे जाने पर भी इसे प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- 2. दिसम्बर 2001 में सं.रा. सरकार ने नवनियुक्त मु.रा. को विदेशी राजनयिक के रूप में प्रत्यापित करने के लिए अधिकृत नहीं किया क्योंकि अन्य कारणों के साथ-साथ इसने सलाहकार या मुक्त राजदूत के पद को राजनयिक के रूप में मान्यता नहीं दी तथा एक ग्रीन कार्ड धारक को एक राजनयिक के रूप में अधिकृत नहीं किया जा सका।
- 3. अप्रैल 2002 में, सं.रा. राज्यविभाग ने भारतीय दूतावास द्वारा किए गए विशिष्ट अनुरोध को भी मना कर दिया। दिसम्बर 2002 में, मु.रा. को राजदूत का पद

प्रदान करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि का विशेष सलाहकार बनाया गया था।

- कार्यालय ने न्यूयार्क में विभिन्न परिसरों में होटल से नवम्बर 2001 तक मु.रा. के रिहाइशी आवासों से अप्रैल 2002 तक, अस्थायी कार्यालय आवास से अक्टूबर 2002 तक तथा पट्टा आवासों से सितम्बर 2002 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए, कार्य निष्पादन किया। कार्यालय आवास को किराए पर लेने के लिए किया गया व्यय, जब तक इसे अक्टूबर 2002 में नए परिसर में बदला गया था, 105,550 यू.एस.\$ समतुल्य 51.38 लाख रु. था।
- मंत्रालय ने कार्यालय के लिए जून 2002 में 220,000 यू.एस.\$ (1.07 करोड़ रु.) का वार्षिक किराया संस्वीकृत किया था। तथापि, पट्टे पर आवास की सितम्बर 2002 के विलेख ने, प्रथम वर्ष के लिए 224,000 यू.एस.\$ (1.09 करोड़ रु.) तथा दूसरे तथा तीसरे वर्ष के लिए 228,888 यू.एस.\$ (1.12 करोड़ रु.) के वार्षिक किराए के भुगतान की देयता सृजित की थी। 21,776 यू.एस.\$ (10.62 लाख रु.) की अतिरिक्त वित्तीय देयता की बाध्यता के लिए मंत्रालय की संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। इसने नियमों जिसमें प्रावधान है कि विद्यमान आवास पर निरन्तर किराया, पिछले किराए पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ केवल तभी अनुमत है जबकि पिछली संविदा न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि के लिए है, का उल्लंघन भी किया।
- सितम्बर 2002 के पट्टाविलेख में, तिथि से पहले, पट्टे को समाप्त करने की कोई धारा नहीं थी जैसा कि भारतीय विदेश सेवा से संबंधित नियमों के अंतर्गत अपेक्षित है। अतः मिशन, पट्टे की अवधि की समाप्ति तक अर्थात् अगस्त 2005 तक किराया तथा अन्य प्रभारों के भुगतान के लिए बाध्य था जबकि कार्यालय अक्टूबर 2004 में बन्द हो गया था।
- भारतीय महावाणिज्य दूतावास, न्यूयार्क ने, दिसम्बर 2001 की प्रभावी तिथि से, प्रथम वर्ष के लिए 168,000 यू.एस.\$ (81.03 लाख रु.) दूसरे वर्ष के लिए 180,000 यू.एस.\$ (86.81 लाख रु.) तीसरे वर्ष के लिए 204,000 यू.एस.\$ (98.39 लाख रु.) के वार्षिक किराए पर मु.रा. के लिए रिहाइशी आवास पट्टे पर लिया था। मंत्रालय ने नवम्बर 2003 में टिप्पणी की थी कि दूसरे वर्ष के लिए 15000 यू.एस.\$ (7.23 लाख रु.) प्रतिमाह का किराया बढ़ाकर, नियमों के अंतर्गत अपेक्षित अनुमोदन के बिना ही मिशन द्वारा पट्टे का नवीकरण किया

गया था। तथापि, मंत्रालय ने तीसरे वर्ष के लिए अप्रैल 2004 में 15000 यू.एस.\$ (7.23 लाख रु.) से 17000 यू.एस.\$ (8.20 लाख रु.) तक प्रतिमाह के किराए की वृद्धि संस्वीकृत की थी।

- नियमों के अंतर्गत कमीशन के रूप में भुगतानयोग्य एक माह के किराए 14,000 यू.एस.\$ (6.75 लाख रु.) के प्रति मु.रा. के रिहाइशी आवास को पट्टे पर लेने के लिए 25,200 यू.एस.\$ (12.15 लाख रु.) की दलाली अदा की गयी थी।
- मिशन ने अगस्त 2003 में 39395 यू.एस.\$ (18.28 लाख रु.) में एक कार खरीदी। मिशन ने जुलाई 2003 तक 132,000 यू.एस.\$ (63.39 लाख रु.) का व्यय वहन करते हुए एक कार किराए पर ली। यद्यपि, मिशन ने जून 2002 में निरन्तर किराए से बचने के लिए पट्टे पर एक कार लेना प्रस्तावित किया था, कार खरीदने में अत्यधिक विलम्ब हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप निरन्तर किराए पर लेने में 28310 यू.एस.\$ (13.54 लाख रु.) का परिहार्य व्यय हुआ।
- मंत्रालय की संस्वीकृति के बिना यू.एस.\$ 5780 की प्रत्यायोजित वित्त शक्तियों का अतिक्रमण करते हुए जनवरी-सितम्बर 2003 के दौरान कार्यालय के लिए 36100 यू.एस.\$ (17.10 लाख रु.) मूल्य का फर्नीचर खरीदा गया था।

इस प्रकार, बिना अधिदेश वाले मिशन के सृजन पर सितम्बर 2004 तक 15.95 करोड़ रु. की राशि खर्च की गयी थी।

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर जनवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

6.2 संतान शिक्षा योजना के अंतर्गत अग्राह्य मदों का अमालन

संतान शिक्षा योजना में अग्राह्य मदों हेतु निर्धारित दरसूली के अमालन के परिणामस्वरूप 14.22 लाख रु. का अनुचित लाभ हुआ, पूंजीगत निर्धारण तथा अन्य शुल्क के प्रति 1.11 करोड़ रु. के अप्राधिकृत व्यय का पता लगा।

भा.वि.से. (वे.छु.प्र.भ.) नियमावली, के अनुसार भारत सरकार, विदेश स्थित भारतीय मिशनों में तैनात भारतीय मूल के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय/शिक्षा शुल्क, प्रवेश शुल्क, पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाला/विज्ञान शुल्क तथा कम्प्यूटर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। पुस्तकें एवं स्टेशनरी, परिवहन, वर्दी, दोपहर के भोजन का शुल्क तथा क्षेत्रीय दौरों की लागत

अग्राह्य है। फिर भी, यदि अग्राह्य मदों के लिए शुल्कों को विद्यालय द्वारा एकीकृत विद्यालय शुल्क के रूप में, किसी ब्यौरे के बिना, प्रमाणित किए जाते हैं तो वे कर्मचारी से निर्धारित कटौती करने, के अधीन सरकार द्वारा देय होते हैं।

नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने बैलगेड, बर्नी, बिश्केक, हेमबर्ग, कीव, ओस्लो, पेरिस, वियेना, फ्रैंकफर्ट तथा ब्रुसल्स स्थित मिशनों के कर्मचारियों से पुस्तकों/स्टेशनरी, क्षेत्रीय दौरो तथा पाठ्यचर्या शुल्क के लेखे पर अग्राह्य मदों के प्रति 14.22 लाख रु. की वसूली न करने की ओर ध्यान दिलाया। आठ मामलों में, मिशन ने मंत्रालय को अग्राह्य मदों के संबंध में सूचित नहीं किया था। फरवरी 2000 से अगस्त 2004 के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाई गई 14.22 लाख रु. की वसूली के प्रति मिशनों तथा केन्द्रों ने अगस्त 2004 तक 2.73 लाख रु. की वसूली की थी जिसके विस्तृत ब्यौरे अनुबंध-क में दिए गए हैं।

संस्वीकृति के बिना व्यय

मंत्रालय के जनवरी 1999 के निर्देशानुसार पूँजीगत उद्ग्रहण/भवन शुल्क आदि के भुगतान के लिए मंत्रालय के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता थी क्योंकि ये मिशनों में तैनात कर्मचारियों के बच्चों की ओर से सरकार द्वारा ग्राह्य भुगतानों की सीमाक्षेत्र में नहीं आते थे।

चार मिशनों/केन्द्रों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 1996-97 से 2003-04 के दौरान पूँजीगत निर्धारण और अन्य शुल्कों के प्रति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना, अनुबंध-ख के अनुसार 1.11 करोड़ रु. का व्यय किया गया था।

फ्रैंकफर्ट तथा हेमबर्ग स्थित केन्द्र ने अप्रैल/मई 2004 में अपने उत्तर में सूचित किया कि कार्योत्तर संस्वीकृति हेतु मामला मंत्रालय के साथ उठाया गया था जबकि, पेरिस स्थित मिशन तथा मुनिच स्थित केन्द्र ने उत्तर नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त हेमबर्ग स्थित केन्द्र ने 2.62 लाख रु. के बराबर 6000 डी.एम. तथा 1534 यूरो के पूँजीगत शुल्क का अधिक भुगतान किया था।

मामला मंत्रालय को फरवरी 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

अनुबंध-क
अग्राह्य संतान शिक्षा भत्ता

क्र. सं.	मिशन/केन्द्र का नाम	वसूली योग्य कुल राशि		की गई वसूली		बकाया वसूली	
		स्थानीय करेसी	लाख रु. में	स्थानीय करेसी	लाख रु. में	स्थानीय करेसी	लाख रु. में ¹
क. पुस्तकों/स्टेशनरी के प्रति वसूली							
1.	बेलग्रेड	यू.एस.\$ 196.97	0.09	शून्य	शून्य	यू.एस.\$ 196.97	0.09
2.	बर्नी	सी.एच.एफ. 9604.05	3.42	1463.80	0.51	सी.एच.एफ. 8140.25	2.91
3.	विश्केक	यू.एस.\$ 1451.00	0.66	शून्य	शून्य	यू.एस.\$ 1451.00	0.66
4.	हेमबर्ग	डी.एम. 2703.00	0.79	शून्य	शून्य	डी.एम. 2703.00	0.79
		यूरो 1066.00	0.61	शून्य	शून्य	यूरो 1066.00	0.61
5.	कीव	यू.एस.\$ 3143.62	1.43	2781.17	1.27	यू.एस.\$ 362.45	0.16
6.	ओस्लो	नॉक 17809.50	1.15	शून्य	शून्य	नॉक 17809.50	1.15
7.	पेरिस	यूरो 3624.97	2.06	शून्य	शून्य	यूरो 3624.97	2.06
8.	वियेना	यूरो 1627.18	0.82	1407.49	0.70	यूरो 219.69	0.12
ख. क्षेत्रीय दौरे एवं पाठ्यचर्या शुल्क के संबंध में वसूली							
9.	फ्रैंकफर्ट	यूरो 3820.00	2.17	शून्य	शून्य	यूरो 3820.00	2.17
10.	हेमबर्ग	डी.एम. 450.00	0.13	शून्य	शून्य	डी.एम. 450.00	0.13
		यूरो 975.00	0.55	शून्य	शून्य	यूरो 975.00	0.55
11.	ब्रुसेल्स	यू.एस.\$ 759.02	0.34	570.65	0.25	यू.एस.\$ 188.37	0.09
	जोड़		14.22		2.73		11.49

अनुबंध-ख

पूँजीगत निर्धारण तथा अन्य शुल्क का अप्राधिकृत भुगतान

क्र.सं.	मिशन/केन्द्र का नाम	अवधि	मंत्रालय के पूर्वानुमोदन के बिना भुगतान की गई राशि		उद्देश्य
			स्थानीय करेसी	लाख रु. में	
1	पेरिस	फरवरी 1997 से जून 2003	यूरो 7800 और एफ.एफ.आर. 274000	28.20	पूँजीगत निर्धारण शुल्क
		2002-03 से 2003-04	यूरो 14560 और एफ.एफ.आर. 40000	11.75	प्रवेश शुल्क
2	फ्रैंकफर्ट	2002-03 से 2003-04	यूरो 76650	43.60	पूँजीगत निर्धारण शुल्क
3	हैमबर्ग	1996-97 से 2003-04	डी.एम. 80000 और यूरो 4602	25.89	पूँजीगत निर्धारण शुल्क
		मार्च 2000 से नवम्बर 2003	डी.एम. 720 और यूरो 1501	1.06	अन्य शुल्क ²
4	म्यूनिख	फरवरी 2003	यूरो 819	0.47	
	जोड़			110.97	

¹ मार्च 2004 के माह के लिए सरकारी विनिमय दर

² आई.बी.ओर आई.जी.सी.एस. परीक्षा शुल्क

6.3 वैट की वापसी में हानि

बर्लिन में चांसरी परिसर के निर्माण से संबंधित बिलों पर मूल्य संवर्धित कर प्रणाली (वैट) की वापसी का दावा करने में आंतरिक नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप 81.11 लाख रु. की हानि हुई।

भारत सरकार ने जनवरी 1998 में, बर्लिन में भूमि की लागत को छोड़कर लगभग डी एम 32 मिलियन (67.85 करोड़ रु.³) की लागत पर चांसरी परिसर के निर्माण का अनुमोदन किया। निर्माणकार्य 1999 में आरंभ किया गया तथा भवन मई 2001 में मिशन को सौंप दिया गया था। मंत्रालय की संस्वीकृति में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि परियोजना पर किया गया समस्त व्यय वैट की वापसी प्रक्रिया जो भारत सरकार को प्राप्त होगी, के लिए तैयार किया जाएगा। राजनयिक मिशनों द्वारा वैट की वापसी के दावे शासित करने वाला कानून सुस्पष्ट है तथा यह बताता है कि कैलेण्डर वर्ष के अंत तक वैट की चूकों की प्रतिपूर्ति करने का दावा उस वर्ष जिसमें निर्माणकार्य किया गया था, के बाद प्रस्तुत किया जाता है।

मिशन के वैट के दावे से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि वर्ष 2001 से संबंधित दो बिलों 147,652 डी.एम. 42.94 लाख रु.⁴ के बराबर तथा 131,264 डी.एम. 38.17 लाख रु.⁵ के बराबर के दावे 14 जुलाई 2003 को किए गए थे। इन दावों को 2002 तक प्रस्तुत कर देना चाहिए था। वैट वापसियों का दावा करने में विलम्ब के कारण दावों को संघीय वित्त कार्यालय, जर्मनी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।

मंत्रालय ने, 0.28 मिलियन डी.एम. 81.11 लाख रु. के बराबर के अस्वीकृत दावों के लिए लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते हुए जुलाई 2004 में बताया कि मिशन अस्वीकृत दावों की वापसी के मामले को आगे बढ़ा रहा था।

इस प्रकार, मिशन की वैट की वापसी के लिए समय पर दावा करने में विफलता के परिणामस्वरूप 81.11 लाख रु. राशि तक सरकार की विधिसंगत देय राशियों की हानि हुई।

³ संस्वीकृति में उल्लिखित डी एम 1 = 21 रु. की सरकारी विनिमय दर पर।

⁴ जर्मनी के डी.एम. से यूरो में परिवर्तन होने के समय पर प्रचलित 1 डी.एम. = 0.511292 यूरो की विनिमय दर पर तथा मार्च 2004 में प्रचलित 1 यूरो = 56.88 रु. की सरकारी विनिमय दर पर।

⁵ 258199.73 डी.एम. के दावे के प्रति 131264.79 डी.एम. का दावा अस्वीकार कर दिया था तथा 126934.94 डी.एम. के शेष दावे का जनवरी 2004 में भुगतान कर दिया था।

6.4 चालक की अनियमित नियुक्ति

भारतीय उच्चायोग, सिंगापुर में मंत्रालय के अनुमोदन के बिना स्थानीय चालक की अप्राधिकृत नियुक्ति के परिणामस्वरूप 56.48 लाख रु. का अनियमित व्यय किया गया।

दिसम्बर 1995 में विदेश सेवा निरीक्षक (वि.से.नि.) की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए भारतीय उच्चायोग सिंगापुर (मिशन) ने जुलाई 1996 में 12.99 लाख रु. की लागत पर एक नई अतिरिक्त कार खरीदी। मिशन की कारवाई वित्तीय शक्ति नियमावली, 1978, के प्रत्यायोजन की मद सं.15(ए), जिसके अनुसार यह केवल मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से ही कार खरीदी जा सकती थी, का उल्लंघन किया था। मंत्रालय ने अक्टूबर 1999 में मंत्रालय से कार्योत्तर संस्वीकृति प्राप्त की जिसे अप्रैल 2000 में प्रदान किया गया था। मिशन ने नई कार की खरीद करने की तिथि से मिशन में नियमित रूप से कार्य कर रहे तीन चालकों के अतिरिक्त एक स्थानीय चालक की नियुक्ति भी की। चूंकि मिशन ने केवल तीन नियमित चालकों के पद संस्वीकृत किए थे इसलिए वि.मं. के अनुमोदन के बिना एक अन्य चालक की नियुक्ति अनियमित थी। मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त चालक के पद की पूर्वव्यापी संस्वीकृति के लिए मिशन का अनुरोध (जुलाई 2002) स्वीकार नहीं किया गया था जिसके बजाय सितम्बर 2002 में एक चालक की जगह मिशन के लिपिकों के संस्वीकृत स्थानीय पदों में से एक का ग्रेड बढ़ाकर उसको पुनः पदनामित करने का सुझाव दिया गया था। मंत्रालय के परामर्श के बावजूद, मिशन ने चौथे चालक के पद को जारी रखा और जुलाई 2004 तक उसके वेतन एवं भत्तों पर 56.48 लाख रु. खर्च किए। इस प्रकार, मिशन द्वारा चौथे चालक के समयोपरि भत्ते सहित वेतन एवं भत्तों का प्रति किया गया 56.48 लाख रु. का समस्त व्यय अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामले पर, मिशन ने अगस्त 2004 में बताया कि वह अतिरिक्त चालक के पद की संस्वीकृति हेतु मंत्रालय को लिख रहा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उसके स्थानीय संस्वीकृत पदों में एक पद को बढ़ाने तथा पुनः पदनामित करने के लिए मंत्रालय के परामर्श पर कारवाई न करके मिशन ने न केवल अनियमितता को जारी रखा बल्कि अतिरिक्त व्यय भी किया क्योंकि मंत्रालय के परामर्श के अनुसार एक पद की बजाय दो पद चलाए जा रहे थे।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

6.5 अनियमित व्यय

जबकि भारत सरकार के आदेश केवल संघीय मंत्रिमंडलीय मंत्री के आवास पर 2.50 लाख रु. की लागत की फर्नीचर/विद्युतीय उपकरण की मदें उपलब्ध कराने की अनुमति देते हैं तथापि विदेश मंत्रालय ने विदेश सचिव के आवास के लिए 2000-2003 के दौरान फर्नीचर, साज सामान तथा वातानुकूलकों आदि पर 40.92 लाख रु. का अनियमित व्यय किया।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 6 के नीचे भारत सरकार के निर्णय में निर्धारित है कि लोक धनराशि से व्यय करने वाले या व्यय करने का प्राधिकार देने वाले प्रत्येक अधिकारी का वित्तीय औचित्य के उच्च स्तरों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। उससे लोक धनराशि में से व्यय करने के संबंध में वैसी ही सावधानी, जैसी कि एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी स्वयं की धनराशि में से व्यय करने में प्रयोग करता है, बरतने की आशा की जाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विदेश सचिव के आवास पर 2002-03 के दौरान फर्नीचर, साज-सामान तथा टिकाऊ मदें उपलब्ध कराने के लिए 31.26 लाख रु. खर्च किए गए थे जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मद	मात्रा	राशि	अभ्युक्तियां
1.	विखंडित वातानुकूलक	10	4.98	इनमें शयनकक्षों, पारिवारिक बैठक तथा लॉबी के लिए वातानुकूलक शामिल थे।
2.	सोफासैट	7	1.37	इनमें शयनकक्षों तथा टी.वी. लाउन्ज के लिए सोफासैट शामिल थे।
3.	बिस्तरें	5	1.50	इनमें मुख्य शयनकक्ष, पुत्री के शयनकक्ष तथा पुत्र के शयनकक्ष के लिए बिस्तरें शामिल थे।
4.	कालीन	6	2.95
5.	घरेलू टिकाऊ मदें	1 प्रत्येक	1.42	इनमें वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ऑवन, रेफ्रिजरेटर तथा कुकिंगरेंज शामिल थे।
6.	अन्य मदें	42	19.04	इनमें कॉफी टेबल, ब्रेकफास्ट टेबल, डाइनिंग टेबल तथा मुख्य शयनकक्ष, पुत्र के शयनकक्ष तथा पुत्री के शयन कक्ष हेतु फर्नीचर की मदें शामिल थीं।
	जोड़		31.26	

यद्यपि मंत्रालय ने विदेश सचिव के आवास के लिए उच्च कोटि के फर्नीचर की खरीद पर भारी व्यय इस आधार पर किया कि उसे विदेशी उच्चाधिकारियों का अतिथि सत्कार करना पड़ता था, लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि अधिकतर फर्नीचर परिवार के व्यक्तिगत उपयोग हेतु शयनकक्षों, बैठक तथा अन्य क्षेत्रों के लिए था। लेखापरीक्षा ने वि.मं. तथा वित्त मंत्रालय (वि.मं.) को विदेश सचिव के आवास में उपयोग की जाने वाली

मदों के लिए निर्धारित मान/धन संबंधी सीमा पर भारत सरकार के आदेश सूचित करने का अनुरोध किया। जबकि वि.मं. ने सितम्बर 2004 में बताया कि सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे, तथा विदेश सचिव के सरकारी आवास के लिए फर्नीचर का कोई वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया था फिर भी वित्त मंत्रालय का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2004)। किए गए व्यय पर इस तथ्य के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए कि भारत के संघीय मंत्रिमंडलीय मंत्री, जिनके कार्य प्रतिनिधित्व प्रकार के हैं, सर्वसम्मति रूप से उच्चतर हैं इसलिए सरकार ने फरवरी 2003 में उनके आवासों पर फर्नीचर तथा विद्युतीय उपकरण उपलब्ध कराने के लिए धनसंबंधी अधिकतम सीमा 2.50 लाख रु. नियत की थी। यहाँ तक कि 2000-02 के दौरान विदेश सचिव के आवास के लिए 9.66 लाख रु. की लागत की मदें जैसे कालीन, सोफा सैट, वैक्यूम क्लीनर, गैस सिलेंडर, कॉफी टेबल आदि खरीदी गई थी जिससे 2000-03 के दौरान कुल 40.92 लाख रु. का अनियमित तथा अनुचित व्यय हो गया था।

मंत्रालय ने सितम्बर 2004 में बताया कि फर्नीचर/साज़सामान की मदें विदेश सचिव की पद पर रहने की क्रियात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके आवास पर उपलब्ध कराई गई थी कि उसका सरकारी उत्तरदायित्व राजनयिकों तथा विदेशी उच्च अधिकारियों का अपने सरकारी आवास पर स्वागत करना तथा उनका अतिथि-सत्कार करना है। मंत्रालय ने आगे बताया कि ये मदें, विदेश में भारतीय मिशन के अध्यक्ष (भा.मि.अ.) को उपलब्ध कराई गई मदों के आधार पर दी गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विदेश में तैनात भा.मि.अ. की पात्रता विभिन्न शर्तों तथा नियमों के विभिन्न सैट जिनके नाम भा.वि.से.वे.छु.प्र.भ. नियम हैं, द्वारा शासित होती है तथा इसके बावजूद व्यक्तिगत क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए मदें उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं दी गई है। मंत्रालय ने आगे बताया कि उसने विदेश सचिव के आवास पर विभिन्न मदें उपलब्ध कराने के लिए मान निर्धारित करने के विचार से सहमत था। आगे की कार्रवाई फरवरी 2005 तक प्रतीक्षित थी।

6.6 आवास को पट्टे पर लेने के कारण अप्राधिकृत और परिहार्य व्यय

छांसरी परिसर में सरकार के अपने आवास उपलब्ध होने के बावजूद न्यूयार्क में चालक के लिए प्राइवेट आवास पट्टे पर लेने के कारण अक्टूबर 2003 तक 28.36 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

विदेश मंत्रालय (वि.मं.) द्वारा विदेशी मिशनों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के आवास का मापक्रम, भारतीय विदेश सेवा (वे.छु.प्र.भ.) नियमावली के अंतर्गत निर्धारित किया गया है

जिसमें यह अनुबद्ध है कि भारतीय मूल के चालकों को दूतावास तथा चांसरी परिसरों के बहिर्गृहों में आवास देना चाहिए यदि ऐसा न हो तो उनको निर्धारित मापक्रम के भीतर ऐसे स्थानों जहाँ इस स्तर के लोग सामान्यतः रहते हैं, पर पृथक रूप से आवास उपलब्ध कराना चाहिए।

भारतीय महा कांसुलेट, न्यूयार्क ने जून 2000 में वि.मं. को नई दिल्ली से तैनात होने वाले चालक को रहने के लिए चांसरी परिसर में दो कमरों के आवास की उपलब्धता के बारे में पुष्टि दी। वि.मं. ने अगस्त 2000 में कांसुल को चालक-पदनाम के लिए उसके परिवार के सदस्यों की संख्या देते हुए तीन कमरों वाले आवास देने को कहा। कांसुलेट ने अक्टूबर 2000 से 1600 यू.एस.\$ के मासिक किराए पर बैठक, डाइनिंग कक्ष तथा रसोईघर सहित तीन शयनकक्ष वाले आवास को पट्टे पर लिया तथा वि.मं. को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया। तदन्तर किराया अक्टूबर 2001 से 1650 अमरीकी \$ और अक्टूबर 2002 से 1700 यू.एस.\$ तक बढ़ा दिया गया था। दिया गया किराया दो कमरे वाले आवास में रह रहे सहायकों तथा उप कांसुलों के संबंध में दिए गए किराए जो क्रमशः 1475 तथा 1550 यू.एस.\$ प्रति माह की श्रेणी के बीच था, से अधिक था हालांकि सहायक तथा उप कांसुल के पद चालक से ऊंचे थे। इसके अतिरिक्त, आवास को एक माह से अधिक पहले 6 अक्टूबर 2000 से पट्टे पर लिया गया था हालांकि चालक ने 9 नवम्बर 2000 को ही न्यूयार्क में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया था।

यद्यपि विदेश में तैनात चालकों को सरकारी खर्चे पर अपना परिवार ले जाने का प्राधिकार नहीं दिया गया है, मंत्रालय ने अक्टूबर 2000 में जारी एक आदेश द्वारा चालक को, सरकारी पारपत्र जारी करने तथा उसके परिवार को चिकित्सा सुविधाओं की ग्राह्यता तक सीमित सरकारी देयता सहित अपने खर्चे पर अपने परिवार, जिसमें उसकी पत्नी तथा चार बच्चे हैं, को ले जाने की अनुमति दी थी। तथापि, वि.मं. ने अक्टूबर 2000 के आदेश में इसे सुस्पष्ट किया कि आवास पर कोई अतिरिक्त व्यय या अन्य किसी लाभ के लिए कहा गया हो, ग्राह्य नहीं होगा। वि.मं. द्वारा चालक के लिए तीन शयनकक्षों वाले आवास को पट्टे पर लेने की औपचारिक संस्वीकृति कभी नहीं दी गई थी। अतः अक्टूबर 2003 तक 28.36 लाख रु. के बराबर 59400 यू.एस.\$ का व्यय करके चालक के लिए आवास पट्टे पर लेना न केवल अप्राधिकृत था बल्कि परिहार्य था क्योंकि पात्र आवास सरकार द्वारा लिए गए चांसरी भवन में उपलब्ध था।

कांसुलेट ने नवम्बर 2003 में बताया कि आवास वि.मं. के अगस्त 2000 के पत्र के आधार पर किराए पर लिया गया था। उत्तर न्यायसंगत नहीं है क्योंकि वि.मं. का अगस्त 2000 के पत्र में कांसुलेट को उपयुक्त आवास का पता लगाने का अनुरोध किया गया

था वह अपने आप में संस्वीकृत नहीं था। इस मामले में, वि.मं. का तर्क स्पष्ट रूप से द्वैधवृत्ति वाला था क्योंकि एक तरफ तो उसने कांसुलेट को तीन कमरों वाले आवास का पता लगाने को कहा जबकि दूसरी तरफ उसने चालक के परिवार के रहने के लिए अतिरिक्त व्यय न करने का आदेश दिया।

मामला मंत्रालय को मार्च 2004 में भेजा गया था; उसका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

6.7 फालतू स्टाफ के वेतन तथा भत्तों पर अतिरिक्त व्यय

भारतीय उच्चायोग, नैरोबी में फालतू हो गये सहायकों को मंत्रालय द्वारा वापस लेने में विलम्ब करने और इसके अतिरिक्त एक सहायक की नियुक्ति के परिणामस्वरूप 22.72 लाख रु. का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

नवम्बर 2000 में, भारतीय उच्चायोग, नैरोबी (मिशन) द्वारा किये गये पुनरीक्षण ने दर्शाया कि भारतीय मूल के सहायकों के दो पद फालतू थे। तदनुसार, मिशन ने मंत्रालय को दिसम्बर 2000 में दो पदों का अभ्यर्पण कर दिया। मंत्रालय ने फालतू सहायकों का तत्काल स्थानान्तरण करने के बजाय, मार्च 2001 में एक अपर सहायक की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। मिशन ने मई 2001 में दुबारा मंत्रालय को फालतू सहायकों के बारे में सूचित किया और नए पदधारी की नियुक्ति को निरस्त करने का सुझाव दिया। जून 2001 में, मंत्रालय मिशन के सुझाव से इस आधार पर कि पदनामित व्यक्ति ने विदेश में नियुक्ति के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर ली थी, सहमत नहीं था। नए पदनामित ने अगस्त 2001 में मिशन में पदभार ग्रहण किया। तत्पश्चात् मिशन, ने विद्यमान फालतू सहायकों में से एक को अगस्त 2001 में और दूसरे को अक्टूबर 2001 में कार्यमुक्त कर दिया।

मंत्रालय न केवल यथोचित समय में दो फालतू सहायकों का स्थानान्तरण करने में असफल रहा बल्कि उसने स्टाफ संख्या से अधिक एक अन्य अपर सहायक की नियुक्ति कर दी (अगस्त 2004 तक जारी)। इसके परिणामस्वरूप दो फालतू सहायकों के वेतन तथा अन्य भत्तों पर 5.23 लाख रु. और अगस्त 2001 से जुलाई 2004 की अवधि के लिए अपर सहायक की नियुक्ति पर 17.49 लाख रु. के परिहार्य व्यय हुए। इस प्रकार, अप्रैल 2001 से जुलाई 2004 की अवधि के लिए कुल परिहार्य व्यय 22.72 लाख रु. था और 0.50 लाख रु. प्रतिमाह की दर पर यह जारी रहा। मंत्रालय का तर्क कि सिर्फ एक व्यक्ति मिशन में नियुक्त किया जाना था क्योंकि वह विदेश में नियुक्ति के लिए औपचारिकताएं पूरी कर चुका था, जबकि वहाँ उसके लिए कोई कार्य नहीं था, प्रत्यक्ष

रूप से अतर्कसंगत और अच्छे अभिशासन और व्यय की अर्थव्यवस्था के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

मामला लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मिशन ने अगस्त 2004 में बताया कि लेखे के कार्य के लिए एक सहायक का पद मिशन के लिए आवश्यकता बन चुका था और कार्यात्मक आधार पर पद के नियमन के लिए, मंत्रालय को प्रस्ताव किया जा रहा था। मिशन का उत्तर, स्टाफ संख्या के पुनरीक्षण के बाद लिए गए उसके अपने निर्णय का खण्डन करता है।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

6.8 मनमानी कार्रवाई के कारण निष्फल व्यय

उच्च आयुक्त, दार-ए-सलाम ने मनमाने ढंग से एक अताशे को चांसरी में उपस्थित न होने के आदेश दिए और उसे एक वर्ष से अधिक समय के लिए बिना काम के बिठाए रखा। मंत्रालय, जिसे मामला भेजा गया, भी मामला सुलझाने में या अधिकारी को भारत वापस भेजने या उसे किसी अन्य स्टेशन पर तैनात करने में विफल रहा। इससे उसके वेतन और निवास के किराए पर किया गया 14.93 लाख रु. का खर्च निष्फल रहा।

उच्च आयुक्त, दार-ए-सलाम ने 10 जून 2002 को एक कार्यालय आदेश जारी किया जिसमें भारतीय उच्च आयोग (भा.उ.आ.) में तैनात एक अताशे को अनुशासनहीनता और अवज्ञा के आधार पर मिशन में उपस्थित होने के लिए मना किया गया था। तत्पश्चात् मिशन के कर्मचारियों के बीच कार्य वितरण के संबंध में अक्टूबर 2002 और जून 2003 में जारी कार्यालय आदेशों से पता चला कि अधिकारी को कोई कार्य नहीं सौंपा गया था। अधिकारी ने किस तिथि से कार्यालय में दुबारा उपस्थित होना शुरू किया इसका अभिलेखों में कोई उल्लेख नहीं था लेकिन दिनांक 4 सितम्बर 2003 के एक कार्यालय आदेश का संदर्भ था जिसमें उसे कार्य सौंपा गया बताया गया था। इस प्रकार, अधिकारी 11 जून 2002 से 3 सितम्बर 2003 की अवधि के दौरान बिना काम के रहा और वेतन एवं भत्ते आहरित करता रहा।

उच्च आयुक्त द्वारा अपनायी गई कार्यविधि मनमानी थी और अधिकारी के विरुद्ध किसी उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई से प्रेरित नहीं थी। ऐसी कार्यविधि चुनने से, जो किसी अनुशासनात्मक नियमों के अंतर्गत नहीं आती थी, उच्च आयुक्त ने वेतन एवं भत्तों का आहरण जारी रखते हुए, एक वर्ष से अधिक अधिकारी को बेकार बिठाया था। मंत्रालय,

जिसे उच्च आयुक्त के आदेशों की एक प्रति भेजी गई थी, वह भी मामले को सुलझाने या उसे भारत वापस भेजने या किसी अन्य स्टेशन पर तैनात करने में विफल रहा। अवधि, जिसमें अधिकारी बिना काम के रहा, के दौरान भा.उ.आ. ने उसके वेतन एवं भत्तों पर 8.31 लाख रु. पदों पर औसत वार्षिक व्यय के आधार पर परिकलित, और उसे उपलब्ध कराए गए पट्टे पर लिए गए निवास स्थान के लिए किराए के भुगतान पर 6.62 लाख रु. खर्च किए।

मंत्रालय ने नवम्बर 2004 में बताया कि अपर सचिव (प्रशासन) ने सितम्बर 2003 में मिशन का दौरा किया और अताशे को तुरन्त पुनः तैनात करने के आदेश दिए। सम्बन्धित उच्च आयुक्त को उनकी कार्रवाई के प्रति अधिक सावधान रहने की चेतावनी भी दी थी। इस प्रकार, उच्च आयुक्त की मनमानी कार्रवाई के परिणामस्वरूप मिशन ने एक वर्ष से अधिक की अवधि, जिसके दौरान अताशे को कार्य नहीं दिया गया था, के लिए अताशे के वेतन एवं उसके आवास के किराए पर 14.93 लाख रु. का निष्फल व्यय किया था।

6.9 सरकारी धन की हानि

भारतीय उच्चायोग लंदन में कांसुल-मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफलता, अकुशल अनुश्रवण प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप 11.58 लाख रु. राशि की सरकारी धन की हानि हुई।

कांसुल-मैनुअल में सरकारी राजस्व के लीकेज से बचाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। एक दिन के लेनदेन पूर्ण होने पर दैनिक संग्रहणों को चालानों/जमा पर्चियों के माध्यम से चांसरी लेखाकार/कोषाध्यक्ष के पास जमा करना अपेक्षित होता है तथा चांसरी के अध्यक्ष द्वारा चालानों पर प्रतिहस्ताक्षर करना अपेक्षित होता है। मासिक निरीक्षण द्वारा यह सुनिश्चित करने, कि समस्त अभिलेखों का उचित ढंग से अनुसूक्षण किया गया है तथा माह का कुल कांसुल शुल्क रोकड़ बही में दर्शाई गई राशि से मेल खाता है, का भी उसका उत्तरदायित्व है।

भारतीय उच्चायोग, लंदन के अप्रैल 2001 से मार्च 2004 की अवधि के लिए पासपोर्ट प्राप्तियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पासपोर्ट काउंटर्स पर तैनात आकस्मिकता स्टाफ निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए दैनिक रोकड़ संग्रहण जमा करा रहे थे, और रोकड़ बहियां भी लिख रहे थे। मैनुअल द्वारा निर्धारित निरीक्षण भी नहीं किए जा रहे थे, जिससे आंतरिक नियंत्रण का अभाव प्रकट हुआ। अप्रैल 2001 से मार्च 2004 के दौरान पासपोर्ट प्राप्तियों, पासपोर्ट शुल्क रजिस्टर तथा बैंक में जमा

किए गए राजस्व के विवरण की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 11.58 लाख रु.⁶ के बराबर 15,398 जी.बी.पी. की सरकारी धनराशि कम जमा की गई थी।

मंत्रालय ने नवम्बर 2004 में तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि सरकारी धनराशि की हानि एक स्थानीय कर्मचारी द्वारा गबन करने के कारण हुई थी। कड़ा अनुश्रवण, नियंत्रण लागू करने तथा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए मिशन ने कई शोधक उपाय जैसे चांसरी-अध्यक्ष द्वारा पासपोर्ट विंग के अभिलेखों की आवधिक जांच करने तथा पासपोर्ट विंग के कर्मचारियों को विस्तृत अनुदेश जारी करके किए थे।

6.10 व्यक्तिगत लाभों के लिए शासकीय शक्तियों का दुरुपयोग

एक अधिकारी ने भारतीय दूतावास उलानबातर में जहाँ पर उसने चांसरी प्रमुख के रूप में कार्य किया था और समय-समय पर कार्यदूत के रूप में भी कार्य किया था अपने कार्यकाल के दौरान जानबूझ कर 10.89 लाख रु. का व्यक्तिगत लाभ उठाया था।

उलानबातर, मंगोलिया स्थित भारतीय दूतावास (मिशन) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एक अधिकारी 'एक्स', जिसने चांसरी प्रमुख (चा.प्र.) के रूप में कार्य किया था और समय-समय पर कार्यदूत के रूप में भी कार्य किया था, ने व्यक्तिगत लाभों के लिए भारत सरकार के अधिनियमों और प्रक्रियाओं की अवहेलना करते हुए शासकीय शक्तियों का दुरुपयोग किया था। उसके कुछ कार्य स्पष्ट रूप से सार्वजनिक धन के गबन के प्रतीक थे। लेखापरीक्षा में नमूना जाँच के दौरान देखी गई अनियमितताओं का विवरण नीचे दिया गया है:-

(क) 'एक्स' मई 2002 से 1210 यू.एस.\$ प्रति माह किराये पर एक फ्लैट में रह रहा था। 15 जनवरी 2003 को कार्यदूत के रूप में कार्य करते हुए उसने एक महिला से 1500 यू.एस.\$ के मासिक किराये पर एक अन्य फ्लैट पट्टे पर लिया था और उसके साथ पट्टे समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। अत्यधिक किराये पर नये आवास को लेने के लिए मंत्रालय से पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी। अधिकारी पट्टाकर्ता को छह महीने का किराया अर्थात् 9000 यू.एस.\$ (48.25 रु. प्रति रु. की दर पर 4.34 लाख भारतीय रुपये के बराबर) अग्रिम के रूप में देने के लिए दूतावास से नकद प्राप्त किया करता था। उसने महिला द्वारा हस्ताक्षर की गई प्राप्ति को प्रस्तुत किया था। उसने जनवरी 2003 और अगस्त 2003 के बीच दो ऐसे भुगतान के रूप में 18,000 यू.एस.\$ (15 जनवरी 2003 से 14 जुलाई 2003 और 15 जुलाई 2003 से 15 जनवरी 2004 की

⁶ संबंधित महीनों को लागू सरकारी विनियम दर पर।

अवधि के लिए 48.25 रु. प्रति \$ की दर से 8.52 लाख भारतीय रूपये के बराबर) प्राप्त किये थे। इस कार्यवाही में भारी अनियमितता थी और यह सरकार के अनुदेशों के विरुद्ध थी क्योंकि ऐसे भुगतानों को केवल बैंक अथवा बैंक अन्तरण द्वारा किया जाना था।

लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किये जाने पर, मिशन ने अगस्त 2004 में उपरोक्त अनियमितताओं को स्वीकार करते हुए सूचित भी किया कि महिला, जिसने पट्टाकर्ता के रूप में हस्ताक्षर किये थे, ने स्वीकार किया था कि वह वास्तव में फ्लैट की मालिक नहीं थी और 'एक्स' के अनुरोध पर पट्टे के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार सम्पूर्ण भुगतान पर सन्देह है और गहन जाँच की आवश्यकता है।

(ख) उलानबातर में इंडो-मंगोलियन संयुक्त विद्यालय परियोजना के अंतर्गत चार अध्यापकों को मंगोलिया में इंडो-मंगोलियन माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी और गणित पढ़ाने के लिए प्रतिनियुक्त किया था। मिशन अध्यक्ष ने अध्यापकों के लिए आवास किराये पर लेने के लिए 'एक्स' को प्रतिनियुक्त किया था जो उस समय चां.प्र. के साथ-साथ विद्यालय का निदेशक भी था। सितम्बर 2003 को चार फ्लैट किराये पर लिये गये थे जिसमें से तीन फ्लैट 300 यू.एस.\$ प्रति माह और एक फ्लैट 270 यू.एस.\$ प्रतिमाह किराये पर लिया गया था। तीन माह के किराये का भुगतान अग्रिम में किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि मिशन ने किराये का भुगतान तय किए गए किराये से अधिक दर पर किया था। सितम्बर 2003 से फरवरी 2004 की अवधि के दौरान 45.55 रु. प्रति \$ के विनिमय दर पर 2250 यू.एस.\$ यानि 1.02 लाख रु. के बराबर अधिक किराये का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किये जाने पर मिशन ने अगस्त 2004 में बताया कि यह अनियमितता उनकी जानकारी में अप्रैल 2004 में आई थी और जाँच करने पर विद्यालय के निदेशक ने बताया कि 'एक्स' के कहने पर अधिक भुगतान किया गया था जिसने मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत किये थे जिसमें वास्तविक किराये के आंकड़े को 'एक्स' ने अपने हस्तलेख से बदल दिया था। मिशन ने आगे बताया कि अप्रैल 2004 में इस अनियमितता को मंत्रालय को भेज दिया गया था।

(ग) लॉग बुक की संवीक्षा से पता चला कि अधिकारी ने फरवरी 2000 से सितम्बर 2003 के दौरान 43 बार स्टाफ कार का व्यक्तिगत उपयोग 13881 किलोमीटर (कि.मी.) की यात्रा करने के लिए किया था। इसके अतिरिक्त मंत्रालय की मंजूरी के बिना अधिकारी ने सितम्बर-अक्टूबर 2001 में रूसी फेडरेशन की 1855 कि.मी. व्यक्तिगत यात्रा की थी। अधिकारी ने स्टाफ कार पर 15736 कि.मी. दूरी की व्यक्तिगत

यात्रा की थी और इस प्रकार 6 रु. प्रति कि.मी. की दर पर उसके द्वारा 0.94 लाख रु. जमा किये जाने चाहिए थे।

(घ) उपरोक्त के अतिरिक्त, अधिकारी से, गृह छुट्टी यात्रा के दौरान गैर अनुमोदित मार्ग से यात्रा करने पर उच्चतर हवाई किराए का दावा करने, उसी स्टेशन पर एक आवास से दूसरे आवास पर व्यक्तिगत वस्तुओं के परिवहन पर अग्राह्य व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने, यात्रा के दौरान होटल व्यय और दैनिक भत्ते का अधिक आहरण करने और अपने आवास की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर किए गए अप्राधिकृत व्यय के 0.41 लाख रु. भी वसूली योग्य है।

इस प्रकार अधिकारी ने 10.89 लाख रु. तक के व्यक्तिगत लाभों के लिए जानबूझकर और बार-बार कार्य किये थे।

मंत्रालय ने नवम्बर 2004 में बताया कि उन्हें मामले की जानकारी थी। अप्रैल 2004 में मिशन की जाँच अपर सचिव (प्रशासन) और संयुक्त सचिव (मुख्य सतर्कता अधिकारी) द्वारा की गई थी जिसके फलस्वरूप अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रारंभ की जा चुकी थी।

6.11 खाली आवास पर परिहार्य व्यय

भारतीय महाकांसुलावास, हैमबर्ग ने, 22 महीनों से अधिक के लिए पट्टे पर लिये गए खाली आवास का रखरखाव किया, जिसके परिणामस्वरूप 10.72 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

भा.वि.से. (वे.छु.प्र.भ.) नियमावली का अनुबंध-X का पैरा 7(6) पट्टे पर लिए गए आवास के खाली अवरोधन के लिए तीन महीने की अधिकतम अवधि का और इससे अधिक अवरोधन के लिए मंत्रालय की अनुमति की मांग का अनुबन्ध करता है। मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश नियम का पालन करने पर बल देते हैं।

भारतीय महाकांसुलावास, हैमबर्ग (केन्द्र) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि केन्द्र ने लेन्गेलोह से 144, 22609 हैमबर्ग में पट्टे पर लिए गए एक आवास को 22 महीने से अधिक के लिए खाली रखा। यह अवलोकित किया गया कि उत्तरवर्ती के आगे की घोषणा हुए बगैर, अधिभोक्ता ने 30 सितम्बर 2001 को केन्द्र छोड़ दिया था। अप्रैल 2002 में चयनित उत्तरवर्ती ने केन्द्र में कार्य-ग्रहण नहीं किया था। अन्ततः, उत्तरवर्ती ने पूर्ववर्ती की स्वानगी के लगभग दो वर्ष बाद, 25 अगस्त 2003 को कार्यग्रहण किया था। पट्टे पर लिए गए आवास का अवरोधन, आरम्भ से ही न्यायसंगत नहीं था क्योंकि तीन

महीने की ग्राह्य अवरोधन अवधि के समाप्त होने के बाद भी किसी उत्तरवर्ती ने कार्यग्रहण नहीं किया था। अभी तक केन्द्र ने प्रत्यायोजित शक्तियों में अस्पष्टता होने के बावजूद, पट्टे पर लिए गए खाली आवास का निरन्तर अवरोधन करने के लिए, मंत्रालय का अनुमोदन नहीं मांगा था। इसके परिणामस्वरूप, 1 अक्टूबर 2001 से 15 अगस्त 2003 तक किराये (10.46 लाख रु.), टेलीफोन और बिजली प्रभारों (0.26 लाख रु.) पर परिहार्य व्यय हुआ।

महाकांसुल ने उत्तर में बताया (जून 2004) कि उपकांसुल लेखे और प्रशासनिक मामलों का एकमात्र प्रभारी था और उसने उत्तरवर्ती को कार्यग्रहण करने अथवा आवास को किराये से हटाने की व्यवस्था करने के लिए सुस्पष्ट अनुदेश दिए थे। केन्द्र ने आगे बताया कि वह मंत्रालय से कार्योत्तर मंजूरी मांगेगा।

सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना 22 महीनों से अधिक की अवधि के लिए खाली आवास के अवरोधन के लिए केन्द्र की लापरवाही के परिणामस्वरूप 10.72 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

6.12 एक महाकांसुल द्वारा अग्रिम का अनुचित अवरोधन

भारत के महाकांसुल वेनकोवर ने दो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के सम्बन्ध में, जून 2000 में उसके द्वार: आहरित 20446 कनेडियन \$ 6.01 लाख रु. के बराबर के अव्ययित अग्रिम को वापस नहीं किया था। उसने राशि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, जुलाई 2004 में वापस की थी। कांसुलावास ने नियमों के अन्तर्गत वसूल किए जाने वाला 2.69 लाख रु. का दायित्वक ब्याज वसूल नहीं किया था।

नियम अनुबद्ध करते हैं कि सरकारी कर्मचारी द्वारा लिया गया अग्रिम, यात्रा के पूरे होने के 15 दिनों के भीतर समायोजित किया जाएगा, जिसके न करने पर, ब्याज सहित समग्र राशि की वसूली की जाएगी। इस सम्बन्ध में निर्धारित ब्याज की दर, सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि शेष पर अनुमत ब्याज दर से दो प्रतिशत अधिक है।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जून 2000 में, भारत के महाकांसुल, वेनकोवर को माननीय मंत्री के सम्बन्ध में, विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस में शामिल होने के लिए, कालगोरी, कनाडा की उनकी यात्रा के दौरान, उनके आवास, वाहन इत्यादि का प्रबन्ध करने तथा बिलों को समायोजन के लिए मंत्रीमंडल सचिवालय को भेजने का अनुरोध किया। इसी प्रकार, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जून

2000 में अन्तर्राष्ट्रीय खाद्यान्न परिषद द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल होने के लिए, रेगिना कनाडा की यात्रा हेतु एक मंत्रीमण्डलीय दल के लिए महाकांसुल को, पंजीकरण प्रभारों तथा स्थानीय दौरो के लिए भुगतान का प्रबन्ध करने का अनुरोध किया।

महाकांसुल ने, उपरोक्त दौरो के सम्बन्ध में व्यय करने के लिए जून 2000 में 22000 कनेडियन \$ 6.47 लाख रु. के बराबर और 11000 कनेडियन \$, 3.24 लाख रु. के बराबर, के दो अग्रिम कांसुलावास से आहरित किए और राशियों को क्रमशः सार्वजनिक वितरण विभाग और मंत्रीमंडल सचिवालय को लेखांकित किया। सम्मेलनों के पूरा होने पर, महाकांसुल ने 12000 कनेडियन \$ की राशि, जून 2000 में यह कहते हुए वापस की कि 21000 कनेडियन \$ कालगोरी में व्यय हुए थे, जिसके लिए, वह और कांसुल जोकि सम्मेलन में शामिल हुए थे, अलग से लेखे प्रस्तुत करेंगे। अतः महाकांसुल द्वारा वापस की गई 12000 कनेडियन \$ की राशि, कांसुलावास ने सार्वजनिक वितरण विभाग को क्रेडिट की थी। जुलाई 2000 में, महाकांसुल ने कनाडा खाद्यान्न परिषद से वापसी के रूप में प्राप्त 553.54 कनेडियन \$ की राशि सार्वजनिक वितरण विभाग को क्रेडिट की।

जून 2001 से, लेखापरीक्षा द्वारा बारम्बार इंगित किए जाने के बावजूद महाकांसुल ने कार्यालय में अपनी कार्यकाल के दौरान न तो लेखे प्रस्तुत किए न ही 20446.46 कनेडियन \$ की बकाया राशि वापस की। कांसुलावास ने अव्ययित अग्रिम को अक्टूबर 2003 में जारी अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में शामिल कर केवल महाकांसुलावास की नियुक्ति के अगले कार्यालय को वसूल करने के लिए सूचित किया। 20446.46 कनेडियन \$ की राशि तीन वर्षों से अधिक के लिए खजाने से बाहर रही।

कांसुलावास ने अगस्त 2004 में बताया कि पूर्व महाकांसुल ने जुलाई 2004 में, 20446.46 कनेडियन \$, 6,81,481 रु. के बराबर के बकाया अग्रिम वापस कर दिए थे। तथापि, कांसुलावास, वापसी के विलम्ब के कारणों और लगभग 2.69 लाख रु. के दायित्वक ब्याज जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित था, की वसूली के बारे में मौन था।

मामला मंत्रालय को मार्च 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

6.13 अत्यधिक नकद शेष के अविवेकपूर्ण अवरोधन के कारण ब्याज की आवर्ती हानि

विदेश में मिशनों और केन्द्रों द्वारा आवश्यकता से अधिक नकद शेषों को न रखने के लिए विदेश मंत्रालय के अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप पहले कई अवसरों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बावजूद 1.38 करोड़ रु. के ब्याज की हानि हुई।

विदेश में मिशनों और केन्द्रों को विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, आवश्यकतानुसार छः सप्ताह की सीमा तक निधियों को रखने की अनुमति दी जाती है। विदेश में भारतीय मिशनों और केन्द्रों की नकद आवश्यकता की पूर्ति, मासिक या आवधिक प्रेषणों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में विदेश मंत्रालय द्वारा की जाती है। मिशनों और केन्द्रों द्वारा समय-समय पर प्राप्त ऐसे प्रेषणों को सामान्यतः उनके द्वारा बैंक खाते में रखा जाता है जिन पर ब्याज के रूप में कोई आय नहीं मिलती। आवधिक नकद प्रेषणों के अतिरिक्त मिशनों और केन्द्रों द्वारा वाणिज्यिक सेवाओं के माध्यम से भी राजस्व अर्जित करते हैं, उसको भी उसी प्रकार जमा कराया जाता है।

मिशन और केन्द्र नकद शेष को, छः सप्ताह की आवश्यकताओं से अधिक लगातार रोकते रहे, यद्यपि लेखापरीक्षा ने पहले⁷ बहुत से अवसरों पर निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक रोकड़ शेषों के अवरोधन को उजागर किया था जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की परिहार्य हानि हुई। मंत्रालय, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुसरण में बार-बार इस बात पर बल दे रहा था कि विदेश में मिशन और केन्द्रों को, अपनी नकदी आवश्यकताओं की छः सप्ताह की अवधि को ध्यान में रखकर प्रत्येक माह, वास्तविक निर्धारण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन अपेक्षाओं से अधिक रखा गया नकद शेष या तो प्रत्यावर्तित किया गया था या भावी प्रेषणों के प्रति समायोजित किया गया था। आगे मंत्रालय ने मिशनों और केन्द्रों को बार-बार दिसम्बर 2000, जुलाई 2001, जुलाई 2002 तथा जून 2003 में विशेष तौर पर सलाह दी थी कि छः सप्ताह पूर्ति के लिए नकद शेष का अनुरक्षण अनिवार्य नहीं था बल्कि यह एक माह की आवश्यकता के बराबर रोक कर भी संभव हो जाना चाहिए।

तथापि, विदेश में विभिन्न मिशनों और केन्द्रों की मार्च 2003 तथा सितम्बर 2004 के बीच की गई लेखापरीक्षा से पता चला कि मंत्रालय के अनुदेशों तथा लेखापरीक्षा की बार

⁷ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च 1996, मार्च 1997, मार्च 1999, मार्च 2000, मार्च 2001, मार्च 2002 और मार्च 2003 को समाप्त वर्षों के प्रतिवेदन सं.2 के क्रमशः पैरा सं. 4.4,4.5,8.14,8.7,9.4,4.7 तथा 2.14 देखें।

बार अभ्युक्तियों के उपरान्त भी नकद प्रबन्धन में सुधार के लिए व्यापक गुंजाइश थी। अप्रैल 2000 तथा जुलाई 2004 के बीच 21 मिशनों और केन्द्रों (अलमेटी, आबूधाबी अल्जीयर्स, एथेन्स, बेरूत, बर्लिन, ब्रूनेई, बूकारेस्ट, कैनबरा, दारेसलाम, काबुल, कीव, मपूतो, निकोशिया, पोर्टलुईस, सिंगापुर, स्टाकहोम, सूवा, फिजी, वियाना, वैलिंगटन तथा यांगोन) ने बिना उचित औचित्य के, नौ से 48 माह की भिन्न-भिन्न सीमा अवधि के लिए छः सप्ताह की अपेक्षाओं से अधिक नकद शेष रखे थे। इनमें से छः मिशनों और केन्द्रों (अलमेटी, एथेन्स, बर्लिन, बूकारेस्ट, किव तथा स्टाकहोम) ने पहले भी ऐसे अत्यधिक शेषों को रखा था, जिसे उनके तथा मंत्रालय के ध्यान में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के माध्यम से लाया गया था। इसके कारण 10.03 प्रतिशत की दर से परिकल्पित ब्याज की अनुमानित हानि 1.38 करोड़ रु. बनेगी। इस संबंध में सुसंगत विवरण अनुबन्ध के रूप में शामिल है।

21 मिशनों और केन्द्रों में से जिनके पास अत्यधिक नकद था, तीन मिशनों/केन्द्रों (एथेन्स, बर्लिन, तथा बूकारेस्ट) ने अपनी गलती को स्वीकार किया और भविष्य में अनुपालन के लिए आश्वासन दिया। स्टाकहोम स्थित मिशन ने जनवरी 2004 में बताया कि उन्होंने नवम्बर-दिसम्बर 2003 के दौरान मंत्रालय को 200,000 यू.एस.\$ प्रेषित किए और इन महीनों में मंत्रालय से प्रेषण प्राप्त करना बन्द कर दिया।

विदेश में मिशनों और केन्द्रों को अपेक्षाओं से अत्यधिक नकद शेष रखने से परिलक्षित होता है कि मंत्रालय के अनुदेशों तथा आवधिक आश्वासनों का पालन नहीं किया गया है। मंत्रालय के अनुदेशों की निरन्तर अवहेलना से हुई ब्याज की आवर्ती हानि के मामले को अधिक गंभीरता से उत्तरदायित्व पूर्वक संबोधित करने की आवश्यकता रेखांकित होती है।

मामला मंत्रालय को जुलाई/अक्टूबर 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

अनुबन्ध

मिशन/केन्द्रों द्वारा अत्यधिक नकद शेष के अवरोधन के कारण ब्याज की हानि दर्शाने वाली विवरणी

मिशन/केन्द्र	लेखापरीक्षा में परीक्षण-अवधि	माह की संख्या जिस दौरान अत्यधिक नकद रहा	माह में रहे अत्यधिक नकद की अधिकतम राशि	10.03 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की हानि
आबूधाबी	जुलाई 2002 से फरवरी 2004	12	97.21	5.80
अलजीयर्स	जून 2001 से मई 2004	32	105.49	8.63
अलमेटी	अप्रैल 2002 से मार्च 2003	11	19.03	1.02
एथेन्स	जून 2002 से मार्च 2004	11	41.75	2.18
बेरुत	फरवरी 2002 से जून 2004	26	61.93	4.57
बर्लिन	अप्रैल 2002 से अगस्त 2003	14	121.76	7.03
ब्रूनई	जनवरी 2002 से फरवरी 2003	9	19.94	0.86
बुकारेस्ट	नवम्बर 2001 से मई 2003	12	17.68	1.01
कैनबरा	मई 2000 से मार्च 2004	12	151.79	6.46
दारेसलाम	अप्रैल 2002 से मार्च 2003	12	45.64	2.27
काबुल	जनवरी 2003 से जुलाई 2004	15	245.33	14.46
किव	अक्टूबर 2002 से अक्टूबर 2003	13	221.87	14.04
मापूटो	अप्रैल 2000 से मार्च 2004	48	227.66	19.66
निकोसिया	सितम्बर 2000 से मार्च 2004	40	92.62	10.13
पोर्टलुईस	अप्रैल 2001 से मार्च 2004	20	91.08	4.53
सिंगापुर	अप्रैल 2001 से फरवरी 2004	15	215.23	7.23
स्टॉकहोम	अप्रैल 2002 से मई 2003	12	85.73	3.44
सुवाफिजी	अप्रैल 2000 से मई 2004	18	65.36	3.58
वियेना	जनवरी 2003 से जनवरी 2004	13	117.14	8.93
वैलिंगटन	दिसम्बर 2000 से मार्च 2003	22	42.04	3.09
यांगोन	अप्रैल 2002 से जून 2004	24	103.91	8.80
जोड़				137.72

अध्याय VII : वित्त मंत्रालय

विनिवेश विभाग

7.1 मुम्बई में भा.हो.नि. के होटलों की बिक्री

जुहू सेन्टौर तथा एयरपोर्ट सेन्टौर दो होटलों की बिक्री कार्य-सम्पादन को प्रतियोगिता का लाभ उठाए बिना एकमात्र बोली के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था। सम्पत्तियों के मूल्यांकन के दौरान पूर्वधारणा तथा एयरपोर्ट सेन्टौर के आरक्षित मूल्य निर्धारण में तथा मंत्रालय द्वारा दूसरे मामलों में अपनायी गई प्रक्रियाओं में विसंगतियां थीं। बिक्री को सुसाध्य बनाने के लिए जुहू सेन्टौर के बोलीकर्ता को समय बढ़ाने तथा रियायत देने की निरन्तर अनुमति दी गई थी।

एयर इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक भारतीय होटल निगम (भा.हो.नि.) ने मुम्बई में जुहू सेन्टौर और एयरपोर्ट सेन्टौर दो पाँच सितारा होटल परिचालित करती थी। विनिवेश मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए विनिवेश आयोग ने दिसम्बर 1997 में इन होटलों को बेचने की सिफारिश की जिसे एयर इंडिया द्वारा जुलाई 1998 में स्वीकार कर लिया गया था।

बिक्री प्रक्रिया में, आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए सम्पत्तियों को मूल्यांकन करना, होटलों के अधिग्रहण हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित करना, फर्मों द्वारा अभिव्यक्त इच्छा पैकेज के आधार पर उनकी लघुसूची बनाना, चुनी गई फर्मों से गोपनीयता अनुबन्ध निष्पादित करवाना, सम्यक तत्परता अभ्यास⁰ कार्यपूर्ण करना, वित्तीय बोली प्रस्तुत करना और सफल बोलीकर्ता का चयन करना सन्निहित था।

दोनों होटलों की बिक्री प्रक्रिया एयर इंडिया द्वारा आरंभ की गई थी जिसने फरवरी 2000 में वैश्विक सलाहकार¹ और जून 2001 परिसम्पत्ति मूल्यांकक² नियुक्त किए थे। बिक्री प्रक्रिया का प्रबंधन एयर इंडिया द्वारा गठित उप समिति द्वारा किया गया। सुनाम प्रतिष्ठान³ आधार पर होटल अधिग्रहित करने की इच्छा की अभिव्यक्ति का आमंत्रण, बोलीकर्ताओं की छँटनी तथा सम्यक तत्परता अभ्यास के चरण मई 2001 तक पूर्ण किए गए थे।


⁰ वांछनीयता, मूल्य और व्यवसाय की क्षमता के मूल्यांकन हेतु सभी विशिष्ट पूर्वधारणाओं एवं तथ्यों की ध्यानपूर्वक पुष्टि करने का कार्य।

¹ मै. जार्डिन फ्लेमिंग प्राइ.लिमि.।

² मै. कांति क्रान्से एंड कम्पनी।

³ सुनाम प्रतिष्ठान का तात्पर्य ऐसे प्रतिष्ठान से है जिसके व्यापार का निरन्तर प्रचालन अतिरिक्त पूंजी एवं उत्कृष्ट तकनीकी तथा कार्य कुशल प्रबंध व्यवस्था के अन्तर्गमन से हो सकता है।

सरकार के निर्णय के आधार पर विनिवेश मंत्रालय ने सितम्बर 2001 में विक्रय प्रक्रिया का कार्यभार संभाला। मंत्रालय ने विनिवेश की प्रक्रिया की व्यवस्था के लिए नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में विनिवेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, तथा नागर विमानन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और एयर इंडिया तथा भा.हो.नि. के प्रबन्ध निदेशकों को शामिल करते हुए एक मूल्यांकन समिति का गठन किया तथा अनुमोदनों के लिए निम्नलिखित चैनल अपनाए।



अक्टूबर 2000 में जुहू सेन्टौर के लिए 20 पार्टियों तथा एयरपोर्ट सेन्टौर के लिए 21 पार्टियों से इच्छा की अभिव्यक्तियां प्राप्त हुई थी। जुहू सेन्टौर के मामले में तीन पार्टियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था और अकेले बोलीकर्ता मै. टुलिप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमि. को प्रतियोगिता में छोड़कर 16 ने बोली वापस ले ली थी। एयरपोर्ट सेन्टौर के मामले में चार अयोग्य घोषित किए गए, 13 ने बोली वापिस ले ली तथा शेष चार ने सम्यक तत्परता अभ्यास किया था। तथापि, केवल एक बोलीकर्ता मै. बतरा होस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमि. ने वित्तीय बोली प्रस्तुत की। इस प्रकार वित्तीय बोली देने के लिहाज से दोनों विक्रियाँ अन्ततः एकमात्र बोलीकर्ता लेनदेनों के रूप में परिवर्तित हो गईं।

जुहू सेन्टौर की बिक्री मार्च 2002 में तय हो गई तथा 153 करोड़ रु. वसूल किए गए। एयरपोर्ट सेन्टौर अप्रैल 2002 में 83 करोड़ रु. में बेचा गया था। लेनदेनों की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ।

सीमित प्रतियोगिता

विनिवेश के मामलों में प्रतियोगिता की विश्वसनीयता तब तक नहीं होती जब तक विक्रेता द्वारा बोलीकर्ताओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के सकारात्मक कदम न उठाए जाएं। लेखापरीक्षा उत्पन्न प्रतियोगिता की पर्याप्तता की जांच नहीं कर

सका क्योंकि उपयुक्त प्रतियोगिता उत्पन्न करने तथा प्रतियोगितात्मक दबाव बनाए रखने संबंधी सरकार के प्रयासों का आभास अभिलेखों से प्रकट नहीं होता था। सम्पर्क उल्लेख, बोलीकर्ताओं के साथ संवाद तथा जुहू सेन्टौर के मामले में सोलह पार्टियों तथा एयरपोर्ट सेन्टौर के मामले में तेरह पार्टियों द्वारा सम्यक तत्परता अभ्यास किए बिना ही नाम वापस लेने के कारणों को अभिलेखित नहीं किया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में जनवरी 2005 में बताया कि रूचि रखने वाली पार्टियों द्वारा प्रक्रिया से अपना नाम वापस लेने का निर्णय उनके अपने व्यावसायिक निर्णय थे तथा वैश्विक सलाहकार उन पर एक निश्चित सीमा से अधिक सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सका था। इसके बावजूद भी वैश्विक सलाहकार ने मौखिक रूप में बारंबार उनकी रूचि जागृत रखने का प्रयास किया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सलाहकार संभावी खरीदकर्ताओं से किए गए संपर्कों एवं अन्य संचारों का समान रूप से अभिलेख अनुरक्षित रखें। उत्तर से विक्रय प्रक्रिया में लगातार सीमित प्रतियोगिता बनाए रखने से निबटने के लिए सरकार के हस्तक्षेप एवं विशेष प्रयासों के प्रमाण संबंधी लेखापरीक्षा की आपत्तियों का समाधान नहीं होता।

होटलों के मूल्यांकन के लिए की गई पूर्वधारणाओं में असंगतियां

डी.सी.एफ. प्रणाली: डी.सी.एफ. प्रणाली एक व्यापार के वर्तमान मूल्य को उसके भावी आय क्षमता के फलन के रूप में दर्शाती है। भावी रोकड़ प्रवाहों को उपयुक्त छूट के दर पर छूट दी जाती है। वार्षिक रोकड़ प्रवाह वार्षिक कर बहिर्प्रवाह की कटौती करके प्राप्त किये जाते हैं जिसमें ऋण सेवा के प्रति कर बचाव का लाभ उठाते हुए कार्यशील पूँजी में निवेशित वृद्धि राशि तथा मूल्यह्रास और कर से पहले वार्षिक लाभ से पूँजीगत व्यय सम्मिलित होते हैं। छूट-घटक ऋण ईक्विटी अनुपात, ऋण की लागत तथा ईक्विटी की लागत का एक फलन है। ऋण तथा ईक्विटी की उच्च लागत की अवधारणा से छूट घटक बढ़ जाएगा जिससे मूल्यांकन न्यून होगा।

वैश्विक सलाहकार ने चारों अनुमोदित मूल्यांकन प्रणालियों छूट रोकड़ प्रवाह प्रणाली, (डी.सी.एफ.) सम समूह तुलनात्मक प्रणाली, तुलनपत्र प्रणाली तथा परिसम्पत्ति मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग करके दोनों सम्पत्तियों का मूल्य नवम्बर 2001 में आंका जिससे बिक्री के आरक्षित मूल्य का नियतन किया जा सके। चार प्रणालियों में से मूल्यांकन समिति ने डी.सी.एफ. प्रणाली के आधार पर आरक्षित मूल्य तय किया।

डी.सी.एफ. प्रणाली का उपयोग करते हुए वै.स.ने जुहू सेन्टौर के लिए 81.70 करोड़ रु. से 121.60 करोड़ रु. और एयरपोर्ट सेन्टौर के लिए 63.20 करोड़ रु. से 88.90 करोड़ रु. की मूल्य सीमा निर्धारित की। लेखापरीक्षा ने मूल्यांकन प्रक्रिया में अंतर्निहित पूर्वधारणाओं में विसंगतियां पाई जिसने सम्पत्तियों के उद्यम-मूल्य को कम कर दिया।

- (i) ऋण के उच्चतर लागत की पूर्वधारणा: दोनों होटलों के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन समिति ने आयकर पर अधिभार की उपेक्षा करते हुए स्थिर निगम कर दर की वैश्विक सलाहकार की पूर्वधारणा को स्वीकार किया। निम्नतर कर दर मानने से ऋण की लागत 8.45 प्रतिशत तक बढ़ गई। यदि दो प्रतिशत पर (2002-03 में अधिभार की दर) अधिभार को ध्यान में रखा गया होता तो ऋण की लागत 8.36 प्रतिशत पर कम हो गई होती। ऋण की उच्चतर लागत मानने के परिणामस्वरूप जुहू तथा एयरपोर्ट सेन्टौर में दोनों सम्पत्तियों का कम मूल्यांकन हुआ।

मंत्रालय ने बताया कि जब मूल कंपनी कर दर (35 प्रतिशत) स्थिर रही थी तब अधिभार परिवर्तित हो गया था इसलिए जानबूझकर इसकी उपेक्षा की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2001 से जनवरी 2002 के दौरान भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, कम्प्यूटर मॅटेनेन्स कापोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड के विनिवेश के अन्य कई मामलों में मूल्यांकन के लिए दो प्रतिशत या अधिक अधिभार को ध्यान में रखा गया था जिसे मंत्रालय ने स्वीकार किया था। इस प्रकार मंत्रालय का दृष्टिकोण असंगत था। इसके अतिरिक्त, अधिभार कंपनी कर के लिए लगभग स्थिर योग बना हुआ था। 1995-2005, दस वर्ष की अवधि में अधिभार आठ वर्षों के लिए उद्ग्रहित था जो उच्चतम 15 प्रतिशत तथा न्यूनतम दो प्रतिशत रहा था। इस प्रकार समझदारी की बात तो यह होती कि व्यवसाय के मूल्यांकन में वर्षानुवर्ष सततता को ध्यान में रखते हुए अधिभार के प्रभाव को गणना में लिया जाता।

- (ii) ईक्विटी की उच्चतर लागत की पूर्वधारणा: मूल्यांकन समिति ने दोनों होटलों के मामले में भारत एल्यूमिनियम कम्पनी, इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड कम्प्यूटर मॅटेनेन्स कापोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान टेली प्रिन्टर्स लिमिटेड के विनिवेश के अन्य मामलों में विचारित 10 वर्षों के विरुद्ध 25 वर्षों से अधिक प्रतिफल के आधार पर वैश्विक सलाहकार की जोखिम रहित दर* पूर्वधारणा को स्वीकार किया था। लम्बी अवधि जोखिम रहित दर को लेने से 10 वर्ष अवधि के लिए जोखिम रहित दर 9.3 प्रतिशत के प्रति 9.9 प्रतिशत पर उच्चतर परिकल्पित की गई थी। लम्बी

* जोखिम रहित दर पूर्वानुमान अवधि के आगे दीर्घकालीन अवधि में वर्तमान मूल्य पर आधारित भा.स. की प्रतिभूतियों पर परिपक्वता का प्रतिफल है।

अवधि की पूर्वधारणा से, ईक्विटी की लागत[♥] बढ़ गई थी, जिससे संपत्ति का मूल्य कम हो गया था।

मंत्रालय ने जून 2004 में बताया कि ईक्विटी की परिपक्वता अनिश्चित होती है और चूँकि अनिश्चित परिपक्वता वाले सरकार के बन्ध पत्र विद्यमान नहीं होते अतः 25 वर्षों की लम्बी अवधि के भारत सरकार के एक बन्ध पत्र को आधार माना गया था।

मंत्रालय ने जनवरी 2005 में आगे कहा कि ये पूर्वधारणाएं तथा प्रणाली एक से दूसरे विशेषज्ञ के मामले में भिन्न हो सकती हैं। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि विशेषज्ञ तो मूल्यांकन प्रणाली में भिन्नता कर सकते हैं लेकिन मंत्रालय को किसी एक प्रणाली के अन्तर्गत मूल्यांकन हेतु आंतरिक पूर्वधारणाओं में एक रूपता सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में, जहां एक ही बोलीकर्ता मामला हो और मूल्य नियतन ही बोली के मूल्यांकन आधार हो, इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है।

एयरपोर्ट सेन्टौर: आरक्षित मूल्य निर्धारित करने का असंगत तरीका

मूल्यांकन के पश्चात्, मूल्यांकन समिति ने आरक्षित मूल्य निर्धारित किए थे। लेखापरीक्षा ने एयरपोर्ट सेन्टौर के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारण करने में नीचे वर्णित विवरण के अनुसार असंगतियां पाईं:

वैश्विक सलाहकार ने 76.20 करोड़ रु. के आधार मद मूल्य[Ⓢ] के साथ एयरपोर्ट सेन्टौर के लिए मूल्यांकन रेंज 63.20 से 88.90 करोड़ रु. तय किया था। मूल्यांकन समिति ने नवम्बर 2001 में 76.20 करोड़ रु. आधार मद मूल्य पर आरक्षित मूल्य निर्धारित किया था। एक मात्र बोलीकर्ता से प्राप्त वित्तीय बोली 65.00 करोड़ रु. थी जो आरक्षित मूल्य से कम थी। इसलिए बोली नवम्बर 2001 में स्वीकार नहीं की गई थी।

दिसम्बर 2001 में, विनिवेश पर केबिनेट समिति ने भावी बोलीकर्ताओं से अच्छा प्रस्ताव सुनिश्चित करने के लिए भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण (भा.ए.प्रा.) को देय आवर्त

[♥] ईक्विटी की लागत = जोखिम रहित दर + (ईक्विटी जोखिम प्रीमियम x β), जहां एक कम्पनी का β (बीटा) स्टॉक बाजार जोखिम के अतिरिक्त व्यवसाय के मूल जोखिम को दर्शाता है

[Ⓢ] आधार मद मूल्य डी.सी.एफ. पद्धति पर निकाले गए मूल्यों की रेट की माध्यिका।

उद्ग्रहण को छः से घटाकर दो प्रतिशत अनुमोदित कर दिया था। आवर्त उद्ग्रहण की कमी संपत्ति का मूल्य बढ़ाने के लिए प्रभाव डालती थी।

वैश्विक सलाहकार ने निम्नतर आवर्त उद्ग्रहण^७ के साथ जनवरी 2002 में संपत्ति का नये सिरे से मूल्य निकाला और 92 करोड़ रु. के आधार मद मूल्य के साथ 78.30 करोड़ रु. से 105.70 करोड़ रु. के बीच उच्च मूल्यांकन किया था। तथापि, मूल्यांकन समिति ने जनवरी 2002 में 92 करोड़ रु. आधार मद मूल्य की बजाय 78.30 करोड़ रु. पर निम्नतर रेंज पर आरक्षित मूल्य निर्धारित किया था। पूर्व प्रक्रिया में विपथन से आरक्षित मूल्य 13.70 करोड़ रु. से कम हो गया था। पहले दौर की केवल चार योग्य इच्छुक पार्टियों से निविदाएं आमंत्रित की गई थीं और उसी बोलीकर्ता ने 83 करोड़ रु. की एकमात्र बोली प्रस्तुत की थी जो कि आधार मद मूल्य से नौ करोड़ रु. कम परन्तु निम्नतम मूल्य से अधिक थी।

मूल्यांकन समिति ने प्रथम चरण में न केवल एयरपोर्ट सेन्टोर के लिए बल्कि अन्य होटल, जुहू सेन्टोर के लिए भी आधार मद मूल्य पर आरक्षित मूल्य निर्धारित किया था। उसी समिति ने एयरपोर्ट सेन्टोर के लिए दूसरे चरण में आधार मद मूल्य से निम्नतर आरक्षित मूल्य निर्धारित किया था। मंत्रालय का असंगत तरीका, जिसके परिणामस्वरूप आरक्षित मूल्य निम्नतर हुआ, विचित्र प्रतीत होता है।

मूल्यांकन समिति ने आरक्षित मूल्य को कम करना इन आधारों पर न्यायसंगत ठहराया (जनवरी 2002) कि

- इस तथ्य के बावजूद कि मुम्बई में होटल के कमरों की क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी, मूल्यांकन में वै.स. द्वारा उद्योग-औसत से तुलना करने पर एयरपोर्ट होटलों का उच्च अधिभोग अपनाया गया था।
- अधिभोग के अनुमानित स्तर तक पहुँचने के लिए उद्यमशील विपणन के बावजूद कमरों का स्तर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पूँजीगत व्यय की आवश्यकता थी।
- 11 सितम्बर 2001 की घटनाओं के पश्चात होटल, पर्यटन एवं विमानन उद्योग में मंदी की स्थिति हो गई थी।

यह दावा कि उच्चतर अधिभोग अपनाया गया था, प्रश्नगत है, क्योंकि मुम्बई में हवाई अड्डा स्थित होटल ने ऐतिहासिक रूप से औसत उद्योग से उच्चतर अधिभोग प्राप्त

^७ भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण को आवर्त उद्ग्रहण के रूप में भुगतान की जाने वाली आवर्तन राशि।

किया है। आगे, वैश्विक सलाहकार ने सी.आर.आई.एस. आई.एन.एफ.ए.सी. रिपोर्ट 2001 के आधार पर अधिभोग दर को मान्यता दी थी और अधिक कमरों की आपूर्ति के कारण 2003 एवं 2004 के दौरान अधिभोग दरों में पहले ही गिरावट पर विचार किया था। दूसरी पूर्वधारणा कि अधिभोग स्तर अनुरक्षित करने के लिए उच्चतर पूँजीगत व्यय आवश्यक था, तर्क संगत नहीं है क्योंकि वैश्विक सलाहकार ने भा.हो.नि. के वर्ष 2001-02 तथा 2000-01 के क्रमशः अनुमानित पूँजीगत व्यय 4.30 लाख रु. तथा 5.50 लाख के प्रति, 7.5 लाख रु. प्रति कमरे की दर से कमरों के नवीकरण के लिए पहले ही अत्यधिक उच्चतर नवीकरण मूल्य की कल्पना की थी। सितम्बर 11 के बाद उद्योग में गिरावट स्तर एक अस्थायी विशिष्टता थी। लम्बी अवधि पर लघु अवधि शर्तों की विद्यमानता की कल्पना एक प्रश्न सदृश थी।

मंत्रालय ने जनवरी 2005 में न्यूनतम रेंज पर आरक्षित मूल्य के नियतन को इस आधार पर, कि मूल्यांकन समिति के सभी सदस्य होटल/पर्यटन उद्योग तथा होटल की तत्कालीन प्रत्यक्ष/वित्तीय स्थिति से भली-भांति परिचित थे, न्यायोचित ठहराया। स्थिति के गुण और दोष पर विचार करने के पश्चात वे दोनों अवसरों पर निर्णय पर पहुँचे थे। उसने आगे बताया कि होटल की भूमि/भवन क्रेता को 29 वर्षों के लिए पट्टे पर स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा पट्टे की अवधि के लिए भा.ए.प्रा. द्वारा 81.25 करोड़ रु. प्राप्त किए जाएंगे।

मंत्रालय का प्रत्युत्तर, यह विचार करते हुए कि सभी कारणों के पूर्ववत् होने पर भी यहाँ तक कि बोलीदाता ने बोली को 65 करोड़ रुपये से 83 करोड़ रुपये यानि 18 करोड़ रु. तक बढ़ा दिया था, न्यायसंगत नहीं है। मूल्यांकन समिति ने तथापि दूसरे चरण में अपना तरीका बदल दिया जिसके परिणामस्वरूप टर्नओवर उद्ग्रहण को छः प्रतिशत से दो प्रतिशत तक घटाने के बाद भी पूर्व आरक्षित मूल्य में केवल 2 करोड़ रु. जोड़े गए थे। भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण के राजस्वों पर टर्नओवर उद्ग्रहण की कटौती के प्रभाव पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ सरकार वाणिज्यिक (लोक क्षेत्र उपक्रम) के वर्ष 2004 के प्रतिवेदन सं.3 में पहले ही टीका-टिप्पणी की गई थी।

जुहू सैन्टोर: सौदे के दौरान शिथिलता

लेखापरीक्षा के ध्यान में कुछ असंगतियाँ छूट/विपथन ध्यान में आए जो जुहू सैन्टोर के एक मात्र बोलीकर्ता को प्रस्तावित किए गए थे जिन पर नीचे चर्चा की गयी है:-

- (i) **बोलीकर्ता की वित्तीय क्षमता की संवीक्षा अपर्याप्त थी:** बोलीकर्ता ने इच्छा की अभिव्यक्ति स्तर पर जैसा कि उनकी वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन करने के

लिए इच्छा की अभिव्यक्ति-पैकेज में भेजा जाना अपेक्षित था, तीन वर्षों की बजाय दो वर्षों के लिए मै. कोक्स एवं किंग्स ट्रेवल्स एण्ड फाइनेंस लिमि. (पुनर्नामित मे. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड) के अप्रमाणित लेखे अक्टूबर 2000 में भेजे थे। तथापि, नवम्बर 2001 में वित्तीय बोली देते समय बोलीकर्ता ने उल्लेख किया कि ट्यूलिप हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कम्पनी जिसे सितम्बर 2000 में खड़ा किया गया था, जिसकी जारी तथा अदा की गई पूंजी 2000 रु. की थी, को मे. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड द्वारा जुहु सैन्टोर सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त वित्तीय बोली पैकेज की अपेक्षानुसार बोलीकर्ता ने अभिग्रहण हेतु निधियों का स्रोत उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में एक छोटे द्वीप वाले देश में पंजीकृत एक बैंक से होना दर्शाया था। यह दर्शाया गया था कि उक्त बैंक बोलीकर्ता से अपेक्षित कुछ सक्रिय अनुपालनों के अधीन सौदे की वित्त व्यवस्था के लिए सशर्त अनुमोदन के लिए सहमत हो गया था। वित्त के सशर्त अनुमोदन के चलते निधियों की उपलब्धता अनिश्चित हो गई थी। इस प्रकार, सौदे की वित्तव्यवस्था के लिए आवश्यक निधियों के स्रोत के स्पष्ट सूचक के बिना बोलीकर्ता की वित्तीय बोली को स्वीकार करना वित्तीय बोली पैकेज की निर्धारित अपेक्षाओं के विरुद्ध था।

- (ii) *बोली देने वाले को बारंबार विस्तार की संस्वीकृति:* सरकार के निर्णय के अनुसार बोली देने वाले को खरीद की समस्त राशि जमा करना तथा 22 दिसम्बर 2001 तक बेचने का अनुबन्ध तथा एस्करो अनुबंध निष्पादित करना अपेक्षित था। तथापि, बोलीकर्ता को 22 दिसम्बर 2001 एवं 10 मार्च 2002 के बीच तीन विस्तार देते हुए अन्य बहुत सी छूट अनुमत की गयी थी जिसका विवरण निम्नप्रकार है:

निधियों का प्रबन्ध करने में अक्षम होने पर बोलीकर्ता ने अनुरोध किया था (दिसम्बर 2001) और मंत्रालय ने 31 जनवरी 2002 तक विस्तार संस्वीकृत किया था। विस्तार की एक शर्त थी कि बोलीकर्ता को 31 दिसम्बर 2001 तक 15.30 करोड़ रु. जमा कराने होंगे और मंत्रालय विस्तृत अवधि के लिए शेष पर ब्याज प्रभारित करेगा। ब्याज की दर तथापि सुनिश्चित नहीं थी। बोलीकर्ता ने 26 दिसम्बर 2001 को दावा किया कि ब्याज उद्ग्रहणीय नहीं था क्योंकि उसने वैध कारणों के लिए विस्तार मांगा था जिसको मंत्रालय ने गुण के आधार पर संस्वीकृत किया था। बोलीकर्ता की दलील को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने ब्याज प्रभारित नहीं किया। बोलीकर्ता ने 31 दिसम्बर 2001 को शर्त वाले चैक

द्वारा 15.30 करोड़ रु. जमा कराए थे जिसे केवल बोलीकर्ता से बेचने का अनुबन्ध होने पर ही भुनाया जा सकता था। चूँकि बेचने का अनुबन्ध केवल लेनदेन की समाप्ति पर किया जा सकता था, इसका प्रभावी अर्थ हुआ कि चैक भुनाया नहीं जा सकता था।

31 जनवरी 2002 की संशोधित बढ़ाई गयी अवधि के अंत में बोलीकर्ता ने लेनदेन कार्य को पूर्ण करने के लिए 9 मार्च 2002 तक समय बढ़ाने का पुनः अनुरोध किया। मंत्रालय ने इसे स्वीकार कर लिया और फरवरी 2002 में भुगतान के लिए अनुसूची संशोधित की।

- (iii) शर्तों का उल्लंघन करने के बावजूद बैंक गारंटी नहीं भुनाई गई: 31 जनवरी 2002 की प्रथम अंतिम तिथि का जब अनुपालन नहीं किया गया था, तब मंत्रालय ने पाँच करोड़ रु. की बैंक गारंटी, जो बोलीकर्ता से प्राप्त हुई थी, को नहीं भुनाया। बोलीकर्ता 15 फरवरी 2002 को जो तिथि द्वितीय संशोधित भुगतान अनुसूची में संस्वीकृति हुई थी 5.30 करोड़ रु. का प्रथम भुगतान करने में भी चूककर्ता साबित हुआ। मंत्रालय ने इस बार बैंक गारंटी भुनाने पर विचार किया और इस सम्बन्ध में बोलीकर्ता को सूचित किया। तथापि, 23 फरवरी 2002 को बोलीकर्ता के साथ हुई बैठक के बाद इस बार भी बैंक गारंटी नहीं भुनाई गई।
- (iv) मंत्रालय ने विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभारित नहीं किया: विक्रय संबंधी लेनदेन 11 मार्च 2002 को पूर्ण हो गया था। 22 दिसम्बर 2001 से 11 मार्च 2002 तक की अवधि के लिए विलम्बित भुगतान पर 10.48 प्रतिशत की दर से (तत्कालीन भा.स. की उधार की औसत दर) 3.12 करोड़ रु. का ब्याज प्रभार्य था। इस प्रकार मंत्रालय ने विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभारित किए बिना ही विस्तार की अनुमति प्रदान कर बोलीकर्ता के अनुरोध को स्वीकार किया था।
- (v) सौदे के लिए वित्त की व्यवस्था आसान करने के लिए मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया: वित्तीय बोली के अनुसार, निधियों का स्रोत विदेशी बैंक था, जिसे बोलीकर्ता द्वारा फरवरी 2002 में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र बैंक संघ को तदन्तर परिवर्तित किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में से एक ने एक शर्त लागू की थी कि सौदे के लिए वित्त की व्यवस्था के प्रति संवितरण करने से पूर्व भारतीय होटल निगम के साथ बिक्री-करार को हस्ताक्षरित हो जाना चाहिए। बोलीकर्ता के अनुरोध पर, मंत्रालय ने जनवरी 2002 में इस बैंक के साथ

मामले में हस्तक्षेप किया, जो न केवल पूर्व में लागू शर्त को शिथिल करने के लिए सहमत हुआ बल्कि बाद में, फरवरी 2002 में, सौदे के लिए प्रमुख बैंक भी बन गया था। 23 फरवरी 2002 को मंत्रालय ने बैंक संघ के साथ पुनः बैठक की थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि बैंकों को बोलीकर्ता के साथ ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित किए जाने थे और 9 मार्च 2002 को प्रमुख बैंक के पास उनकी संबंधित बचनबद्धता जमा करानी थी। बोलीकर्ता के अनुरोध पर वर्तमान एजेन्ट के स्थान पर बोलीकर्ता के मुख्य वित्तदाता को एजेन्ट के रूप में नियुक्त करते हुए मंत्रालय निलम्ब लेख एजेन्ट को बदलने के लिए भी सहमत हो गया था। परिवर्तन ने, निलम्ब लेख अनुबन्ध मसौदे के मूल रूप का उल्लंघन किया कि निलम्बलेख एजेन्ट को, निलम्बलेख लेख में जमा कराए गए बकाया खरीद मूल्य में कोई रूचि नहीं होनी चाहिए। निलम्बलेख एजेन्ट में परिवर्तन से अनुबन्ध की उपरोक्त उल्लिखित धारा भी निकाल दी गयी थी।

मंत्रालय ने जनवरी 2005 में बताया कि अनेकों अन्य मामलों में, विनिवेश विभाग ने अनुमत किया कि जब तक मूल कम्पनी अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण न कर ले तब तक कम्पनी के उपार्जित पूंजीगत शेयरों को या तो निवेश साधन (एस पी वी) के रूप में या कम्पनी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। तथापि, बोलीकर्ता की वित्तीय क्षमता के अपर्याप्त निर्धारण से सम्बन्धित मामलों पर, मंत्रालय का उत्तर मौन था।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बोलीकर्ता को विस्तारण और शिथिलीकरण प्रदान करने को निम्नलिखित आधारों पर न्यायसंगत ठहराया:-

- 153 करोड़ रु. के मूल्य पर जुहु सेन्टोर की बिक्री की समाप्ति जो कि 101.60 करोड़ रु. के निर्धारित आरक्षित मूल्य से काफी अधिक थी, वांछनीय थी क्योंकि प्रक्रिया, समय और प्रयास की यथेष्ट हानि को शामिल करते हुए नए सिरे से आरम्भ की जानी पड़ती और सितम्बर 2001 के बाद मेहमाननवाजी उद्योग वातावरण में उच्च मूल्य मिलने की सम्भावना अनिश्चित हो गयी थी।
- होटल ने आवर्ती हानियां आरम्भ कर दी थीं और इसके टर्नओवर और अधिभोग दर भी गिर रहे थे।
- विनिवेश मंत्रालय में बैठक, बोलीकर्ता के अनुरोध पर, सौदे को समाप्त करने के इसके इरादे को दर्शाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराने के लिए की गई थी।

- सरकार का हित सुरक्षित था क्योंकि 5 करोड़ रु. की बैंक गारंटी 31 मार्च 2002 तक वैध थी और सरकार ने बोलीकर्ता द्वारा उनके अनुबन्ध-पत्र का पालन करने की विफलता की स्थिति में अपने अधिकार को बनाए रखा था।
- बैंक, प्रस्ताव का सावधानी से मूल्यांकन करके अपनी यथोचित तत्परता प्रक्रिया के जरिये कि प्रस्ताव विवेकपूर्ण मानदण्ड, निर्धारित वित्तीय सीमाओं की पुष्टि करता है और उसे निदेशक बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त है से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही वित्त व्यवस्था करते हैं।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि जुहू सेन्टोर 1998 तक, जबकि इसे बेचने का निर्णय लिया गया था लाभ कमा रहा था। इसकी वित्तीय स्थिति विनिवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद तथा इसके भावी स्वरूप की अनिश्चितता के कारण गिरने लगी थी। साथ ही होटल का एक बड़ा हिस्सा व्यापक नवीकरण के अधीन था तथा भा.हो.नि. की इस इकाई के स्वामित्व में अत्यधिक ठोस परिसम्पत्तियां थीं। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था कि इस मामले में होटल का समायोजित परिसम्पत्ति मूल्य 134 करोड़ रु. यानि आरक्षित मूल्य से 32.40 करोड़ रु. अधिक था। तथ्य यह रहता है कि बोलीकर्ता की वित्तीय क्षमता की अपर्याप्त प्रारंभिक संवीक्षा के कारण, मंत्रालय ने अनेकों शर्तों को शिथिल किया था और बिक्री के निष्कर्ष को सुनिश्चित करने के लिए बाद के चरण में मध्यस्थता की थी जिसे अच्छी परम्परा के रूप में नहीं देखा जा सकता।

निष्कर्ष:

इस प्रकार दोनों लेनदेन प्रतिस्पर्धा के लाभ के बिना, एकमात्र बोलीकर्ता मामले बन गए। बाजार के प्रभावी परिचालन के अभाव में यह मुख्य मुद्दा है। यह भी देखा गया कि सम्पत्तियों के मूल्यों और आरक्षित मूल्य के निर्धारण में मंत्रालय द्वारा अन्य मामलों में अपनायी गई पद्धतियों से विसंगतियां थीं। बोलीकर्ता को विभिन्न छूटें अनुमत की गईं और बिक्री को सुसाध्य बनाने के लिए मंत्रालय की मध्यस्थता, सीमित प्रतिस्पर्धा दृश्य-विधान में लेन-देन के जोखिम को कम करने के लिए अपर्याप्त प्रयासों को सूचित करती थी। सम्पत्तियों को बेचने की अनिवार्यता और अत्यावश्यकता का सन्तुलन करने और बिक्री से अधिक से अधिक सम्भव मूल्य प्राप्त करने के प्रयास भी अपर्याप्त थे।

मंत्रालय को पर्याप्त एवं पारदर्शी रूप में विनिवेश प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को अभिलेखित करना चाहिए एवं पूर्ववर्ती अनुभवों के प्रकाश में पूर्वधारणाओं तथा आरक्षित मूल्य निर्धारण के संबंध में एक समान नीति अपनानी चाहिए।

आर्थिक मामले विभाग

7.2 जन संचार अभियान पर अप्राधिकृत व्यय

वित्त मंत्रालय ने निधियों के विपथन के माध्यम से जन संचार अभियान पर 63.23 करोड़ रु. का व्यय करने से पूर्व संसद से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। जबकि यह गतिविधि वार्षिक बजट में अपेक्षित नहीं थी और इसलिए यह नई सेवा/सेवा का नया साधन था।

भारतीय संविधान में यह अनुबद्ध है कि विधि द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि से कोई राशि आहरित नहीं की जानी चाहिए। जब वार्षिक बजट में अविचारित किसी नई सेवा पर व्यय करने की आवश्यकता हो तो अनुदान हेतु अनुपूरक मांग को संसद के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रकार, संसद के अनुमोदन के बिना भारत की समेकित निधि से 'नई सेवा'/'सेवा के नए साधन' पर कोई व्यय नहीं किया जा सकता है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श तथा लोक लेखा समिति के अनुमोदन से वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अप्रैल 1982 में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए थे। मंत्रालयों/विभागों की, उस अनुदान के अन्दर अन्य उप-शीर्षों के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अनुदान के उप-शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों से, इस शर्त पर कि इसमें 'नई सेवा' अथवा 'सेवा के नए साधन पर व्यय' अथवा नई गतिविधियों पर जिन्हें पहले से संसद के ध्यान में नहीं लाया गया था, का व्यय शामिल नहीं है, पुनर्विनियोजन करने की शक्ति है।

मंत्रालय ने सितम्बर 2002 में आर्थिक सुधारों के लाभों को उजागर करने, इन सुधारों के संबंध में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और व्यापक मतदाता-गण को विकसित करने के लिए एक जन संचार अभियान आरंभ करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चूंकि गतिविधि सेवा का नया साधन की थी, मंत्रालय को इस गतिविधि पर कोई भी व्यय करने से पहले संसद के ध्यान में लाना अपेक्षित था। तथापि, मंत्रालय 2003-04 में कोई बजट प्रावधान बनाने में असफल रहा।

मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में प्रचार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए सितम्बर 2003 में एक अधिकारिक उप समूह बनाया गया जिसने निर्णय लिया कि एक परिपूर्ण जन संचार अभियान आरंभ किया जाना था और व्यय आर्थिक सुधारों में विभिन्न पणधारियों अर्थात् बैंक, वित्तीय संस्थानों तथा कंपनी क्षेत्रक के प्रायोजन द्वारा किया जाना था। दृश्य-श्रव्य एवं प्रिंट संचार के लिए एक बृहत्

जन संचार अभियान योजना बनाई गई तथा प्रचार सामग्री के बनाने हेतु विभिन्न एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। दो विज्ञापन एजेंसियों की अभियान सामग्री 'इंडिया शाइनिंग' शैली रूप में तीन चरणों में, अक्टूबर 2003 (चरण-I), दिसम्बर 2003-जनवरी 2004 (चरण-II) तथा फरवरी 2004 या संसद चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू होने तक (चरण-III), विभिन्न समाचार पत्रों एवं टी.वी. चैनलों को जारी करने के लिए अक्टूबर 2003 में अनुमोदित की गई थी। कार्यक्रम पर इस अवधि के दौरान 63.23 करोड़ रु. का व्यय 2003-04 के लिए मुख्य शीर्ष 3605-माँग सं. 31-आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत उपशीर्ष अन्य 'देशों के साथ सहयोग' से उपशीर्ष 'अन्य व्यय' को 68 करोड़ रु. पुनर्विनियोजित करके किया गया। मंत्रालय की कथित गतिविधि जो एक 'नई सेवा/सेवा का नया साधन' थी, पर व्यय करने से पहले संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न करने की कार्यवाही अप्राधिकृत थी।

मंत्रालय ने अक्टूबर 2004 में बताया कि माँग सं. 31 (मुख्य शीर्ष 3605) के नीचे टिप्पणी में उल्लेख था कि प्रावधान का उद्देश्य समग्र रूप में भारत की सामान्य एवं काल्पनिक प्रोन्नति को दर्शाना तथा अन्य देशों के साथ उसके व्यापार और तकनीकी आर्थिक और बौद्धिक प्रगति को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देना था और इस प्रकार यह 'नई सेवा/सेवा का नया साधन' को आकर्षित नहीं करती थी। विनियोजन से सम्बंधित सांवैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर तर्क संगत नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियान की प्रकृति एवं उद्देश्य इस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त नहीं था जो कि अन्य देशों के साथ सम्बन्ध बनाने में विभिन्न प्रोत्साहन गतिविधियाँ शामिल करता था। इस प्रकार किया गया समग्र व्यय 'नई सेवा/सेवा का नया साधन' बनाता था और उसका विनियमन करने की आवश्यकता थी।

7.3 निष्क्रिय निधियां और दाण्डिक ब्याज की कम वसूली

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.) की आवश्यकताओं का उचित निर्धारण किए बिना, उसी वर्ष में खर्च करने के लिए, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 1998-99 के अंतिम माह में भा.प्र.वि.बो. को 4.86 करोड़ रु. जारी किए जिसके परिणामस्वरूप 28 माह तक 2.93 करोड़ रु. निष्क्रिय रहे। मंत्रालय ने दंड ब्याज के प्रति 35.85 लाख रु. की भी कम वसूली की।

मंत्रालय ने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.) के अधीन 'संचित निवेश योजनाओं' को संरचनात्मक नियमितता प्रदान के लिए, नवम्बर 1997 में निर्णय लिया। इन योजनाओं के लिए उपयुक्त विनियमों को बनाने से पहले 'संचित निवेश योजनाओं' की बेहतर समझ बूझ प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुये भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड

ने लोक निवेश के संग्रहण की शर्तों के अनुसार 100 उच्च संस्थाओं के लिए विशेष लेखापरीक्षा के मूल्यांकन को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया तथा 4.86 करोड़ रु. का एक अनुमान मंत्रालय को प्रस्तुत किया (मार्च 1998)। मंत्रालय ने भा.प्र.वि.बो. को इन शर्तों के अधीन कि वह अव्ययित राशि सरकार को वापस करेगा, 4.86 करोड़ रु. के अनुदान जारी किये (मार्च 1999)। भा.प्र.वि.बो. ने कम्पनियों द्वारा समन्वय की कमी तथा अभिलेखों के उपलब्ध न कराए जाने के आधार पर समय-समय पर अनुदान का उपयोग करने के लिए समय-सीमा का विस्तारण प्रदान करने का अनुरोध किया। मंत्रालय द्वारा अनुदानों का उपयोग करने के लिए सितम्बर 2000 तक विस्तारण की मंजूरी दी गई थी। सितम्बर 2000 के बाद आगे विस्तारण प्रदान करने का अनुरोध मार्च 2001 में अस्वीकार कर दिया। 4.86 करोड़ रु. में से, भा.प्र.वि.बो. सितम्बर 2000 तक केवल 1.93 करोड़ रु. का उपयोग कर सका था। तथापि, उसने जुलाई 2001 में केवल 2.93 करोड़ रु. की अव्ययित राशि वापस की थी। सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 149 के नीचे दी गयी टिप्पणी 2,3 तथा 4 के अंतर्गत, 1 अप्रैल 2001 से 16 जुलाई 2001 तक की अवधि के लिए, अनुदान की अव्ययित राशि पर भा.प्र.वि.बो. से मंत्रालय द्वारा दायित्व ब्याज की छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 5.17 लाख रु. की राशि प्रभारित की गयी थी।

मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में केवल उसी वर्ष में खर्च करने के लिए जारी 4.86 करोड़ रु. की राशि इस बात की द्योतक है कि निधियाँ पूर्वानुमानित व्यय के उचित निर्धारण के बगैर जारी की गयी थी। 16 मार्च 1999 से 16 जुलाई 2001 तक 2.93 करोड़ रु. को निष्क्रिय छोड़ते हुए 1.93 करोड़ रु. खर्च किए गए थे। इस अवधि के दौरान सरकार ने 9.30 प्रतिशत से 10.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक ब्याज दर के बीच निधियाँ उधार लीं। भा.प्र.वि.बो. के पास 28 महीनों तक सरकारी लेखे के बाहर निष्क्रिय पड़े रहे 2.93 करोड़ की कीमत 68.54 लाख रु. बनती थी। यद्यपि, आगे मंत्रालय ने 30 सितम्बर 2000 के बाद राशि का उपयोग करने के लिए भा.प्र.वि.बो. के समय बढ़ाने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था फिर भी, उसने भा.प्र.वि.बो. से निधि जारी होने की तिथि से न होकर 1 अप्रैल 2001 से 16 जुलाई 2001 तक छः प्रतिशत की दर से, इस आधार पर कि अस्वीकृति केवल मार्च 2001 में भा.प्र.वि.बो. को सूचित की गयी थी, 5.17 लाख रु. का दंड ब्याज प्रभारित किया। मंत्रालय की कार्यवाही सा.वि.नि. के नीचे दी गयी टिप्पणी 2 एवं 3 के अंतर्गत दिए प्रावधानों, जिसमें अप्रयुक्त अनुदान पर जारी होने की तिथि से वसूल होने की तिथि तक छः प्रतिशत की दर से दायित्व ब्याज प्रभारित करने का प्रावधान है, के प्रतिकूल थी। तदनुसार मार्च 1999 से जुलाई 2001 तक की अवधि के लिए भा.प्र.वि.बो. से 41.02 लाख रु. के दायित्व ब्याज की राशि

वसूली योग्य थी। इस प्रकार मंत्रालय ने 35.85 लाख रु. तक का दायित्विक ब्याज कम वसूल किया।

मामले को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर मंत्रालय ने भा.प्र.वि.बो. के सम्प्रेषण को साधारण रूप से मई 2004 में अग्रेषित किया, जिसके माध्यम से परवर्ती ने स्पष्टीकरण दिया था कि उन्होंने सितम्बर 2003 तक 4.86 करोड़ रु. के अनुदान में से 4 करोड़ रु. खर्च किए थे किन्तु सरकार ने कुछ विशेष मदों जैसे वेतन का भुगतान, यात्रा भत्ता, वाहन भत्ता आदि पर इस आधार पर कि जिस प्रयोजन के लिए अनुदान दिया गया था उसकी पुष्टि नहीं की, व्यय को अनुमत नहीं किया था।

भा.प्र.वि.बो. द्वारा उपलब्ध कराया गया स्पष्टीकरण यह दर्शाता है कि मंत्रालय ने भा.प्र.वि.बो. की आवश्यकताओं का उचित मूल्यांकन किए बिना भारी मात्रा में निधियां जारी की थी।

अध्याय VIII : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, कोलकाता

8.1 टी.बी. निरोधक दवाइयों और एक्स-रे फिल्म के प्रयोग की अवधि की समाप्ति

म.नि.स्वा.से. द्वारा समय पर आदेश जारी करने और घटिया स्तर की दवाइयों को बदलने के लिए प्रापण एजेन्ट के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप जी.एम.एस.डी., कोलकाता में 66.16 लाख रु मूल्य के टी.बी. निरोधक दवाइयों और एक्स-रे फिल्म के प्रयोग अवधि की समाप्ति हुई। फलस्वरूप अधिप्राप्ति के मूल उद्देश्य को निष्फल करते हुए दवाइयाँ और फिल्म उन भरीजों तक, जिनके लिए वे थीं, नहीं पहुँच सकी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम के लिए टी.बी. निरोधक दवाइयों/वस्तुओं की अधिप्राप्ति हेतु प्रापण एजेन्टों का चयन किया गया था। सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो (जी.एम.एस.डी.), कोलकाता द्वारा प्रापण एजेन्टों के आपूर्तिकर्ताओं से टी.बी. निरोधक दवाइयाँ/वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवायें (म.नि.स्वा.से.) नई दिल्ली के केन्द्रीय टी.बी. विभाग से आदेश प्राप्त करने पर जी.एम.एस.डी. द्वारा टी.बी. निरोधक दवाइयों/वस्तुओं को जिला टी.बी. केन्द्रों में वितरित किया जाता है।

मार्च 2004 में जी.एम.एस.डी. के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, 1999-2000 से 2000-01 के दौरान प्राप्त हुई 28.67 लाख रु. के मूल्य की टी.बी. निरोधक दवाई के 55,162 एस.एस.सी. कॉम्बीपैक पाउच और 23.84 लाख रु के मूल्य की एक्स रे फिल्म के 8864 रोल जी.एम.एस.डी. के स्टोर में फरवरी और नवम्बर 2002 के बीच म.नि.स्वा.से. से आदेश की प्राप्ति नहीं होने के कारण अपने प्रयोग की समय-सीमा समाप्त कर चुके थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जी.एम.एस.डी. द्वारा दवाई/फिल्म के प्रयोग के समय की समाप्ति को रोकने के लिए म.नि.स्वा.से. से कई बार आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था। तथापि लेखापरीक्षा को म.नि.स्वा.से. द्वारा आदेश जारी न करने के कारणों का जी.एम.एस.डी. के अभिलेखों से पता न चल सका।

लेखापरीक्षा द्वारा आगे पाया गया कि उसी कार्यक्रम के अंतर्गत 2000-01 के दौरान 13.65 लाख रु. मूल्य की सी.ए.टी-1 अन्य टी.बी. निरोधक दवाइयों के 3,228 डिब्बों का जुलाई 2001 में जी.एम.एस.डी. द्वारा अपनी प्रयोगशाला में जाँच करने पर घटिया स्तर का पाया था। उसी महीने जी.एम.एस.डी. द्वारा मामले को म.नि.स्वा.से. के ध्यान में

लाया गया था। म.नि.स्वा.से. ने प्रापण एजेन्ट से आपूर्तिकर्ता के प्रति आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। जनवरी 2002 में जी.एम.एस.डी. ने म.नि.स्वा.से. को सूचित किया कि प्रापण एजेंट द्वारा घटिया स्तर की दवाई को नये स्टॉक से बदलने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। म.नि.स्वा.से. ने जनवरी 2002 में प्रापण एजेंट के साथ पुनः मामला उठाया था। तदनुसार जी.एम.एस.डी. द्वारा दवाईयों को घटिया स्तर की घोषित करने के छह महीने बाद जनवरी 2002 में प्रापण एजेन्ट और आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधियों द्वारा दवाई के नमूने एकत्रित किये गये थे। जी.एम.एस.डी. के अभिलेखों में दर्शाया गया था कि म.नि.स्वा.से. द्वारा जनवरी 2002 के बाद मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। दवाईयों के प्रयोग की अवधि फरवरी-मई 2002 में समाप्त हो गई थी, परन्तु न तो प्रापण एजेंट और न ही आपूर्तिकर्ता द्वारा घटिया स्तर की दवाईयों को नये स्टॉक से बदला गया था (अगस्त 2004)।

जुलाई 2003 में, जी.एम.एस.डी. द्वारा दवाई/फिल्म जिनके प्रयोग की समय-सीमा समाप्त हो गई थी, के निपटान हेतु म.नि.स्वा.से. से आदेश माँगे थे परन्तु अगस्त 2004 तक निपटान हेतु आदेश प्राप्त नहीं हुए थे।

इस प्रकार म.नि.स्वा.से. द्वारा समय पर आदेश जारी करने और घटिया स्तर की दवाईयों को नये स्टॉक से बदलने के लिए प्रापण एजेन्ट के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने में विफलता के कारण जी.एम.एस.डी. में 66.16 लाख रु. के मूल्य की टी.बी. निरोधक दवाईयां और एक्स-रे फिल्म के प्रयोग की समय-सीमा समाप्त हुई। फलस्वरूप अधिप्राप्ति के असली उद्देश्य निष्फल करते हुए दवाईयां और फिल्म उन मरीजों तक, जिनके लिए वे थीं, नहीं पहुँच सकीं।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2004 में भेजा गया था, उनका उत्तर फरवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

स्वास्थ्य विभाग

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल

8.2 विद्युत प्रभारों का वसूल न किया जाना

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल ने अप्रैल 1997-जुलाई 2004 के दौरान अपने स्टाफ क्वार्टरों के लिए घरेलू दरों पर विद्युत कनेक्शन को प्राप्त करने में अपनी विफलता के कारण 97.17 लाख रु. का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया। घरेलू दरों पर भी अधिभोक्ताओं से वसूली योग्य 51.86 लाख रु. में से मामले को लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, ले.हा.मे.का. ने केवल 5.75 लाख रु. वसूल किए थे।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज (ले.हा.मे.का.) और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल को नई दिल्ली नगर परिषद (न.दि.न.प.) द्वारा अस्पताल के लिए अगस्त 2001 तक 5.23 रु. प्रति इकाई अघरेलू शुल्कदर पर और उसके बाद 6.37 रु. प्रति इकाई विद्युत की आपूर्ति की जाती थी। इस आपूर्ति में से ले.हा.मे.का. अपने 127 स्टाफ क्वार्टरों को विद्युत उपलब्ध कराता था जिसके लिए अधिभोक्ता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) के स्टाफ के सदस्य के द्वारा ली गई मीटर रीडिंग के आधार पर मार्च 1997 तक 1.05 रु. प्रति इकाई से 3.78 रु. प्रति इकाई की घरेलू दरों से भुगतान करता था।

अप्रैल 1997 से के.लो.नि.वि. ने स्टाफ क्वार्टरों में खपत की गई विद्युत की मीटर रीडिंग लेनी बन्द कर दी। ले.हा.मे.का. ने मीटर रीडिंग लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की और जुलाई 2001 में के.लो.नि.वि. को स्टाफ क्वार्टरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए औसत मासिक विद्युत खपत को सूचित करने का सुझाव देने के लिए कहा। अक्टूबर 2001 में के.लो.नि.वि. ने सूचित किया कि औसत मासिक खपत 200 से 800 इकाइयां थी। यद्यपि ले.हा.मे.का. ने नवम्बर 2001 के वेतन से औसत मासिक खपत के आधार पर विद्युत प्रभार की वसूली करने का निश्चय किया, फिर भी वह वास्तव में ऐसा नहीं कर पाया था क्योंकि अधिभोक्ताओं ने अभिवेदन किया कि वसूली वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर होनी चाहिए। विद्युत प्रभार की वसूली किए बगैर रहे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ले.हा.मे.का. ने आवासीय क्षेत्र में अलग से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराने का मामला मार्च 1993 में न.दि.न.प. के साथ उठाया। परवर्ती ने अप्रैल 1993 में, ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। तत्पश्चात ले.हा.मे.का. ने अपने आवासीय परिसर में वैयक्तिक घरेलू कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किये थे और इसके परिणामस्वरूप स्टाफ क्वार्टरों में खपत की गई विद्युत जुलाई 2004 तक भी घटी हुई दरों पर दी जा रही थी।

ले.हा.मे.का. ने अप्रैल 1997 से जुलाई 2004 के बीच घरेलू रूप से उपभुक्त विद्युत का उच्च गैर-घरेलू दर पर 149.03 लाख रू. (के.लो.नि.वि. द्वारा औसत मासिक खपत के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित) का भुगतान किया। इसके विपरीत, घरेलू दर पर ग्राही से वसूली योग्य राशि 51.86 लाख रू. परिकलित की गई थी। यदि ले.हा.मे.का. ने आवासीय कम्पलैक्स के लिए घरेलू कनेक्शन प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्रयत्न किये होते तो 97.17 लाख रू. के अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था। इसके अतिरिक्त इस अवधि के बाद भी, विद्युत प्रभार घरेलू दरों पर वसूल नहीं किये गये थे।

अगस्त 2004 में ले.हा.मे.का. ने बताया कि लेखापरीक्षा के उल्लेख करने पर उन्होंने स्टाफ सदस्यों से सरल मासिक किस्तों पर अप्रैल 1997 से जून 2003 की अवधि के लिए बकाया विद्युत प्रभार वसूल करने आरम्भ कर दिये थे और जून 2004 तक 5.75 लाख रू. वसूल किये गये थे। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया कि आवासीय कम्पलैक्स में वैयक्तिक मीटर अभी भी लगाये जाने थे तथा मामले को न.दि.न.प. के साथ उठाया गया था। इसी बीच विद्युत प्रभार उपलब्ध कराए गए आवास के आधार पर 250 रू. से 1000 रू. प्रति माह बराबर मासिक दर पर जुलाई 2003 से स्टाफ के वेतन से वर्तमान उपभुक्त के लिए वसूल किया जा रहा था।

इस प्रकार आवासीय कम्पलैक्स में वैयक्तिक घरेलू मीटरों के लगाये जाने के लिए संयुक्त प्रयत्नों और ठोस कार्यवाही करने में ले.हा.मे.का. की विफलता के परिणामस्वरूप 97.17 लाख रू. का परिहार्य व्यय हुआ। अप्रैल 1997 से जुलाई 2004 की अवधि के लिए घरेलू दर पर 51.86 लाख रू. वसूली योग्य थे जिसमें से ले.हा.मे.का. ने जून 2004 तक स्टाफ क्वार्टरों के अधिभोक्ताओं से सिर्फ 5.75 लाख रू. वसूल किए।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2004 में भेजा गया था, उनका उत्तर फरवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पुणे

8.3 अपात्र कर्मचारियों को रोगी देखभाल भत्ते का अनियमित भुगतान

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पुणे ने मंत्रालय के अपात्र कर्मचारियों को 26.12 लाख रू. के रोगी देखभाल भत्ते के अनियमित भुगतान किये।

मंत्रालय के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (के.स.स्वा.यो.) के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य कर रहे अनुसचिवीय श्रेणी 'ग' और 'घ' कर्मचारियों को रोगी देखभाल भत्ते (रो.दे.भ.) के अनुचित भुगतान से सम्बन्धित उल्लेख, भारत के नियंत्रक-

महालेखापरीक्षक के 2002 के प्रतिवेदन संख्या-2 के पैराग्राफ 10.1 (संघ सरकार सिविल) में था। मंत्रालय ने अब तक (अगस्त 2004) पैराग्राफ पर कार्यवाही टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

अप्रैल 2004 में, लेखापरीक्षा द्वारा दिसम्बर 1998 से मार्च 2004 तक की अवधि से सम्बन्धित वेतन बिलों की संवीक्षा किये जाने पर यह प्रकट हुआ कि के.स.स्वा.यो., पुणे ने 60 मंत्रीवर्गीय कर्मचारियों अर्थात् कार्यालय पर्यवेक्षक, लेखाकार, आशुलिपिक, हिन्दी अनुवादक आदि को रो.दे.भ. के लाभ का विस्तार किया था और मार्च 2004 तक 26.12 लाख रु. अदा किये। उन कर्मचारियों को, जो प्रत्यक्ष रूप से रोगी देखभाल में शामिल नहीं थे, रो.दे.भ. का भुगतान, अनियमित था।

उत्तर में के.स.स्वा.यो. पुणे ने अप्रैल 2004 में बताया कि 'ग' और 'घ' श्रेणी के सभी गैर-मंत्रीवर्गीय कर्मचारी रो.दे.भ. के भुगतान के हकदार थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भत्ता सिर्फ रोगी देखभाल सेवाओं से सम्बन्धित लोगों तक ही सीमित किया गया है। मंत्रालय ने सितम्बर 2004 के अपने उत्तर में बताया कि सभी कर्मचारियों को रो.दे.भ. प्रदान करने हेतु मंत्रीमंडल के विचारार्थ एक नोट प्रेषित किया गया है जिसपर अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित है।

राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान

8.4 वाहन भत्ते का अनियमित भुगतान

राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान ने अपत्र अधिकारियों/व्यावसायिकों के 2001-02 से 2003-04 के दौरान 20.03 लाख रु. की राशि के वाहन भत्ते का भुगतान किया।

भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (के.स.स्वा.यो.) के अंतर्गत कार्य कर रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (के.स्वा.से.) के विशेषज्ञों/सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों और अस्पतालों में कार्य कर रहे गैर के.स्वा.से. के चिकित्सा अधिकारियों/विशेषज्ञों को विभिन्न दरों पर समय-समय पर वाहन भत्ते की संस्वीकृति प्रदान की थी। मार्च 1990 में इन आदेशों का और विस्तार कर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (म.नि.स्वा.से.) परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे गैर चिकित्सा (वर्ग 'क') विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों को शामिल किया गया था। पूर्ववर्ती श्रेणी में एक माह के दौरान कम से कम 20 आवासीय निरीक्षण करने तथा परवर्ती श्रेणी में कार्य समय के बाद बराबर संख्या में अस्पताल निरीक्षण करने पर वाहन भत्ते का भुगतान किया जाना था। भत्ते का भुगतान कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर किया जाना था जिसमें आवासीय/अस्पताल में

निरीक्षण करने पर हुआ व्यय वाहन भत्ते के दावे की राशि से कम नहीं होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना शामिल था।

राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान (रा.सं.रो.सं.) नई दिल्ली की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक पद के अधिकारियों और अन्य तकनीकी अधिकारियों को प्रयोग किये जा रहे वाहन की प्रकृति के अनुसार 450 रु. से लेकर 1650 रु. तक प्रति माह वाहन भत्ते का भुगतान किया जा रहा था। रा.सं.रो.सं., जिसका कार्य प्रशिक्षण देना और संक्रामक रोग के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करना है, में तैनात अधिकारियों/व्यावसायिकों की ड्यूटी का स्वरूप ही इस प्रकार का था कि उन्हें अधिवास निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त रा.सं.रो.सं. के पास अधिकारियों और स्टाफ को उनकी ड्यूटी के सम्बन्ध में किसी स्थान पर आने जाने के लिए ग्यारह वाहन थे। इस प्रकार रा.सं.रो.सं. द्वारा अपने स्टाफ को वाहन भत्ते का भुगतान करना अनियमित था। 2001-02 से 2003-04 के दौरान 51 अधिकारियों को 20.03 लाख रु. की राशि के वाहन भत्ते का अनियमित भुगतान हुआ था।

रा.सं.रो.सं. ने अगस्त 2003 में बताया कि प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर वे उन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा ग्रेड 'ए' अधिकारियों और गैर मेडिकल ग्रेड 'ए' विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों जो अन्य शासकीय ड्यूटी कर रहे थे या ड्यूटी के बाद संस्थान का दौरा कर रहे थे, को वाहन भत्ते का भुगतान किया गया था। रा.सं.रो.सं. ने अगस्त 2003 में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवार्य से इन मामलों में वाहन भत्ते की वसूली करने पर निर्णय करने के लिए अनुरोध किया गया था। सितम्बर 2004 में रा.सं.रो.सं. द्वारा जारी अन्तिम पत्र के साथ मामला अभी भी पत्राचाराधीन था।

मामला मंत्रालय को नवम्बर 2003 और जुलाई 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2005 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय IX : गृह मंत्रालय

केन्द्रीय अर्धसैनिक बल

9.1 राज्यों/लो.क्षे.उ. को अनभिप्रेत आर्थिक सहायता

मंत्रालय के आश्वासन के बावजूद उसका केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती हेतु राज्य सरकारों तथा लोक क्षेत्र उपक्रमों से बकाया राशियों की वसूली की पद्धति में कमियां सुधारने में विफल रहने के परिणामस्वरूप रु. 2399.55 करोड़ की राशि बकाया हो गई। इस विलम्ब के परिणामस्वरूप 26 लो.क्षे.उ. से प्राप्त होने वाले 372.38 करोड़ रु. वसूल न हो पाने योग्य हो गए।

मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (2000 की सं.2) में 1992-99 के दौरान आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती हेतु विभिन्न राज्य सरकारों के प्रति मार्च 1999 के अंत तक 796.24 करोड़ रु. की बकाया राशि के बारे में उल्लेख किया गया था। उसी तरह, मार्च 1999 के अंत तक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के.औ.सु.ब.) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए 226 लोक क्षेत्र उपक्रमों (लो.क्षे.उ.) के प्रति 354.88 करोड़ रु. बकाया थे।

मंत्रालय ने जुलाई 2000 में प्रस्तुत कार्यवाही टिप्पणी में माना था कि बकाया वर्तमान सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी तथा निर्धारित प्रणाली तथा प्रक्रिया का पालन करने में विफलता के कारण थे। मंत्रालय ने आगे बताया था कि बकाया राशियों की वसूली के प्रकारों की जांच करने के लिए संगठित एक नीति नियोजन समूह (नी.नि.स.) ने निम्नलिखित उपाय जिन पर कार्य किया जा रहा था, करने की सिफारिश की थी :-

- वामपंथी आतंकवाद से प्रभावित राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के लिए अप्रैल 1996 से मार्च 2001 की अवधि का 50 प्रतिशत तैनाती प्रभार वसूल किया गया।
- दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के संबंध में राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक करने की सिफारिश की गई थी। तथापि, दिल्ली के संबंध में देयता का संबंध भारत सरकार से था।

- राज्यों को आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी राशियों के प्रति 50 प्रतिशत से अधिक नहीं की सीमा तक बकाया राशियों का समायोजन करना।
- पंजाब, आन्ध्र प्रदेश तथा बिहार से वसूली मंत्रीमंडल के अनुमोदन से केन्द्रीय योजनागत सहायता से की जा सकती थी।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि मार्च 2004 तक राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाली बकाया राशियां बढ़कर 1784.56 करोड़ रु. हो गई थी, जिसमें 124 प्रतिशत की वृद्धि थी। बकाया देय राशियों के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा में मामला इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2004) कि नी.नि.स. की सिफारिश की जाँच वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके की गई थी तथा यह निर्णय लिया गया था की वामपंथी आतंकवाद प्रभावित राज्यों के मामले में 50 प्रतिशत तक की वसूली उनके सुरक्षा संबंधित तथ्यों से समायोजन द्वारा तथा शेष उनकी सिविल सुरक्षा, सीमा चौक पोस्ट, आप्रवासन आदि से प्रतिपूर्ति योग्य राशि से की जाए। दिल्ली के मामले में वित्त मंत्रालय तीन वर्षों के भीतर समग्र प्राप्यों का निपटान करने के लिए 2003-04 से अतिरिक्त निधियाँ उपलब्ध करवाने को सहमत था। अन्य राज्यों के संबंध में, उनके केन्द्र योजना सहायता से प्राप्य वसूल करने का निर्णय लिया गया था।

लो.क्षे.उ. से के.औ.सु.ब. के तैनाती प्रभारों की बकाया राशियों के संबंध में मंत्रालय ने का.टि. में बताया कि:

- मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि लो.क्षे.उ. कम से कम अपनी वर्तमान राशियों का भुगतान करें तथा चरणबद्ध रूप से बकाया राशियों का भुगतान करने के प्रयास करेंगे।
- बीमार यूनिटों पर के.औ.सु.ब. की तैनाती में कमी लाने के लिए उपाय किए जाएं जिससे बीमार लो.क्षे.उ. पर वित्तीय भार घटाने की जांच की जा सके।
- मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि परिसमापन कार्यवाहियां आरंभ होने से पहले के.औ.सु.ब. की बकाया राशियों का निपटान हो जाए।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था (अप्रैल -मई 2004) कि उपर्युक्त उपायों के बावजूद लो.क्षे.उ. से प्राप्त होने वाली बकाया राशियां मार्च 1999 के 354.88 करोड़ रु. से

बढ़कर मार्च 2004 तक 614.99 करोड़ रु. हो गई थी, जिसमें 73.30 प्रतिशत की वृद्धि थी। के.ओ.सु.ब. की तैनाती के लिए लो.क्षे.उ. से प्राप्त होने वाली बकाया राशियों के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	लो.क्षे.उ. से वसूलीयोग्य राशि (करोड़ रु. में)
1999-2000 तक	247.41
2000-2001	43.38
2001-2002	41.20
2002-2003	89.97
2003-2004	193.03
जोड़	614.99

उपर्युक्त राशियों में से 370.89 करोड़ रु. (60.30 प्रतिशत) 14 लो.क्षे.उ., जो बीमार हैं/बी.आई.एफ.आर. को भेज दिए गए हैं, से वसूली योग्य है। 1.49 करोड़ रु. अन्य 12 लो.क्षे.उ., जो विनिवेशित किए जा चुके हैं, से वसूली योग्य हैं। इस प्रकार, सामायिक कार्यवाही न करने के कारण 372.38 करोड़ रु. वसूली के बहुत कम आसार हैं।

इसके अतिरिक्त लो.क्षे.उ. के प्रति बकाया राशि को घटाने के विचार से गृ.मं. ने अगस्त 1993 में के.ओ.सु.ब. को निर्देश दिया कि लो.क्षे.उ. तीन महीनों के बिल के बराबर प्रतिभूति जमा करेंगे तथा मासिक भुगतान अग्रिम रूप में करेंगे। चूक के मामले में, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर जो अगस्त 2003 से 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक संशोधित कर दी गई थी, पर ब्याज प्रभार्य था। तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 15 विमानपत्तन प्राधिकारियों ने प्रतिभूति के प्रति 7.62 करोड़ रु. का भुगतान नहीं किया था। विमानपत्तन प्राधिकारियों द्वारा प्रतिभूति के जमा न करने/विलम्ब से जमा कराने पर ब्याज भी 1.56 करोड़ रु. परिकलित किया गया।

इस प्रकार, आश्वासन के बावजूद, मंत्रालय विभिन्न राज्यों तथा लो.क्षे.उ. के अर्धचिकित्सा बलों की तैनाती प्रभारों की वसूली की पद्धति में सुधार करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप बकाया राशियों में वृद्धि हुई और राज्य सरकारों तथा लो.क्षे.उ. को अनभिप्रेत आर्थिक सहायता दी गई। 26 लो.क्षे.उ., जो बीमार हैं, बी.आई.एफ.आर. को भेजे गए हैं/विनिवेशित हैं, से प्राप्त होने वाली 372.38 करोड़ रु. की वसूली की संभावनाएं बहुत कम लगती हैं।

प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने दिसम्बर 2004 में बताया कि यह कहना सही नहीं था कि बकाया राशियां, प्रभारों की वसूली की प्रक्रिया में सुधार करने की विफलता के कारण थीं। इसके विपरीत, उसके द्वारा किए गए निरन्तर प्रयासों से वसूलियां काफी मात्रा में बढ़ गई थीं। उसने यह और बताया कि केन्द्रीय पुलिस बल की तैनाती देश में वर्तमान

सुरक्षा स्थिति पर आधारित थी तथा केवल भुगतान में चूक के कारण ही इसे अस्वीकृत नहीं किया जा सकता था इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल संस्वीकृत तथा तैनात किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक बकाया राशियों में वृद्धि हुई। मंत्रालय द्वारा भेजे गए 1999-2000 से 2003-2004 की अवधि के लिए राज्य सरकारों से बकाया राशियों के वर्षवार ब्यौरों में अप्रैल 2004 तक 2709.73 करोड़ रु. की वसूलीयोग्य राशि दर्शाई गई थी। यह संबंधित महानिदेशक कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा को भेजे गए आंकड़ों से परिकलित 1784.56 करोड़ रु. के आंकड़ों से पर्याप्त रूप से भिन्न थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़ों में भी 509.11 करोड़ रु. की जोड़ की गलती थी और उसके द्वारा भेजे गए आंकड़े 2709.73 करोड़ रु. की बजाय 2200.62 करोड़ रु. होने चाहिए। मंत्रालय तथा संबंधित महानिदेशक के कार्यालयों द्वारा भेजे गए आंकड़ों के बीच 416.06 करोड़ रु. के शेष अंतर का समाधान करने की आवश्यकता है। आंकड़ों में असंगतियां तथा जोड़ में गलतियों ने मंत्रालय द्वारा अभिलेखों के बेहतर अनुसूक्षण, जो राशियों के प्रभावी तथा सामयिक वसूली के लिए पूर्वापेक्षित है, की आवश्यकता को दर्शाया।

अनुबंध

विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती हेतु बकाया देय राशियाँ दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	मार्च 2004 को बकाया राशि				
		के.रि.पु.ब.	के.औ.सु.ब.	भा.ति.सी.पु.	सी.सु.ब.	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	231.07	-	-	-	231.07
2.	असम	44.59	-	-	-	44.59
3.	बिहार	177.63	5.36	7.45	-	190.44
4.	छत्तीसगढ़	29.39	-	-	-	29.39
5.	रा.रा.क्षे., नई दिल्ली	50.25	237.22	-	-	287.47
6.	गुजरात	28.54	-	-	-	28.54
7.	हरियाणा	0.01	20.04	15.91	-	35.96
8.	झारखंड	108.03	-	-	-	108.03
9.	कर्नाटक	6.60	-	-	-	6.60
10.	मध्य प्रदेश	0.84	0.76	-	-	1.60
11.	महाराष्ट्र	0.23	-	-	-	0.23
12.	उड़ीसा	33.31	-	-	-	33.31
13.	पंजाब	243.32	32.27	22.37	18.47	316.43
14.	राजस्थान	0.34	-	-	-	0.34
15.	तमिलनाडु	127.79	0.02	-	-	127.81
16.	उत्तरांचल	2.98	1.26	0.59	-	4.83
17.	उत्तर प्रदेश	307.78	-	-	-	307.78
18.	पश्चिम बंगाल	30.14	-	-	-	30.14
	जोड़	1422.84	296.93	45.32	18.47	1784.56

दिल्ली पुलिस

पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज

9.2 रंगीन फोटोकॉपियर मशीनों की अविवेकपूर्ण खरीद

संयुक्त आयुक्त पुलिस, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, झड़ोदा कलां ने, वास्तविक आवश्यकता का उपयुक्त निर्धारण किए बिना रंगीन फोटोकॉपियर की खरीद पर 38.64 लाख रु. का व्यय किया। इसके परिणामस्वरूप इनका उप-इष्टतम उपयोग हुआ।

सामान्य वित्तीय अधिनियम यह अनुबन्ध करता है कि सभी खरीद, लोक सेवा की सुस्पष्ट आवश्यकताओं की अनुरूपता में अत्यधिक मितव्ययता के ढंग से की जानी चाहिए।

जनवरी 2002 में, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज (पु.प्र.कॉ.), झड़ोदा कलां, ने 19.32 लाख रु. प्रत्येक की लागत पर, दो उच्च क्षमता वाले रंगीन फोटोकॉपियर, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, नई दिल्ली से खरीदे। जबकि फोटोकॉपियर में से एक, पु.प्र.कॉ. झड़ोदा कलां में उपयोग करने के अभिप्राय से था, अन्य मूलरूप से झड़ोदा कलां में ही स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल (पु.प्र.स्कू.), के लिए था। तथापि, दूसरी मशीन, फरवरी 2002 में, सहायक आयुक्त पुलिस (मुख्यालय), पु.प्र.कॉ. के कार्यालय में स्थापित कर दी गई थी। दिसम्बर 2002 में यह मशीन, पु.प्र.स्कू. वज़ीराबाद को स्थानान्तरित कर दी गई थी, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि पु.प्र.स्कू. झड़ोदा कलां का कार्य पु.प्र.कॉ. के फोटोकॉपियर से व्यवस्थित किया जा सकता था। तथापि, मार्च 2003 में, फोटोकॉपियर उसके असंतोषजनक उपयोग के कारण, पु.प्र.स्कू. वज़ीराबाद से वापस प्राप्त हुआ था। उसके बाद, यह मशीन जुलाई 2003 से फरवरी 2004 तक मरम्मत में रही, जिसके बाद में यह मार्च 2004 में पु.प्र.स्कू. वज़ीराबाद को वापस भेज दी गई थी।

लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि खरीद से पहले दोनों फोटोकॉपियर की आवश्यकता का उपयुक्त निर्धारण, प्रक्षेपित उपयोग और संस्थापन आवश्यकताओं को कार्यान्वित नहीं किया गया था। तथ्य से यह प्रकट होता था कि जबकि पु.प्र.कॉ. और पु.प्र.स्कू. झड़ोदा कलां, प्रत्येक के लिए एक-एक फोटोकॉपियर प्रक्षेपित था, बाद में यह तय किया गया कि एक फोटोकॉपियर दोनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था।

इसके अतिरिक्त, दोनों फोटोकॉपियर एक साथ अधिप्राप्त किये गये थे, यद्यपि, उनमें से एक के संस्थापन के लिए प्रस्तावित स्थल तैयार नहीं था।

अभिलेखों की संवीक्षा से आगे प्रकट हुआ कि प्रति मशीन के लिए, 50000 प्रतियों की वारंटी क्षमता अथवा 90 दिन जो भी पहले हो के विरुद्ध दो वर्षों से अधिक मार्च 2004 तक पु.प्र.कॉ. झड़ोदा कलां में फोटोकॉपियर से केवल 6,426 प्रतियां तथा पु.प्र.स्कू., वजीराबाद में 4,956 प्रतियां बनाई गई थीं। इन फोटोकॉपियर में से प्रत्येक की क्षमता प्रति माह लगभग 20000 प्रतियां थी। इसके अतिरिक्त गति के हिसाब से इन मशीनों ने अपनी खरीद से पिछले दो वर्षों के दौरान केवल 11 घण्टे कार्य किया था। स्पष्टतः मशीन न तो इष्टतम रूप से प्रयुक्त की गई थीं, न ही उनकी वहां पर्याप्त आवश्यकता थी।

संयुक्त आयुक्त, पुलिस (प्रशिक्षण) ने मार्च 2004 में बताया कि झड़ोदा कलां और वजीराबाद के प्रशिक्षण केन्द्रों की आवश्यकता की दृष्टि से दोनों मशीनों की खरीद पूर्णरूप से तर्कसंगत थी।

मामंला सरकार को अप्रैल 2004 में सूचित किया गया था। गृह मंत्रालय ने सितम्बर 2004 में बताया कि मशीनों में से एक पु.प्र.कॉ. झड़ोदा कलां में और अन्य पु.प्र.स्कू. वजीराबाद में उपयोग करने के लिए थी। मशीनें गुणवत्ता आधार पर अधिप्राप्त की गई थीं और प्रतियों की कम संख्या, वरिष्ठ अधिकारियों के सीधे निरीक्षण के अधीन रखी जा रही मशीनों को आरोप्य थी जिससे कि उनका उपयोग केवल वास्तविक सरकारी उद्देश्यों के लिए सीमित किया जाए।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन मशीनों की खरीद की मूल संस्वीकृति दर्शाती थी कि कथित मशीनें पु.प्र.कॉ और पु.प्र.स्कू. झड़ोदा कलां के लिए खरीदी गई थीं और न कि पु.प्र.स्कू. वजीराबाद के लिए और इनकी खरीद से दो वर्षों के दौरान फोटोकॉपियर का वास्तविक उपयोग ऐसी उच्च क्षमता वाली मशीनों की खरीद को न्यायसंगत नहीं ठहराता था। अधिप्राप्ति को आवश्यक भवन/स्थल की उपलब्धता के साथ भी समन्वित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, उच्च क्षमता वाले रंगीन फोटोकॉपियर की खरीद में पर्याप्त सावधानी और मितव्ययता का अनुपालन करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 38.64 लाख रु. के अमितव्ययतापूर्ण व्यय के अतिरिक्त ऐसी बड़ी लागत पर खरीदी गई मशीनों का उप-इष्टतम उपयोग हुआ।

9.3 ठेकेदार को अनियमित भुगतान

ठेकेदार के साथ अनुबन्ध के निबन्धन और शर्तों का अनुसरण करने में विफलता के कारण 29.60 लाख रु. का सेवा कर के रूप में अधिक भुगतान।

सामान्य वित्तीय नियमावली में अनुबद्ध है कि ठेके के निबन्धन संक्षिप्त और निश्चित होने चाहिए और उसमें अस्पष्टता अथवा गलत अर्थ के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा किये गये अनुबन्ध के निबन्धन में किसी भी छूट का प्रावधान ऐसी छूट के वित्तीय प्रभावों की उचित जाँच किये बिना नहीं किया जाना चाहिए।

सितम्बर 2002 में पुलिस उपायुक्त (सुरक्षा) दिल्ली पुलिस ने ठेकेदार 'क' के साथ एक अनुबन्ध किया था। ठेकेदार को अनुबन्ध में दी गई दरों पर 6 सितम्बर 2002 से 5 सितम्बर 2003 तक की अवधि के दौरान अनुसूचक और पथदर्शी गाड़ी कार्य के लिए वाहन उपलब्ध कराने थे। अनुबन्ध की धारा 34 में अनुबद्ध था कि ठेकेदार द्वारा स्वीकृत दरों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार जैसे कि सेवा कर, पार्किंग प्रभार, मार्ग प्रभार इत्यादि उद्ग्रहण नहीं किया जायेगा।

ठेकेदार को किये गये किराये के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ठेकेदार को 4.89 करोड़ रु. का भुगतान किया गया था जिसमें सेवा कर के प्रति 29.60 लाख रु. शामिल थे। स्वीकृत दरों के अतिरिक्त सेवा कर के रूप में किया गया यह भुगतान अनुबन्ध के निबन्धन का उल्लंघन था।

ठेकेदार को सेवा कर के प्रति किये गये भुगतान की राशि की वसूली पर कार्यवाही करते हुए विभाग ने मार्च 2004 में बताया कि सेवा कर का भुगतान अनिवार्य था और यह रकम फर्म द्वारा सरकारी लेखे में जमा कराई जा रही थी। तथ्य कायम है कि अनुबन्ध में स्वीकृत दरों में सभी उद्ग्रहण के शामिल होने की सुस्पष्टता थी। सेवा कर का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाना था और विभाग अनुबन्ध के अंतर्गत इसके प्रति अतिरिक्त देयता वहन करने को बाध्य नहीं था।

अतः समस्त दरों के अतिरिक्त सेवा कर का भुगतान ठेके के स्पष्ट निबन्धन का उल्लंघन था जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को 29.60 लाख रु. का अधिक भुगतान हुआ था।

मामला मंत्रालय को मई 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय X : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग

10.1 अधिक अनुदानों का जारी करना

भारतीय प्रबन्धन संस्थान, लखनऊ, को निवल घाटा आधार पर अनुदान जारी करने में मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप 1997-98 से 2003-04 के दौरान 35.08 करोड़ रु. की राशि के अधिक अनुदान जारी हुए। भा.प्र.सं. द्वारा राशि अनियमित रूप से धर्मस्व/संग्रह निधि में रखी गई थी।

भारतीय प्रबन्धन संस्थान (भा.प्र.सं.) लखनऊ, अनुदान प्राप्त करता है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निवल घाटा आधार पर जारी किए जाते हैं। इसके अनुसार, भा.प्र.सं. के वार्षिक अनुक्षण अनुदान की निवल आवश्यकता वित्तीय वर्ष के दौरान, इसके अनुमोदित अनुमानित व्यय से, आन्तरिक संसाधनों को शामिल करते हुए इसकी अनुमानित कुल प्राप्तियों को घटाने के बाद परिकलित की जाती है। भा.प्र.सं. लखनऊ, की मुख्य आय शिक्षा शुल्क, परामर्शीय शुल्क, छात्रावास प्राप्तियां, पुस्तकालय शुल्क इत्यादि है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मंत्रालय ने भा.प्र.सं., लखनऊ को अनुदान जारी करते समय, वित्तीयन के निवल घाटा आधार का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 1997-98 से 2003-04 के दौरान 35.08 करोड़ रु. के वार्षिक अनुदान अधिक जारी हुए। वर्ष-वार विवरण नीचे दिये गये है :-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आन्तरिक प्राप्तियां	व्यय	ग्राह्य अनुदान	जारी अनुदान	जारी किया गया अधिक अनुदान जिसे धर्मस्व/संग्रह निधि में अन्तरित किया गया था
1997-98	3.90	3.72	शून्य	0.84	0.84
1998-99	5.14	5.70	0.56	3.43	2.87
1999-00	9.05	9.03	शून्य	5.79	5.79
2000-01	10.18	13.44	3.26	7.00	3.74
2001-02	14.21	15.38	1.17	7.50	6.33
2002-03	16.77	15.69	शून्य	3.90	3.90
2003-04	16.39	17.58	1.19	12.80	11.61
जोड़	75.64	80.54	6.18	41.26	35.08

इसके अतिरिक्त, यह अवलोकित किया गया कि भा.प्र.सं. ने अपने धर्मस्व/संग्रह निधि को अधिशेष अनुदान अन्तरित किये थे यद्यपि इसकी केवल ब्लॉक अनुदान योजना के

अन्तर्गत शामिल किये गए संस्थानों के मामले में अनुमति दी गई थी, जिसके अन्तर्गत संस्थानों को धर्मस्व/संग्रह निधि में बचतें रखना और अन्तरित किया जाना अनुमत किया गया था।

मंत्रालय ने अगस्त 2004 में बताया कि संस्थान ने इन निधियों को भविष्य में ब्लॉक अनुदान योजना को आरम्भ करने की आशा के साथ धर्मस्व/संग्रह निधि में रखा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संस्थान को निवल घाटा के आधार पर निधिबद्ध किया जा रहा था और ब्लॉक अनुदान योजना के अंतर्गत समाविष्ट नहीं था।

इस प्रकार, संस्थान को निवल घाटा आधार पर अनुदान जारी करने में मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप 1997-98 से 2003-04 की अवधि के दौरान 35.08 करोड़ रु. का अधिक अनुदान जारी हुआ।

10.2 अनियमित वित्तीय सहायता

मंत्रालय ने योजना आयोग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों, जिनके अनुसार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के चरणबद्ध विस्तार के अंतर्गत लगाए गए स्टाफ पर होने वाला व्यय अगली योजना अवधि से राज्य सरकार के लिए वचनबद्ध योजनेतर देयता बन जाती है, के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार को माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण योजना के तहत 2002-2003 तथा 2003-2004 के प्रत्येक वर्ष के दौरान 3.75 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता जारी की।

भारत सरकार ने सातवीं योजना अवधि (1987-92) के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना "माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण" का अनुमोदन किया। इस योजना का एक घटक "व्यावसायिक स्कूल स्टाफ" था जिस पर केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात का साझा व्यय होना था। योजना आयोग द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत योजना अवधि में लगाए गए स्टाफ पर होने वाला व्यय अगली योजना अवधि से राज्य सरकार के लिए वचनबद्ध योजनेतर व्यय की देयता बन जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2004) कि उत्तर प्रदेश राज्य में यह योजना 1987-88 से चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित की जा रही थी। आठवीं योजना की अवधि (1996-97) तक 810 विद्यालय आवृत किए गए थे जबकि नौवीं योजना की अवधि (1997-2002) के दौरान अन्य 200 विद्यालय, 2000-2001 तथा 2001-2002 के वर्षों में प्रत्येक में 100, आवृत किए गए थे। दसवीं योजना (2002-2007) के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई नया विद्यालय मई 2004 तक संस्वीकृत नहीं किया गया था। शिक्षण आवश्यकताएं अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय आधार पर लगाकर पूरी की गई थी। तथापि मंत्रालय ने दसवीं योजना की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को अतिथि व्याख्याताओं को

मानदेय का भुगतान करने के प्रति 2002-2003 तथा 2003-2004 के प्रत्येक वर्ष के लिए 3.75 करोड़ रु. प्रतिपूर्त किए। उपर्युक्त अवधि के दौरान 7.50 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति अनियमित थी क्योंकि शिक्षकों को वेतन/मानदेय की प्रतिपूर्ति केवल एक विशेष योजना अवधि के अंतर्गत आवृत्त विद्यालयों के संबंध में ग्राह्य थी। इस मामले में 2002-2003 तथा 2003-2004 (दसवीं योजना अवधि का भाग) वर्षों के दौरान कोई नया विद्यालय संस्वीकृत नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने जून 2004 में बताया कि समुचित वेतनमानों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में कुछ कठिनाइयों के कारण राज्य सरकार ने 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान अतिथि प्राध्यापक वर्ग को कार्य पर लगाया। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 7.50 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के परामर्श से की गई थी। दिसम्बर 2004 में आगे बताया गया कि नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण 2001-02 के दौरान नियमित अध्यापकों की नियुक्ति पर व्यय का केन्द्रीय अंश 23.54 करोड़ रु. के प्रत्याशित व्यय के प्रति केवल 4.41 करोड़ रु. था। राज्य सरकारों द्वारा नियमित शिक्षकों की नियुक्ति न करने से 2001-2002 (नवीं योजना अवधि के अंतिम वर्ष) के दौरान केन्द्रीय सरकार के व्यय का अंश 19.13 करोड़ रु. घट गया। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 31 मार्च 2002 को योजना अवधि समाप्त होने के बाद दिए गए मानदेय को शामिल करते हुए कोई भी स्टाफ लागत, राज्य सरकार की देयता होनी थी। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा सूचित की गई बचतें नियमित शिक्षकों को नियुक्त करने में राज्य सरकार की असमर्थता के कारण थी और इसमें क्रमशः शिक्षा की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सम्भावना थी। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर विचार करते हुए 2005-06 से प्रस्तावित संशोधित योजना के लम्बित अनुमोदन तक राज्य सरकार को अनुदान जारी करना बन्द कर दिया गया था।

10.3 अनुदानों के उपयोग का अपर्याप्त अनुश्रवण

कम्प्यूटरों के अनुरक्षण हेतु मध्यप्रदेश सरकार को वर्ष 1997-98 के दौरान सी.एल.ए.एस.एस. योजना के अन्तर्गत जारी किए गए 5.96 करोड़ रु. के अनुदान के उपयोग को सत्यापित करने में मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं की गई मदों की खरीद पर 3.48 करोड़ रु. का व्यय किया गया और शेष 2.48 करोड़ रु. सितम्बर 2004 तक अप्रयुक्त पड़े रहे। अप्रयुक्त राशि पर भारत सरकार को ब्याज की लागत 1.53 करोड़ रु. पड़ी थी।

विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन योजना (सी.एल.ए.एस.एस.) आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीकृत प्रायोजित योजनागत योजना के रूप में अभिग्रहित की गई थी।

आठवीं योजना अवधि की समाप्ति तक, केन्द्रीय विद्यालयों सहित लगभग 5000 विद्यालय इस योजना के अन्तर्गत आवृत किए गए थे। मंत्रालय ने, 2001-02 से आशोधित सी.एल.ए.एस.एस. योजना को दिसम्बर 2001 में अनुमोदित किया।

शिक्षा विभाग (अब माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग) ने मध्य प्रदेश सरकार को सी.एल.ए.एस.एस. योजना के अन्तर्गत 422 विद्यालयों द्वारा खरीदे गए कम्प्यूटरों के अनुक्षण के लिए आवर्ती अनुदान के रूप में जनवरी 1998 में 2.60 करोड़ रु. और मार्च 1998 में 3.36 करोड़ रु. जारी किए और इसमें 1996-97 के दौरान 100 कम्प्यूटरों की खरीद के लिए भुगतान योग्य 10 प्रतिशत शेष के प्रति 10.34 लाख रु. शामिल थे। संस्वीकृति पत्र के निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार, अनुदान की राशि केवल उसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की जानी थी जिसके लिए यह संस्वीकृत की गई थी और अनुदान का अव्ययित शेष मंत्रालय को वापस किया जाना था। मंत्रालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से मई 2004 में प्रकट हुआ कि राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वयन करने के लिए मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) को समग्र अनुदान अन्तरित कर दिया था। विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर राज्य सरकार ने अक्टूबर 2003 में एक फर्म को भुगतान योग्य शेष हेतु 10.34 लाख रु. के अव्ययित अनुदान को रोकने के बाद, 5.85 करोड़ रु. का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया।

तथापि, विश्वविद्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ (सितम्बर 2004) कि इसने 3.48 करोड़ रु. कम्प्यूटर/पैरिफेरल्स, साफ्टवेयर और प्रशिक्षण पर खर्च किये थे जबकि अनुदान विशेष रूप से 1996-97 तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए विद्यमान कम्प्यूटरों के अनुक्षण के लिए था। शेष 2.48 करोड़ रु. विश्वविद्यालय के पास पड़ा था। इस प्रकार, अनुदान के उपयोग की स्थिति को सत्यापित करने में मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप 3.48 करोड़ रु. योजना के अन्तर्गत सम्मिलित न की गई मदों पर खर्च किया गया था और 2.48 करोड़ रु. सितम्बर 2004 तक छः से अधिक वर्षों से विश्वविद्यालय के पास अप्रयुक्त रहे। अवधि के दौरान जिसमें 2.48 करोड़ रु. के अनुदान अप्रयुक्त रहे, सरकार ने 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के औसत व्याज पर निधियां उधार लीं। 2.48 करोड़ रु. जो कि विश्वविद्यालय के पास व्यर्थ पड़े थे, पर उधार की लागत 1.53 करोड़ रु. बनती थी।

मंत्रालय ने सितम्बर 2004 में बताया कि विश्वविद्यालय ने सी.एल.ए.एस.एस. की परियोजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर पैरिफेरल एवं साफ्टवेयर और प्रशिक्षण कार्यक्रम की खरीद के लिए धनराशि का उपयोग किया था। उसने आगे बताया कि राज्य सरकार से

उन विद्यालयों की सूची जिनमें कम्प्यूटर लगाए गए थे और प्रशिक्षण दिया गया था, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। मंत्रालय का उत्तर स्वतः ही योजना के कार्यान्वयन के अभाव को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप गलत उपयोग प्रमाणपत्र का स्वीकरण हुआ।

10.4 प्रशासनिक उपरि खर्च/सेवा प्रभारों का अनियमित भुगतान

निदेशक परियोजना, भारतीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र और संस्कृति का इतिहास, जिनके द्वारा अनुश्रवण एजेन्सी एक स्वैच्छिक संगठन की अध्यक्षता भी की गई थी ने एजेन्सी को सेवा उपरि खर्च प्रभार के रूप में मंत्रालय की मंजूरी के बिना 68.86 लाख रु. का भुगतान किया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (भा.दा.अ.प.) के संरक्षण में भारतीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र और संस्कृति का इतिहास परियोजना (भा.वि.द.सं.इ.प.) को 1990-91 के दौरान प्रारंभ किया गया था। परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय सभ्यता की वैज्ञानिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परम्परा का व्यापक और अन्तर्ग्रन्थीय अध्ययन करना था। परियोजना 10 करोड़ रु. की लागत से 2001-02 तक पूरी होनी थी जिसमें 30 मुख्य पुस्तकों और 20 सारांशीकृत पुस्तकों/मोनोग्राफों का प्रकाशन किया जाना था। अप्रैल 1997 से मंत्रालय ने परियोजना को भा.दा.अ.प. से समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन सेन्टर फोर स्टेडिस इन सिविलाइजेशन (सी.एस.सी.) को स्थानांतरित कर दिया था। सी.एस.सी. द्वारा परियोजना की गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाना था और उपर्युक्त निर्देश और सलाह देनी थी। तदनन्तर 2001-02 के दौरान चेतना, विज्ञान, समाज, मूल्य और योग (चे.वि.स.मू.यो.) पर उपपरियोजना को शामिल करके परियोजना का विस्तार किया गया था और प्रकाशन करने वाली पुस्तकों की संख्या 30 से बढ़ाकर 54 कर दी गई थी। जनवरी 2002 में मंत्रालय द्वारा परियोजना की लागत संशोधित करके 22.75 करोड़ रु. कर दी गई थी तथा परियोजना की अवधि को मार्च 2010 तक बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सी.एस.सी. को परियोजना का अनुश्रवण करने के लिए नोडल एजेन्सी नियुक्त करते समय मंत्रालय ने सेवा प्रभार के भुगतान का उल्लेख नहीं किया था। तथापि सी.एस.सी. ने जुलाई 1998 में अपनी शासी निकाय की हुई बैठक में भा.वि.द.सं.इ.प. से 1998-99 से परियोजना पर व्यय के 15 प्रतिशत की दर से उपरि प्रशासनिक व्यय और सेवा प्रभार को प्रभारित करने का निर्णय किया था। इस आधार पर

इस निर्णय को मंत्रालय को अनुसमर्थन के लिए नहीं भेजा गया था कि विश्वविद्यालय यू.जी.सी. से परियोजनाओं पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार चार्ज कर रहे थे।

लेखापरीक्षा ने इसमें स्पष्ट हित का टकराव देखा क्योंकि भा.वि.द.सं.इ.प. के परियोजना निदेशक अनुश्रवण एजेन्सी सी.एस.सी. के अध्यक्ष भी थे। आगे भा.वि.द.सं.इ.प. के भाग पर सी.एस.सी. के एक पक्षीय निर्णय को मंत्रालय को संदर्भित किये बिना उपरि खर्च प्रभार का भुगतान करना गलत था। जबकि विश्वविद्यालयों द्वारा परियोजना पर आधारभूत संरचना जैसे उराके भवन, पुस्तकालय, स्टाफ का समर्थन बिजली के प्रयोग के बदले अतिरिक्त चार्ज किया जाता है, प्रस्तुत मामले में भा.वि.द.सं.इ.प. द्वारा अपनी निधि में से परियोजना के लिए कार्यालय की आधारिक संरचना और अन्य अपेक्षित सुविधायें तैयार की गई थी। सी.एस.सी. द्वारा मात्र सलाहकार की भूमिका निभाई गई थी। इस प्रकार हितों के टकराव के मामले के अलावा 1998-99 से 2002-03 के दौरान मंत्रालय की अनुमति के बिना 68.86 लाख रू. का प्रशासनिक उपरि खर्च/सेवा प्रभार का भुगतान सी.एस.सी. को करना अनियमित था।

मंत्रालय ने सितम्बर 2003 में बताया कि भा.वि.द.सं.इ.प. को वर्ष 2003-04 के सहायता-अनुदान इस शर्त के साथ जारी किया गया था कि जब तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाये सी.एस.सी. को आगे उपरि खर्च प्रभार के रूप में कोई भुगतान नहीं किया जाये। लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने नवम्बर 2004 तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया था और वर्ष 2004-05 के लिए उपरोक्त शर्त के साथ सहायता अनुदान जारी किया था। अपने पक्ष को दोहराते हुए मंत्रालय ने नवम्बर 2004 में सूचित किया था कि भा.वि.द.सं.इ.प. से सी.एस.सी. को किये गये उपरि खर्च प्रभार के भुगतान का प्रस्ताव प्राप्त किया गया था और विचाराधीन था। सी.एस.सी. को उपरि खर्च प्रभार के रूप में 68.86 लाख रू. की पहले से ही जारी राशि की अभी तक वसूली नहीं हुई थी।

अध्याय XI : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

11 आंतरिक नियंत्रण पद्धति/आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्यशीलता

मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय क्रियाविधि नियम-पुस्तक, सरकारी नियमों, आदेशों और समय-समय पर जारी अनुदेशों, जो आंतरिक नियंत्रण संस्थापित करते हैं, में निर्धारित जांच लागू करता है। इन नियंत्रणों को लागू करने में शिथिलता थी जिसके परिणामस्वरूप पद्धति में त्रुटियाँ/कमियाँ उत्पन्न हुईं। कुछ मुख्य त्रुटियों में विभिन्न प्रबन्धन एवं प्रशासनिक नीति/मामलों का पुनरीक्षण न किया जाना, आंतरिक तथा सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों को दूर करने में प्रभावी कार्रवाई न करना तथा संस्थानों, जो 10 लाख रु. से अधिक का सहायक अनुदान प्राप्त कर रहे थे, उनके निष्पादन के पुनरीक्षण में विफल रहना, शामिल हैं।

आंतरिक नियंत्रण पद्धतियाँ, किसी संगठन की दक्ष एवं मितव्ययी कार्यपद्धति के साथ-साथ विचलन या गलत कार्यविधि की समय पर सूचना देने के लिए, आवश्यक है।

मंत्रालय सूचना, प्रसारण तथा चलचित्र क्षेत्रों के लिए एक नोडल मंत्रालय है। यह मीडिया इकाइयों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रभावकारी प्रचार-प्रसार के लिए दिशानिर्देशक नीतियाँ प्रतिपादित करता है। मंत्रालय के कार्यकलापों को, तेरह सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय, छः स्वायत्त निकायों तथा दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहायता तथा समर्थन प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न नियंत्रण पद्धतियों के कार्यान्वयन के लिए संस्थापित क्रियाविधि की प्रभावकारिता के स्तर का पता लगाने के लिए मंत्रालय के विभिन्न स्कन्धों के अभिलेखों की नमूना जांच की। प्रबन्धन की कुछ मुख्य त्रुटियों/कमियों पर नीचे चर्चा की गयी है:-

11.1 प्रबन्धन नियंत्रण

11.1.1 कार्य मानक

केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय क्रियाविधि नियम-पुस्तक (के.स.का.क्रि.नि.) के अनुसार मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित करना अपेक्षित है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी समस्त मंत्रालयों/विभागों से मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का अनुरोध किया था। तथापि, मंत्रालय ने शीघ्र निपटान के लिए कोई

समय-सीमा नियत नहीं की। 170 लम्बित मामलों में से 56 प्रतिशत छः महीनों से अधिक पुराने थे।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2005) कि लंबित मामलों की मॉनिटरिंग, साप्ताहिक/मासिक विवरणियों के माध्यम से की जा रही थी।

11.1.2 खाली पड़े पदों /स्टाफ कार की संख्या का पुनरीक्षण

मंत्रालय ने, विभिन्न प्रबन्धन तथा प्रशासनिक मामलों जैसे कि एक वर्ष से अधिक समय से खाली पड़े पदों, स्टाफ कारों की संख्या, वाहनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर वहनित व्यय पर नियंत्रण, आवधिक रिपोर्टें/विवरणियां, बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्य-योजना तथा प्रसार भारती के सम्बन्ध में भर्ती विनियमों को अंतिम रूप न दिया जाना आदि पर कोई पुनरीक्षण संचालित नहीं किया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और सूचित किया (जनवरी 2005) कि 8 संगठनों के सम्बन्ध में पड़े हुए रिक्त पदों के पुनरीक्षण का आवश्यक निष्पादन कार्यान्वित कर लिया गया था और मुख्य सचिवालय की स्टाफ कार का पुनरीक्षण 2004 के दौरान किया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि सभी मामलों में कार्रवाई आरम्भ कर दी गई थी।

11.1.3 समाचार-पत्रों के डाटा बेस

पुरतक मुद्रण एवं पंजीकरण अधिनियम 1867 की धारा 19डी निर्धारित करती है कि प्रत्येक समाचार-पत्र के प्रकाशन को ऐसे समय पर समाचार के सम्बन्ध में एक वार्षिक विवरण भारतीय समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार (भा.स.र.) को प्रस्तुत करना होगा और इसमें ऐसे विवरण शामिल होंगे जो कि अधिनियम की धारा 19बी की उपधारा (2) में उल्लिखित हैं। चूक, अधिनियम की धारा 19-के के अंतर्गत 500 रु. तक का जुर्माना दण्डनीय है। देश में समाचार-पत्रों के विश्वसनीय डाटा बेस को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण की यह योजना बनाई गई है। 1989 से 2002 के दौरान समाचार-पत्रों के कुछ पंजीकृत प्रकाशकों के केवल 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक वार्षिक विवरण प्रस्तुत किये थे। भा.स.र. ने चूककर्ताओं को जुर्माने का दण्ड नहीं दिया था जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम के मूल उद्देश्य को विफल करते हुए, नियंत्रण का अनुपालन नहीं हुआ। भा.स.र. ने बताया (जुलाई 2004) कि उसे जुर्माना लगाने की शक्ति नहीं दी गई थी और मामला न्यायालय में ले जाया जाना था जहां एक मुकदमा लड़ने के खर्च

पाँच सौ रुपये से कहीं ज्यादा होंगे और आगे बताया कि उसके कार्यालय में ऐसे मामलों को उठाने के लिए जनसंसाधन की कमी भी थी।

11.2 प्रशासनिक नियंत्रण

11.2.1 जनशक्ति मूल्यांकन/वार्षिक निरीक्षण/आदेशों का संकलन एवं समेकन

मंत्रालय ने कार्य-मापन अध्ययन के लिए एक वार्षिक कार्ययोजना प्रतिपादित की और 17 यूनिटों को अध्ययन के लिए लक्षित करते हुए 2001-04 के लिए एक सापेक्ष योजना तैयार की। फरवरी 2002 में कार्य-मापन अध्ययन के लिए बने पद की समाप्ति के परिणामस्वरूप मंत्रालय ने 2003-04 से कार्य-मापन अध्ययन के लिए, वार्षिक कार्य योजना का प्रतिपादन बन्द कर दिया। व्यय सुधार आयोग (व्य.सु.आ.) ने मंत्रालय के स्टाफ की अपेक्षाओं का अध्ययन, स्टाफ निरीक्षण यूनिट (स्टा.नि.यू.) द्वारा संचालित किए जाने की सिफारिश की। मंत्रालय ने अगस्त 2004 में बताया कि व्य.सु.आ. की सिफारिशों के कार्यान्वयन के उपरान्त भी न तो मुख्य सचिवालय में या किसी अधीनस्थ कार्यालय का स्टा.नि.यू. द्वारा कोई कार्य-मापन अध्ययन नहीं किया गया था और बाद में कहा (जनवरी 2005) कि मंत्रालय अपने मुख्य सचिवालय के कार्य-मापन अध्ययन के संचालन के लिए स्टा.नि.यू. के साथ दृढ़ता से विचार कर रहा था।

के.स.का.क्रि.नि. के अनुसार, वर्ष में एक बार प्रत्येक अनुभाग/डेस्क का निरीक्षण किया जाना चाहिए। प्रत्येक विभाग द्वारा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों का, नामित वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से वर्ष में एक बार निरीक्षण भी किया जाना था ओ.एण्ड एम. कार्यालयों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (प्र.सु. एवं लो.शि.वि.) को प्रस्तुत की जानी थी। तथापि, मंत्रालय ने अनुभागों/डेस्कों का 2001-02 में 35 प्रतिशत 2002-03 में 50 प्रतिशत तथा 2003-04 में 41 प्रतिशत निरीक्षण संचालित किया। मंत्रालय ने अगस्त 2004 में बताया कि सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों का ओ.एण्ड एम. निरीक्षण वर्ष 2003-04 से किया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में आया था कि सितम्बर 2004 तक मंत्रालय में आदेशों /अनुदेशों के संकलन /समेकन के लिए कोई पद्धति नहीं थी जैसा कि के.स.का.क्रि.नि. के अन्तर्गत अपेक्षित है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (जनवरी 2005) और भविष्य में अनुपालना हेतु दर्ज किया।

11.2.2 स्थायी परिसम्पत्तियों तथा स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन

स्थायी परिसम्पत्तियों तथा स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन मंत्रालय के विभिन्न विभागों/ अनुदानग्राही संस्थानों द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष सत्यापन की स्थिति निम्न प्रकार से थी:

क्र.सं.	विभाग/ संस्थान का नाम	भंडार मर्दे	अवधि जब से प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था
1	प्रसार भारती	परिसम्पत्तियां तथा स्टाक	इसके प्रारंभ से अर्थात् अप्रैल 2000
2	भारतीय जन संचार संस्थान	-वही-	अप्रैल 2001 से
3.	सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	-वही-	2001-02 से
4.	भारतीय प्रैस परिषद	-वही-	2001 के लिए जून 2002 में स्टाक तथा भंडारों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था। वर्ष 2002-04 के लिए कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

मंत्रालय के मुख्य सचिवालय ने, जनवरी 2002 की प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट में इंगित कमियों को दूर करने के लिए कोई उपचारी कार्यवाही नहीं की है। भंडारों के अथ और अन्त शेषों के सत्यापन तथा उनको जारी करने के लिए प्रभावकारी नियंत्रण की कोई पद्धति नहीं थी। काटे गए तथा ऊपर लिखे गए को अनुप्रमाणित नहीं किया गया था तथा लेखक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्टाक रजिस्टर में परिकलित जोड़ के सत्यापन के लिए कोई पद्धति नहीं थी। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर, मुद्रक, फोटोकापीयर आदि कुछ भंडार मर्दों को मंत्रालय वापस कब्जे में लेने में समर्थ नहीं रह सका था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया (जनवरी 2005) कि सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को अनिवार्यतः अनुपालना हेतु अनुदेश जारी कर दिये गये थे।

11.2.3 सेवा अभिलेखों का सत्यापन

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा वर्ष में कम से कम दस प्रतिशत सेवा पुस्तिकाओं तथा छुट्टी लेखे का निरीक्षण किया जाना था। तथापि, वहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवा अभिलेखों के सत्यापन के लिए कोई नियमित पद्धति नहीं थी। मंत्रालय नामांकन रजिस्ट्रों का अनुसंधान नहीं कर रहा था। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं था कि मंत्रालय ने यह कैसे

सुनिश्चित किया कि उपदान, सा.भ.नि., के.स.क.सा.बी.यो. आदि से संबंधित नामांकन विधिवत रूप से प्राप्त कर लिए थे।

मंत्रालय ने सेवा अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2005) और आगे बताया कि सेवा पुस्तिकाओं में नामांकन रखे जा रहे थे और इसका आ. एवं सं.अ. द्वारा अनुरक्षण अभिलेखों की द्विरावृत्ति भी होगी। मंत्रालय को यह सूचित किया गया कि नियम के प्रावधानों के अनुसार यह आवश्यक था।

11.3 लेखा विधि नियंत्रण

11.3.1 बजट तथा व्यय

व्यय के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावकारी अनुश्रवण नहीं था। मंत्रालय ने निर्धारित प्रपत्र में सा.वि.नि.-12 और 13 में विवरणियों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, अनुदान से प्राप्त संपूर्ण व्यय दर्शाते हुए या पूर्ववर्ती माह के अंत तक उनके अंतर्गत कार्यालयों से विनियोजन के निपटान के लिए न तो कोई रजिस्टर / ब्रॉडशीट अनुरक्षित की थी और न ही समग्र रूप से विभाग के लिए कुल प्रगामी व्यय प्राप्त करने को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में प्राप्त विवरणियां समेकित की गयी थीं। आंतरिक नियंत्रण की अनुपालना न होने के परिणामस्वरूप वर्ष की अंतिम तिमाही में न केवल अत्यधिक व्यय हुआ बल्कि इसके अतिरिक्त 2001-04 के दौरान 10 से 252 प्रतिशत तक की सीमा के बीच बहुत से मामलों में भारी बचत भी हुई। मंत्रालय ने अगस्त 2004 में बताया कि मासिक आधार पर व्यय का अनुश्रवण किया गया था तथा अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत व्यय के आंकड़े संबंधित फाइलों में पुनरीक्षित किए गए थे और मुख्य नियंत्रक लेखा (मु.नि.ले.) तथा अन्य अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए थे। तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मंत्रालय ने प्रतिमाह व्यय की प्रगति का पुनरीक्षण नहीं किया और व्यय के पुनरीक्षण से संबंधित फाइलें मु.नि.ले. तथा अन्य अधिकारियों को यदा-कदा प्रस्तुत की गयी थीं।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया (जनवरी 2005) कि प्रपत्र सा.वि.नि. 13 में एक व्यय पुनरीक्षण रजिस्टर शुरू कर दिया गया था।

11.3.2 व्यय के आंकड़ों का समाधान

मंत्रालय, आ.एवं संवि. अधिकारियों तथा भु.ले.का. द्वारा बुक किए गए व्यय के आंकड़ों का नियमित समाधान नहीं कर रहा था। सरकारी प्राप्तियों को जमा कराने में तीन से 14 दिनों की सीमा तक विलम्ब हुआ था यद्यपि इन्हें तुरन्त जमा किया जाना था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2005) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां भविष्य में अनुपालना हेतु दर्ज कर ली गई थी।

11.3.3 नियंत्रण रजिस्ट्रों का अनुचित/गैर अनुरक्षण

यह पाया गया था कि नियंत्रण रजिस्ट्रों जैसे बिल रजिस्टर, प्राप्त पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर, मूल्यवान वस्तुओं का रजिस्टर, अनुलिपि चाबी रजिस्टर आदि का या तो अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा निर्धारित प्रपत्र में अनुरक्षित नहीं किए गए थे। मूल्यवान वस्तुओं के रजिस्टर में महत्वपूर्ण विवरणों जैसे मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति की तिथि, लेखे में जमा करने की तिथि, बैंक सूची में क्रेडिट करने की तिथि या चैकों की वापसी यदि अस्वीकृत हुए हों, का उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार, बैंकों में चैकों/ मांगपत्रों के विलम्बित प्रेषण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया (जनवरी 2005) कि आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।

मंत्रालय अनुदानग्राही संस्थानों को सहायता अनुदान जारी करता है। तथापि, यह देखा गया कि यद्यपि मंत्रालय ने सहायक अनुदानों के एक रजिस्टर का अनुरक्षण किया था लेकिन उसमें निर्धारित कॉलम नहीं थे। इस प्रकार, उचित रजिस्टर की अनुपस्थिति में, दोहरे भुगतान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने, प्रतिवर्ष 10 लाख रू. से अधिक अनुदान प्राप्त करने वाले अनुदानग्राही, संस्थानों के निष्पादन का आवधिक पुनरीक्षण नहीं किया था जैसाकि वित्त मंत्रालय के दिनांक 18 नवम्बर 1983 के का.ज्ञा. के अन्तर्गत अपेक्षित था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2005) कि अनुदानों के रजिस्टर का उचित रूप से संशोधन किया गया था। अनुदानग्राही संस्थानों के निष्पादन के पुनरीक्षण के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि कुछ अनुदानग्राही संस्थानों के निष्पादन का पुनरीक्षण किया जा रहा था और अन्य का किया जाएगा।

11.3.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संचालित की जाती है कि वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों में किस सीमा तक नियमों तथा विनियमों, लेखांकन पद्धति एवं प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है।

प्रधान लेखा कार्यालय, मुख्य नियंत्रक लेखा के पर्यवेक्षण के अंतर्गत मंत्रालय की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करता है। देश भर में लगभग 562 यूनिटें हैं। मंत्रालय की आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध की आवृत्ति एवं आवधिकता एक करोड़ रु. या इससे अधिक के लिए वार्षिक, 50 लाख रु. से अधिक के लिए द्विवार्षिक तथा 50 लाख रु. से कम के लिए त्रैवार्षिक है।

11.3.5 निष्पादन

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध ने योजना बनायी तथा 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान बकाया पड़ी प्रसार भारती यूनिटों को समाविष्ट करते हुए, क्रमशः 278, 134 तथा 150 इकाइयों की लेखापरीक्षा की। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध, प्रसार भारती की लेखापरीक्षित होने वाली शेष यूनिटों के विवरण उपलब्ध नहीं करा सकी थी। इसके अतिरिक्त, किस वर्ष तक शेष बची यूनिटों की आंतरिक लेखापरीक्षा समाप्त की जानी थी, उस अवधि की सूचना भी स्कन्ध ने नहीं दी।

11.3.6 अभ्युक्तियों की अनुपालना का अनुश्रवण

मंत्रालय ने त्रुटियों को दूर करने, या सांविधिक लेखापरीक्षा तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों का अनुपालन करने में समय पर प्रभावकारी कार्यवाही नहीं की। सितम्बर 2004 को बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति निम्न प्रकार से थी:

बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	1987-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	जोड़
आंतरिक	-	-	-	2771	1458	1241	5470
सांविधिक	156	37	68	109	166	58	594

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2005) कि विभिन्न अनुभागों द्वारा समय पर परिशोधनीय उपाय करने के प्रभावशाली प्रयास आरंभ कर दिए गए थे।

11.3.7 अनुदानग्राही संस्थानों में आंतरिक नियंत्रण पद्धति

मंत्रालय से बड़ी निधियां प्राप्त करने वाले अनुदानग्राही संस्थानों जैसे: प्रसार भारती, भारतीय प्रेस परिषद, भारतीय बाल चलचित्र समिति और भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, सत्यजीत राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, भारतीय जन संचार संस्थान, में आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारी पद्धति विद्यमान नहीं थी। इन संस्थानों ने प्रभावकारी आंतरिक नियंत्रण के लिए लेखे तथा लेखापरीक्षा नियम-पुस्तक अभी तक विकसित नहीं की हैं। इन संगठनों में कोई पूर्व लेखापरीक्षा पद्धति विद्यमान नहीं थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया (जनवरी 2005) कि मामला अनुदानग्राही संस्थानों के साथ उठाया जा रहा था।

अध्याय XII : श्रम मंत्रालय

12.1 निधियों का अधिक जारी किया जाना

पिछले वर्षों में जारी अनुदानों को उचित रूप से समायोजन करने में मंत्रालय असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप बाल कार्मिक विकास समिति, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश को 12.68 लाख रु. अधिक जारी हुये।

मंत्रालय अपनी योजना राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत बाल कार्मिक विकास समिति, अनन्तपुर, आन्ध्रप्रदेश (समिति) को विशेष विद्यालयों के संचालन के लिए अनुदान जारी करता है। अनुदान योजना के अन्तर्गत ग्राह्य वास्तविक व्यय के प्रति समायोजन की शर्त पर किस्तों में जारी की जाती है। अनुदान सम्बन्धित जिलाधिकारी जो कि जिला परियोजना समिति का अध्यक्ष भी होता है, के माध्यम से की जाती है।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ (मई 2004) कि आगामी वर्ष के अनुदानों को जारी करते समय पिछले वर्ष के अव्ययित अनुदानों के समायोजन करने में गलती के परिणामस्वरूप समिति को 12.68 लाख रु. 1998-99 (7.88 लाख रु.) और 1999-2000 (4.80 लाख रु.) के दौरान अधिक जारी हुये।

प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने गलती स्वीकार करते हुए सितम्बर 2004 में बताया कि जारी की गई अधिक राशि को वर्ष 2004-05 की प्रथम किस्त में से घटाया जा चुका था। तथापि, तथ्य कायम था कि 7.88 लाख रु. और 4.80 लाख रु. का अधिक अनुदान क्रमशः छः वर्षों और पाँच वर्षों से अधिक के लिए समिति के पास रहा। चूंकि, सरकार ने जारी की गयी निधियों को 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर उधार लिया था, सरकार को 12.68 लाख रु. अधिक जारी करने पर 7.13 लाख रु. राशि की ब्याज लागत हुई।

अध्याय XIII : विद्युत मंत्रालय

बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन

13.1 कार्यकारी स्टाफ को पट्टा रिहाइशी आवास के अनियमित प्रावधान के परिणामस्वरूप परिहार्य आवर्ती/वित्तीय विवक्षा

ब.थ.पा.स्टे. के कार्यकारी स्टाफ को नियमों का उल्लंघन करके, पट्टा रिहाइशी आवास उपलब्ध कराया गया था जिसके परिणामस्वरूप पट्टा किराए का परिहार्य व्यय हुआ।

भारत सरकार के स्वामित्व वाले बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (ब.थ.पा.स्टे.) का प्रबन्धन 1 अप्रैल 1978 से एक एजेन्सी आधार पर एन.टी.पी.सी. द्वारा किया जाता है। भारत सरकार तथा एन.टी.पी.सी. के बीच 1978 में निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार समस्त कर्मचारी जो उस तिथि को ब.थ.पा.स्टे. के चिट्ठे पर थे, एन.टी.पी.सी. के कर्मचारियों पर लागू नियमों एवं विनियमों द्वारा अधिशासित किए जाने थे। कार्यकारी स्टाफ को रिहाइशी आवास के आबंटन के सम्बन्ध में एन.टी.पी.सी. नियमों में, आर्थिक सहायता प्राप्त पट्टा रिहाइशी आवास केवल उनस्थानों पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है जहां उनका स्वयं का नगर क्षेत्र नहीं है।

ब.थ.पा.स्टे. दिल्ली के पास कार्यकारी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बने 529 क्वार्टरों को समाविष्ट करते हुए अपने नगर क्षेत्र में 1197 क्वार्टर थे। मार्च 2004 को ब.थ.पा.स्टे. के पास कार्यकारी स्टाफ की संख्या 347 थी। आबंटन के लिए उपलब्ध 529 कार्यकारी क्वार्टरों में से केवल 107 क्वार्टर ब.थ.पा.स्टे. के कार्यकारी स्टाफ द्वारा अपने अधिकार में लिए गए थे। बाकी के 422 कार्यकारी क्वार्टरों में से 66 पर्यवेक्षकों, 289 कामगारों को, 19 बाहर वालों को तथा नौ अन्य को आबंटित किए गए थे। शेष 39 क्वार्टर मार्च 2004 को खाली पड़े हुए थे।

अपने कार्यकारी स्टाफ को दिल्ली में पट्टा-आवास में ठहरने की अनुमति देने से ब.थ.पा.स्टे. ने 1999-2003 के दौरान 8.70 करोड़ रु. का व्यय वहन किया था। 210 मामलों में कार्यकारी स्टाफ को, स्वयं पट्टे की अनुमति प्रदान की गयी थी। ब.थ.पा.स्टे. के नगर क्षेत्र में क्वार्टरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए पट्टे किराए का भुगतान न्यायोचित नहीं था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए ब.थ.पा.स्टे. ने जून 2004 में बताया कि पारिवारिक विवक्षता अर्थात् पत्नियों के रोजगार तथा नजदीकी क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा पर

कार्यकारियों को पट्टा-आवास उपलब्ध कराया गया था। उसने यह भी बताया कि पट्टा अवधि की समाप्ति के उपरान्त ऐसे सभी मामलों का पुनरीक्षण किया जाएगा तथा ब.थ.पा.स्टे. के हित की सुरक्षा के लिए जहाँ आवश्यक होगा, शोधक पद्धति अपनायी जाएगी।

मंत्रालय ने अक्टूबर 2004 में यह उत्तर दिया कि एन.टी.पी.सी. के नैगम केन्द्र की मार्गनिर्देशन नीति के अनुसार ब.थ.पा.स्टे. के कार्यकारी स्टाफ को पट्टा-आवास उपलब्ध कराया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नीति-मार्गनिर्देशन केवल उन नगरों में जहाँ कंपनी के पास अपने स्वामित्व वाला रिहाइशी नगर क्षेत्र नहीं है, आर्थिक सहायता प्राप्त रिहाइशी आवास उपलब्ध कराने का विशेषतौर पर अनुबद्ध करता है।

इस प्रकार कार्यकारी स्टाफ को पट्टा आवास उपलब्ध कराना नियमों के प्रतिकूल था जिसके परिणामस्वरूप 1999 तथा 2003 के बीच 8.70 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

अध्याय XIV: जहाजरानी मंत्रालय

महानिदेशालय जहाजरानी, मुम्बई

14.1 शक्ति गुणक सुधारक कैपेसिटर का प्रतिष्ठापन न होने के कारण परिहार्य व्यय

महानिदेशालय जहाजरानी, मुम्बई द्वारा शक्ति गुणक सुधार कैपेसिटरों का प्रतिष्ठापन न करने के परिणामस्वरूप आर.के.वी.ए.एच शुल्क और शक्ति गुणक अधिभार के कारण 12.88 लाख रु. का परिहार्य व्यय हुआ।

महानिदेशालय जहाजरानी, मुम्बई विट्मनमुम्बई, इलेक्ट्रिक सप्लाइ एण्ड ट्रांसपोर्ट अण्डरटेकिंग (बी.ई.एस.टी.) का विद्युत उपभोक्ता है। बी.ई.एस.टी. की विद्युत खपत के विनियमों के अनुसार, यदि शक्ति गुणक का स्तर 0.970 या अधिक पर अनुरक्षणीत किया जाता है, रिएक्टिव किलोवाट एम्पेयर आवर्स (आर.के.वी.ए.एच.) इकाईयों और शक्ति गुणक अधिभार के रूप में जुर्माना नहीं लगाया जायेगा।

फरवरी 1998 में बी.ई.एस.टी. ने सभी उपभोक्ताओं को कम शक्ति गुणक के लिए आर.के.वी.ए.एच. इकाईयों और विद्युत घटक अधिभार प्रभारित करने के अपने इरादे से प्रज्ञापित किया था और पर्याप्त शक्ति गुणक सुधारक कैपेसिटर प्रतिष्ठापित करने का सुझाव दिया था।

जून 2004 में लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा शक्ति गुणक का स्तर 0.970 पर बनाये रखने के लिए कैपेसिटरों को प्रतिष्ठापित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। विभाग को फरवरी 2000 से मार्च 2004 की अवधि के दौरान आर.के.वी.ए.एच. इकाईयां (11.14 लाख रु.) और शक्ति गुणक अधिभार (1.74 लाख रु.) के कारण बी.ई.एस.टी. को 12.88 लाख रु. का भुगतान करना पड़ा था। मार्च 1998 से जनवरी 2000 तक इन प्रभारों पर हुए व्यय की जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी।

विभाग ने जून 2004 में बताया कि मामला शक्ति गुणक में सुधार के लिए कार्यकारी अभियन्ता (विद्युत) के.लो.नि.वि., मुम्बई के ध्यान में लाया गया था।

इस प्रकार कैपेसिटरों को प्रतिष्ठापन करने की कार्रवाई में विभाग की विफलता के कारण 12.88 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय के अलावा कैपेसिटर प्रतिष्ठापित होने तक प्रतिवर्ष 3.22 लाख रु. का आवर्ती व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XV : पर्यटन मंत्रालय

15.1 मुद्रण पर अपव्यय

भारत पर्यटन कार्यालयों, फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड तथा मिलान, द्वारा प्रचार सामग्री के मुद्रण में अनियमितता के परिणामस्वरूप 60.04 लाख रु. का अपव्यय हुआ। लन्दन स्थित भारत पर्यटन कार्यालय ने सामग्री की प्राप्ति के साक्ष्य के बिना कोलैटरल्स मुद्रण के प्रति 38.87 लाख रु. का अनियमित व्यय वहन किया।

विदेश में भारत पर्यटन कार्यालयों की प्रत्यायोजन वित्तीय शक्तियों के अनुसार प्रत्यक्ष मुद्रण पर व्यय, प्रत्येक मामले में, प्रबन्धक के लिए 2000 यू.एस.\$ निदेशक के लिए 5000 यू.एस.\$ तथा क्षेत्रीय निदेशक के लिए 15000 यू.एस.\$ से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। आगे, अप्रैल 2001 में पर्यटन मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया था कि कोलैटरल्स¹ का उत्पादन केन्द्रीयकृत रूप से मुख्यालय में किया जाएगा और विदेश स्थित कार्यालयों को संवितरित किया जाएगा।

फ्रैंकफर्ट, लन्दन, मैड्रिड², मिलान तथा मास्को² स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला:

भारत पर्यटन कार्यालय, मिलान

1. दिसम्बर 2002 में भारत पर्यटन कार्यालय, मिलान ने क्षेत्रीय निदेशक फ्रैंकफर्ट के अनुमोदन से मैसर्स इटेलग्राफिका को, 9500 कैलेण्डरों, प्रत्येक के लिए 2.90 यूरो के मूल्य पर के मुद्रण के लिए आदेश दिया। 14.16 लाख रु. की राशि लगभग 30,000 यू.एस.\$ के बराबर का खरीद आदेश प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के उल्लंघन स्वरूप था। खरीद आदेश में सुपुर्दगी के लिए कोई समयसूची उल्लिखित नहीं थी। कैलेण्डरों की सुपुर्दगी, मिलान कार्यालय में 24 दिसम्बर को और फ्रैंकफर्ट कार्यालय में 19 जनवरी 2003 को की गयी थी और कैलेण्डर भारतीय दूतावासों, यात्रा प्रचालकों तथा यात्रा एजेंसियों को जनवरी तथा फरवरी 2003 में 1.05 लाख रु. की लागत पर संवितरित किए गए थे। कैलेण्डर ने अप्रैल में 31 दिन दर्शाए थे और कुछ तस्वीरें दोहरी धारणा की थी। त्रुटि तथा मुद्रण की घटिया गुणवत्ता, संभावित प्रचार उद्देश्यों के अनुसार अपचायक थी जो विलम्बित सुपुर्दगी द्वारा संयोजित थी। समस्त स्टाक अप्रयोज्य था जो यूरोप तथा

¹ प्रचार सामग्री, विवरणिकाएं

² भारत पर्यटन के बंद कार्यालय

तत्कालीन सोवियत संघ गणराज्य स्थित मिशनों/केन्द्रों द्वारा संवितरित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों की अनुपालना न होने के अतिरिक्त 15.21 लाख रु. का अपव्यय किया गया था।

भारत पर्यटन कार्यालय, मैड्रिड

2. दिसम्बर 2000 में भारत पर्यटन कार्यालय मैड्रिड ने, जनवरी 2001 में पुर्तगाल में होने वाले 'बी.टी.एल.' मेले तथा मैड्रिड में होने वाले 'फितूर' मेले के दौरान संवितरण के लिए 52,000 यू.एस.\$ (लगभग) की लागत पर 1.10 लाख³ विवरण-पुस्तिकाओं⁴ के मुद्रण के लिए, मैसर्स मोरेल्स कम्यूनिकेशन को आदेश दिया। आदेश के मूल्य ने प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन किया तथा 2000-01 के लिए, वार्षिक योजनागत, बजट भी बढ़ गए। इसके परिणामस्वरूप कार्यालय भुगतान जारी नहीं कर सका था और इसलिए फर्म ने विवरण-पुस्तिकाओं की सुपुर्दगी नहीं की। जनवरी 2002 में अर्थात् एक वर्ष के उपरान्त, भंडारण मूल्य को समाविष्ट करते हुए विवरण पुस्तिकाओं को जारी करने के लिए 59,532 यूरो, 25.49 लाख रु. के बराबर का भुगतान जारी किया जिससे अप्रैल 2002 में, भारत पर्यटन कार्यालय मैड्रिड के बन्द होने के एक माह के पूर्व विवरण पुस्तिकाएं सुपुर्द की गईं।

इस प्रकार, निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बगैर आदेशों के प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप 25.49 लाख रु. का अपव्यय हुआ इसके अतिरिक्त पूर्वनिर्दिष्ट मेलों में प्रचार सामग्री के संवितरण के लिए अवसर की हानि हुई।

भारत पर्यटन कार्यालय, फ्रैंकफर्ट

3. जनवरी 2003 में, भारत पर्यटन कार्यालय, फ्रैंकफर्ट ने रूसी भाषा में विवरणिका पुस्तिकाओं की 1,05,000 प्रतियों के मुद्रण के लिए रोडविल वेन्वर्स लिमिटेड, मास्को को 43,795 यू.एस.\$ की लागत पर आदेश दिया। विवरणिका पुस्तिकाएं, मास्को में 17 फरवरी से 21 फरवरी 2003 तक होने वाले भा.व्या.प्रो.सं.⁵ मेले में संवितरण के लिए 15 फरवरी 2003 तक सुपुर्द की जानी थीं। आदेश, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन करते हुए था। भारतीय दूतावास मास्को ने, मेले के समापन के उपरान्त

³ स्पेनिश में एक लाख प्रतियां तथा पुर्तगाली भाषा में 10,000 प्रतियाँ

⁴ आगरा, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गोवा (पुर्तगाली), जयपुर, केरल, मुंबई, उड़ीसा, वाराणसी तथा आयुर्वेद।

⁵ भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन

69,765 विवरणिका पुस्तिकाएँ⁶ प्राप्त कीं। सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। लेखापरीक्षा के ध्यान में यह भी आया था कि सहायक निदेशक, भारत पर्यटन कार्यालय फ्रैंकफर्ट ने इनवाईस के मुख पृष्ठ पर उस समय के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा बिना तिथि के इस प्रमाण-पत्र के आधार पर (दूतावास द्वारा प्राप्त 69765 के प्रति) कि शेष सामग्री भा.व्या.प्रो.स. द्वारा आयोजित मेले तक प्राप्त कर ली गई थी, 95000 प्रतियों के लिए 40075 यू.एस.\$ 19.34 लाख रु. के बराबर भुगतान जारी किए। 25,235 विवरणिका-पुस्तिकाओं के लिए भुगतान सामग्री की प्राप्ति के दस्तावेजी साक्ष्य के बिना जारी की गयी थी।

इस प्रकार, सामग्री की विलम्बित आपूर्ति के लिए 19.34 लाख रु. का भुगतान जारी किया गया था जिसका, अभिप्रेत प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सका था।

भारत पर्यटन कार्यालय, लन्दन

4. मार्च 2002 में, भारत पर्यटन कार्यालय, लन्दन ने अप्रैल 2001 की मंत्रालय की नीति तथा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन करते हुए 55529 पौंड की लागत पर अंग्रेजी में 52000 कोलैटरल्स के मुद्रण के लिए पांच आदेश दिए। निविदा के आमंत्रण के सम्बन्ध में बिना किसी संहिता सम्बन्धी औपचारिकताओं का अनुसरण किए मैसर्स बैंक हुग्गीन्स ओशिया एफ.सी.बी., विज्ञापन एजेन्सी को मार्च 2002 में सभी आदेश दिए गए थे। सामग्री की प्राप्ति के किसी अभिलेख के बिना मार्च 2002 में 55529 पौंड का स्वतः भुगतान किया गया था। आदेशों का औचित्य या मात्रा का कोई उद्देश्यात्मक आकलन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप भारत पर्यटन कार्यालय, लन्दन द्वारा आदेशित कोलैटरल्स मुद्रण पर 38.87 लाख रु. का अनियमित व्यय हुआ।

इस प्रकार भारतीय पर्यटन कार्यालयों मिलान, मैड्रिड, फ्रैंकफर्ट तथा लन्दन ने 98.91 लाख रु. का अपव्यय/अनियमित व्यय वहन किया।

मामला मार्च 2004 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

⁶ 26 फरवरी 2003 तथा 6 मार्च 2003 को प्राप्त इनवाईसों के अनुसार

अध्याय XVI : जनजातीय कार्य मंत्रालय

16.1 वित्तीय सहायता की अनियमित स्वीकृति

मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए छात्रावास के निर्माण के लिए 7.90 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के विद्यार्थियों के छात्रावासों के निर्माण के लिए एक केन्द्रीकृत प्रायोजित योजना का संचालन रहा था। योजना के अंतर्गत छात्रावास भवन के निर्माण तथा/अथवा विद्यमान छात्रावासों के विस्तार के लिए, माध्यमिक विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के लिए योजना के राज्य सरकार को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता बराबरी के आधार पर (50:50) तथा सं.शा.क्षेत्र को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता दी गयी थी। योजना के अंतर्गत, एक छात्रावास में अधिकतम 100 सीटों के लिए वित्तीय सहायता ग्राह्य थी।

चूंकि उपरोक्त योजना के अंतर्गत बजट आबंटन का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा रहा था, मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्थापित संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए इस योजना के लाभ को बढ़ाने का निर्णय लिया। अक्टूबर 2000 में मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.प्रौ.सं.) को इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। तदनुसार, भा.प्रौ.सं. दिल्ली ने समस्त जातियों तथा पंथों के विद्यार्थियों के रहने के लिए 8.01 करोड़ रु. की लागत पर 380 विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास के निर्माण हेतु मई 2001 में एक प्रस्ताव भेजा। भा.प्रौ.सं. ने सुस्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि मंत्रालय द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता से निर्मित छात्रावास के कमरों का आबंटन केवल अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए प्रतिबन्धित करना संभव नहीं होगा। इसके बावजूद मंत्रालय ने 380 सीटों के छात्रावास के निर्माण के लिए 7.90 करोड़ रु. का एक अनुदान संस्वीकृत किया और दिसम्बर 2001 में 50 लाख रु. की प्रथम किश्त जारी की। यह अनियमित था, क्योंकि निधियाँ विशेषतौर पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए थीं, जो अन्य श्रेणियों के लाभ पहुंचाने के लिए विपथित की गयी थी। सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए निधियों का विपथन अनियमित था और योजना का उद्देश्य विफल रहा। मंत्रालय ने, इस वित्तीय सहायता से भा.प्रौ.सं. द्वारा निर्मित छात्रावासों की कितनी सीटें अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से दी जाएगी, का निश्चय करने के लिए कोई क्रियाविधि भी प्रतिस्थापित नहीं की थी।

मंत्रालय ने अगस्त 2004 में बताया कि 380 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था क्योंकि भा.प्रौ.सं. ने 25 प्रतिशत सीटों की वृद्धि करने का निर्णय लिया था तथा छात्रावास में अतिरिक्त सीटों की आवश्यकता की पूर्ति

के लिए आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं नहीं थी और चूंकि लक्ष्य अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाना था, इसलिए सभी जातियों/पंथों के लिए, 380 विद्यार्थियों के लिए भा.प्रौ.सं. दिल्ली के छात्रावास निर्माण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। भा.प्रौ.सं. ने जुलाई 2004 में सूचित किया कि छात्रावास निर्माण का कार्य के.लो.नि.वि. को सौंपा गया था। लेखापरीक्षा ने सुनिश्चित किया (दिसम्बर 2004) कि निर्माण की अनुमानित लागत 10.18 करोड़ रु. तक संशोधित की गई थी और के.लो.नि.वि. ने सितम्बर 2004 में एक फर्म को ठेका दिया था। भा.प्रौ.सं. ने दिसम्बर 2004 में सूचित किया कि 3.08 करोड़ रु. खर्च किए गए थे और मंत्रालय से 2004-05 के दौरान सात करोड़ रु. तथा शेष को अगले वित्तीय वर्ष में जारी करने का अनुरोध किया था। मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि (i) योजना में केवल अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के छात्रावास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान था (ii) योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल 100 सीटों वाले छात्रावास को दी जा सकती थी तथा (iii) निधियाँ जो अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए थीं किस सीमा तक इस श्रेणी को वास्तव में लाभ पहुंचाया गया था मंत्रालय के पास इसका निर्धारण करने के लिए कोई साधन नहीं था। मंत्रालय की कार्यवाही से, अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए बनी निधियों के विपथन से, योजना का असली उद्देश्य निष्फल सिद्ध हुआ।

अध्याय XVII : शहरी विकास मंत्रालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नासिक केन्द्रीय प्रभाग

17.1 जमा निर्माण कार्यों के निष्पादन में अनियमितताएं

के.लो.नि.वि., नासिक के कार्यकारी अभियंता ने जमा निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप जमा राशि से 3.76 करोड़ रु. का अधिक व्यय हुआ।

के.लो.नि.वि. मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार जब कभी जमा निर्माण कार्य कार्यान्वित किया जाना होता है तो अंशदान, निर्माणकार्य के कारण कोई देयता होने से पहले वसूल किया जाना चाहिए। तथापि उन मामलों में जहाँ मंत्रालय को यह संतुष्टि होती है कि जब उसे आवश्यकता होगी धनराशि उपलब्ध हो जाएगी तो वह अंशदाता से नियत तिथियों पर उपयुक्त किश्तों में राशि वसूल करने का प्राधिकार दे सकता है। इस उद्देश्य के लिए सरकारी धनराशि के अग्रिम की अनुमति नहीं दी गई है।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच (मई 2004) से प्रकट हुआ कि कार्यकारी अभियंता, नासिक केन्द्रीय प्रभाग, के.लो.नि.वि. नासिक ने संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जमा निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए मार्च 2004 तक विभिन्न सेवार्थी विभागों से प्राप्त जमा राशियों से 3.76 करोड़ रु. अधिक का व्यय किया था। इसमें से 3.47 करोड़ रु. के.लो.नि.वि. द्वारा 1995-96 और 2001-2002 के बीच विभिन्न स्थानों पर किए गए निर्माण कार्यों के संबंध में एक स्वायत्त निकाय, नवोदय विद्यालय समिति, से वसूली योग्य थे। कार्यकारी अभियंता ने नवोदय विद्यालय समिति को सूचित किया (फरवरी 2004) कि जब तक बकाया राशि की प्राप्ति नहीं होती तब तक के.लो.नि.वि. सभी वर्तमान जमा निर्माण कार्य बंद कर देगा।

संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इन जमा निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय या तो के.लो.नि.वि. के अपने बजट अनुदान से या अन्य जमा निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध निधियों में से किया गया था। यह भी पाया गया था कि कार्यकारी अभियंता ने संबंधित जमा निर्माण कार्यों के पूरा होने के तत्काल बाद सेवार्थी विभागों के साथ लेखाओं का परिशोधन नहीं किया था तथा फरवरी 2004 में सभी निर्माण कार्यों को

रोकने की विभाग की कार्रवाई बहुत विलंब के बाद की गई थी। इसके परिणामस्वरूप सेवार्थी विभागों से 3.76 करोड़ रु. की कम वसूली हुई।

विभाग ने सितम्बर 2004 में उत्तर दिया कि सेवार्थी विभागों को प्रत्येक माह के अंत में कार्य की स्थिति तथा वित्तीय स्थिति दर्शाते हुए फार्म सं.65 नियमित रूप से भेजा गया था। तथापि, निरन्तर अनुनय करने के बावजूद सेवार्थी विभागों से निधियां प्राप्त नहीं हो रही थी। विभाग ने आगे कहा कि प्रारम्भ किया गया निर्माण कार्य ठेका संबंधी जटिलताओं के कारण रोक नहीं जा सकता था तथा निधि की अनुपलब्धता के बावजूद ठेकेदार को भुगतान करना पड़ा था।

इस प्रकार, विभाग ने फार्म सं.65 जारी करके नेमी रूप में मामला उठाया तथा भारी बकाया राशियां होने के बावजूद इसे सेवार्थी विभाग के साथ उचित स्तर पर समय से नहीं उठाया था।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित है।

17.2 कार्य के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

कार्य के कार्यान्वयन में नियंत्रण के अभाव में अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप 64.42 लाख रु. के राजस्व की हानि के अलावा ठेकेदार से 66.87 लाख रु. के देयों की वसूली नहीं हुई।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) के महानिदेशक (निर्माणकार्य) ने कोलकाता में टाईप-IV आवासों की कमी को कम करने के लिए कोलकाता में 28 टाईप-IV आवासों के निर्माण हेतु जनवरी 1995 में 358.34 लाख रु. की स्वीकृति प्रदान की। कार्य को दो भागों में अर्थात् नींव को भरकर और बाह्य संरचना कर दिसम्बर 1996 तक पूरा करना था।

अधिकांसी इंजीनियर, के.लो.नि.वि. ने नींव को भरने का कार्य एक ठेकेदार को जुलाई 1996 में 64.25 लाख रु. की लागत पर जून 1997 तक पूरा करने के लिए सौंपा था। कार्य स्टील के प्रयोग की मात्रा में बचत के कारण 56.03 लाख रु. की कम लागत पर जून 1998 में पूर्ण हुआ। कार्य पूरा होने में विलम्ब मुख्यतः स्थल की अनुपलब्धता और के.लो.नि.वि. द्वारा उपलब्ध कराये गये नक्शे में विसंगति के कारण हुआ।

अप्रैल 1998 में अधिकांसी इंजीनियर, के.लो.नि.वि. ने बाह्य संरचना का कार्य अन्य ठेकेदार को 157.07 लाख रु. की लागत पर अक्टूबर 1999 तक पूरा करने के लिए

सौंपा था। नक्शे को अन्तिम रूप देने और स्थल की अनुपलब्धता के कारण विलम्ब हुआ। ठेके को सक्रिय रखने के लिए समय-समय पर ठेकेदार को अन्तरिम विस्तार प्रदान किया गया था। चूंकि कार्य में कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही थी, अधिशासी इंजीनियर ने संविदा की धारा 2 के अनुसार मुआवजा उद्ग्रहित किये बिना ही चूककर्ता ठेकेदार के जोखिम और लागत पर जून 2000 में संविदा को निरस्त कर दिया था। लेखापरीक्षा के कहने पर के.लो.नि.वि. ने संविदा को निरस्त करने की तिथि से दो वर्ष से अधिक बीत जाने पर जनवरी 2003 में 16.51 लाख रु. का जुर्माना उद्ग्रहित किया था। यह भी पता चला था कि जुलाई 2003 तक ठेकेदार को चालू भुगतान के रूप में 58.35 लाख रु. की अदायगी की गई थी तथा ठेकेदार को आगे कोई राशि देय नहीं थी। तथापि ठेकेदार से जुर्माने की वसूली नवम्बर 2004 तक नहीं की गई थी।

98.72 लाख रु. मूल्य के शेष कार्य को अन्य ठेकेदार को फरवरी 2001 में 149.08 लाख रु. की लागत पर फरवरी 2002 तक पूर्ण करने की अनुबद्धता के साथ सौंपा गया था। चूंकि कार्य अब पूरा हो चुका था और ठेकेदार को नवम्बर 2004 तक 130.09 लाख रु. का भुगतान किया गया था। कार्य पूरा होने में विलम्ब मुख्यतः विभागीय सामग्री की अनुपलब्धता और संरचना के नक्शे को अन्तिम रूप देने में देरी के कारण हुआ था।

शेष बाह्य संरचना के कार्य को पुनः सौंपने के कारण 50.36 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसकी वसूली चूककर्ता ठेकेदार से की जानी थी क्योंकि 16.51 लाख रु. के जुमाने के अतिरिक्त पिछले संविदा को उसके जोखिम और लागत पर निरस्त किया गया था। इस प्रकार ठेकेदार के विरुद्ध कुल दावे की राशि 66.87 लाख रु. बकाया थी।

इस प्रकार कार्य जो मूलतः दिसम्बर 1996 तक पूर्ण किया जाना था, आठ साल बीत जाने के बाद पूरा किया जा सका था। के.लो.नि.वि. की गलतियों जैसे विभागीय सामग्री की अनुपलब्धता, दोषपूर्ण संरचनात्मक नक्शा, शेष कार्य के लिए दूसरी बार निविदा को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के अतिरिक्त कार्यान्वित कर रहे ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन करने में देरी के कारण विलम्ब हुआ। इसके परिणामस्वरूप निदेशालय, संपदा को आवास आबंटन के लिए नहीं सौंपे जा सके थे। इसके कारण नवम्बर 2004 तक प्रत्याशित ग्राही आबंटियों से लाइसेंस फीस की वसूली और मकान किराये भत्ते के तौर पर 64.42 लाख रु. (लगभग) की संभावित हानि हुई।

अधिशासी इंजीनियर, के.लो.नि.वि. ने जुलाई 2004 में बताया कि जुर्माने और चूककर्ता ठेकेदार से जोखिम और लागत की राशि की वसूली के दावे को प्रतिदावे के रूप में

नवम्बर 2000 में नियुक्त मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय लंबित था (नवम्बर 2004)।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

मुम्बई केन्द्रीय विद्युत मण्डल II, मुम्बई

17.3 विद्युत शुल्क का अनियमित भुगतान

के.लो.नि.वि. मण्डल ने केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत के उपभोग पर बी.ई.एस.टी. प्राधिकरण से विद्युत शुल्क और महाराष्ट्र राज्य कर में छूट प्राप्त करने में अपनी विफलता के कारण मार्च 2004 तक 18.03 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय किया।

भारत के संविधान की धारा 287 नियत करती है कि कोई भी राज्य-कानून भारत सरकार द्वारा उपभुक्त अथवा भारत सरकार को उसके उपभोग के लिए बिजली की बिक्री पर कर का आरोपण अथवा कर आरोपण को प्राधिकृत नहीं करेगा। मुम्बई विद्युत शुल्क अधिनियम 1958 भी इसी स्थिति को दोहराता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) मुम्बई के अधिशासी अभियंता, मुम्बई केन्द्रीय मण्डल II के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया था कि मण्डल द्वारा केन नगर, एन्टोप हिल और वडाला इत्यादि में सरकारी आवास काम्पलेक्स में सामान्य सुविधाओं के लिए प्रयुक्त विद्युत आपूर्ति हेतु ब्रिहनमुम्बई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एण्ड ट्रांसपोर्ट (बी.ई.एस.टी.) को विद्युत शुल्क और महाराष्ट्र राज्य कर का भुगतान किया था जबकि भारत सरकार को ऐसे करों के भुगतान करने में छूट दी गई है। अप्रैल 2000 से मार्च 2004 की अवधि के दौरान विद्युत शुल्क के रूप में 12.55 लाख रु. और महाराष्ट्र राज्य कर के रूप में 5.48 लाख रु. का कुल भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर मण्डल ने अक्टूबर 2002 में बताया कि विद्युत बिलों के भुगतान की समय-सीमा के कारण बी.ई.एस.टी. द्वारा बिजली की आपूर्ति बन्द करने से रोकने के लिए उनके दावों का तुरन्त भुगतान किया गया था। मण्डल ने मामले को अक्टूबर 2002 में बी.ई.एस.टी. को भेज दिया था। तथापि, बी.ई.एस.टी. ने नवम्बर 2002 में विद्युत शुल्क और महाराष्ट्र राज्य कर में छूट देने से इन्कार करते हुए बताया कि ये छूट केवल कार्यालय के लिए प्रयोग किये गये परिसर के लिए थी और आवासीय परिसर के लिए नहीं थी।

उपरोक्त निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल द्वारा भवन में सामान्य सुविधाओं के लिए विद्युत बिल का भुगतान भारत की समेकित निधि से किया जा रहा था और इसे आवासीय क्वार्टर के किरायेदारों/अधिभोक्ताओं से वसूल नहीं किया गया था इस लिए विभाग विद्युत शुल्क और महाराष्ट्र राज्य कर में छूट लेने का पात्र है। आगे यह पाया गया था कि जहाँ भी के.लो.नि.वि. ने सरकारी आवासीय कम्प्लेक्स में सामान्य सुविधाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (म.रा.वि.बो.) से विद्युत आपूर्ति ली थी, विद्युत बिल में विद्युत शुल्क और महाराष्ट्र राज्य कर शामिल नहीं था।

के.लो.नि.वि. ने बी.ई.एस.टी. से इन शुल्कों में छूट के मामले को नहीं उठाया था। मण्डल द्वारा मामले को आगे बढ़ाने में विफलता के कारण मार्च 2004 तक 18.03 लाख रु. और प्रतिवर्ष आवर्ती देयता के रूप में 4.51 लाख रु. का अनियमित व्यय हुआ था।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2004 में भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

सम्पदा निदेशालय

17.4 बकाया किराये की वसूली न करना

सम्पदा निदेशालय द्वारा निजी आबंटितियों से देय की वसूली के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने में विफलता के कारण 82.30 लाख रु. का परिहार्य बकाया रहा।

सरकार विशिष्ट व्यक्तियों जैसे कलाकार, स्वतन्त्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि को आवासीय स्थान आबंटित करती है। आबंटन सम्पदा निदेशालय (स.नि.) के विभागीय मार्गदर्शी सिद्धान्त द्वारा विनियमित होता है। मार्गदर्शी सिद्धान्त में ऐसे सभी आबंटितियों से लाइसेंस फीस अग्रिम के रूप में प्रत्येक माह की पाँच तारीख से पूर्व वसूल करने का प्रावधान है। लाइसेंस फीस का भुगतान न करने और आबंटन अवधि समाप्त होने के पश्चात परिसर में जारी कब्जे के मामलों का विनियमन सरकारी आवास आबंटन अधिनियम 1963 और सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत अधिभोक्ताओं की बेदखली) अधिनियम 1971 (सा.प.अ.) के प्रावधानों के अनुसार की जाती है जिसमें लाइसेंस फीस और क्षति की वसूली के अतिरिक्त कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद बल के प्रयोग से बेदखली कराने का प्रावधान है।

जून 2004 तक निजी व्यक्तियों को 195 आबंटन किये गये थे जिसमें से लेखापरीक्षा द्वारा 24 मामलों की संवीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित कमियाँ पाई गयीं:

- लाइसेंस फीस की वसूली अग्रिम के रूप में नहीं की गई थी और सभी 24 मामलों में लाइसेंस फीस का भुगतान करने में विफलता के बावजूद आबंटनों को निरस्त नहीं किया गया था। दिसम्बर 2003 तक 82.30 लाख रु. की लाइसेंस फीस बकाया थी। देयों का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	1997 तक	1998	1999	2000	2001	2002	2003	जोड़
बकाया राशि (लाख रु. में)	14.85	6.95	8.49	10.12	9.50	16.06	16.33	82.30

कुल बकाया में से 37.03 लाख रु. की वसूली आठ निजी व्यक्तियों से की जानी थी जो आबंटन अवधि बीत जाने के पश्चात अभी भी सरकारी आवासों में रह रहे थे जबकि 16 मामलों में ऐसे आबंटितियों जिन्होंने अपने देयों का भुगतान किये बिना सरकारी आवास खाली कर दिये थे, से अन्य 45.27 लाख रु. बकाया थे।

- दस मामलों में आबंटितियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने में एक से 120 महीनों तक का विलम्ब हुआ।
- 15 मामलों में बेदखली आदेशों को जारी करने में एक से 127 महीनों तक का विलम्ब हुआ।
- निरस्तीकरण नोटिस जो आबंटन की अवधि समाप्त होने से एक माह पूर्व दिये जाने थे, भी समय पर नहीं दिये गये थे।

इस प्रकार सम्पदा अधिकारी द्वारा निजी व्यक्तियों को सरकारी क्वार्टरों के आबंटन और सा.प.अ. के प्रावधानों को लागू करने से सम्बन्धित अधिदेशात्मक नियमों का पालन करने में विफलता के कारण शेष किराया/लाइसेंस फीस/क्षति की बकाया राशि 82.30 लाख रु. का संचयन हुआ। वित्तीय हानि के अलावा मकानों के अनधिकृत कब्जे में होने के कारण पात्र व्यक्तियों को आबंटन से भी वंचित कर दिया गया था।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2004 में भेजा गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

17.5 निर्धारित कोटे से अधिक आबंटन

पृथक कोटे का निर्धारित सीमा से अधिक आबंटन कर के मंत्रालय माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।

सम्पदा निदेशालय (स.नि.) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय अब शहरी विकास मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णायक आदेश 23 दिसम्बर 1996 का पालन करते हुए दिल्ली में सरकारी आवासों के पृथक रूप में/बिन-बारी आबंटन को विनियमित करने के लिए नवम्बर 1997 में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये थे। कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा, सुरक्षा और कार्यात्मक आधार पर ही पृथक रूप में/बिन-बारी आबंटन की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था और ऐसे आबंटनों की संख्या एक वर्ष में प्रत्येक प्रकार के आवास की उत्पन्न रिक्तियों की कुल संख्या के पाँच प्रतिशत की समग्र सीमा पर सीमित की गई थी।

नवम्बर 2000 में शहरी विकास मंत्रालय शीर्ष पदों वाले व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत स्टाफ को बिन-बारी आबंटन देने के लिए नियमों में संशोधन करना चाहता था। जनवरी 2001 में कानून मंत्रालय ने विचार व्यक्त किया था कि संशोधन तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित पृथक रूप से आबंटन के पाँच प्रतिशत की सीमा की अवहेलना करता था।

इस सलाह को न मानते हुए स.नि. ने 2001 और 2003 में मंत्रीमंडल सदस्य, राज्य मंत्री, उप-सभापति (योजना आयोग), अध्यक्ष (लोकसभा) और उप सभापति (राज्यसभा) के साथ व्यक्तिगत स्टाफ को बिन-बारी आधार पर सरकारी आवासों को तुरन्त आबंटन करने की अधिसूचना जारी की थी।

मार्च 2002 में मंत्रालय ने केन्द्रीय कैबिनेट मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ को बिन-बारी आबंटन देने के लिए उन्हें 17 नवम्बर 1997 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के दायरे से बाहर रखने के लिए आवासीय मंत्रीमण्डल समिति (आ.मं.स.) की मंजूरी के लिए नोट प्रस्तुत किया था। कानून मंत्रालय ने जून 2004 तक आ.मं.स. को प्रस्तुत करने के लिए नोट का निपटान नहीं किया था।

दिसम्बर 2001 से अगस्त 2004 की अवधि के दौरान विभिन्न शीर्ष पदधारियों के प्रमुख कर्मचारियों को 229 बिन-बारी आबंटन, पाँच प्रतिशत की निर्धारित सीमा से बाहर किया गया था। ये आबंटन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और भारत सरकार के नवम्बर 1997 के आदेशों की अवहेलना के द्योतक थे।

लेखापरीक्षा टिप्पणी के उत्तर में, स.नि. ने जुलाई 2004 में बताया कि यद्यपि मामले का निपटान आ.मं.स. द्वारा अभी किया जाना था, तत्कालीन शहरी विकास मंत्री द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार केन्द्रीय मंत्रियों और अन्य शीर्ष पदधारियों के व्यक्तिगत स्टाफ को तत्काल बिन-बारी आबंटन वर्तमान में पाँच प्रतिशत कोटा से बाहर रखा जा रहा था। उत्तर पुष्टि करता है कि मंत्रालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था और स्वयं के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया था।

अध्याय XVIII : युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय

18.1 अव्ययित अनुदान का अवरोधन

सितम्बर 2001 में, एफ्रो-एशियन गेम्स के अनिश्चित समय के लिए स्थगन होने के बावजूद मंत्रालय प्रथम एफ्रो-एशियन गेम्स 2001 की आयोजन समिति से अव्ययित अनुदान वसूल करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप 22 महीने के लिए 5.82 करोड़ रु. का अवरोधन हुआ। गेम्स के स्थगन के 30 मास पश्चात् भी इसने 1.06 करोड़ रु. की राशि रोक रखी थी (मार्च 2004)।

"प्रथम एफ्रो-एशियन गेम्स 2001 आयोजन समिति", जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय मंत्री, युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक, इसके महानिदेशक तथा विभिन्न खेलकूद संगठनों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में थे, का दिल्ली में नवम्बर 2001 में एफ्रो-एशियन गेम्स आयोजन कराने के लिए, गठन मई 2001 में एक पंजीकृत सोसाईटी के रूप में किया गया था।

युवा मामले एवं खेल कूद मंत्रालय, एफ्रो-एशियन गेम्स के आयोजन के लिए संस्था को दो किस्तों में दिया जाने वाला अनुदान, जो 20 करोड़ रु. से अधिक न हो, को स्वीकृत करने के लिए सैद्धान्तिक रूप से सहमत हुये (जून 2001)। मंत्रालय ने जून 2001 में अनुदान की पहली किस्त के रूप में 10 करोड़ रु. इस शर्त पर जारी किए कि अप्रयुक्त राशि अनुदानग्राही द्वारा कम से कम विलम्ब के साथ और किसी भी स्थिति में मंत्रालय द्वारा राशि के वापस मांग-पत्र के जारी करने के 15 दिनों के अन्दर वापस की जाएगी। संस्वीकृति पत्र में यह भी अनुबद्ध था, यदि कोई अव्ययित शेष है तो अनुदानग्राही द्वारा वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पहले वापस किये जाये।

सितम्बर 2001 में सरकार ने खेलों को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया। मंत्रालय ने अक्टूबर 2001 में अव्ययित शेष को व्यय लेखाओं और अनुदान की शर्तों के अनुसार उपयोग प्रमाणपत्र के साथ वापस करने के लिए कहा। दिसम्बर 2001 में एक अनुस्मारक जारी करने के बाद, कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई। फरवरी 2003 में लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किये जाने पर मंत्रालय ने आयोजन समिति से अव्ययित शेष की वापसी और व्यय के ब्यौरे के साथ उपयोग प्रमाणपत्र देने को कहा। आयोजन समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए मार्च 2003 तक के व्यय लेखाओं और उपयोग प्रमाणपत्र से ज्ञात हुआ कि समिति ने खेलों का आयोजन करने से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर 4.18 करोड़ रु. व्यय किये और 5.82 करोड़ रु. के अव्ययित शेष को बैंक बचत खाते में रखा जो जुलाई 2003 तक संचित होकर 6.40 करोड़ रु. हो गये। अगस्त 2003 में आयोजन समिति ने 0.40 करोड़ रु., लेखापरीक्षा शुल्क के दायित्वों के

निर्वाह करने के लिए और निर्णायक बैठक के आयोजन, और लेखाओं के अनुमोदनार्थ और उनके विसर्जन करने के लिए रखने के बाद छः करोड़ रू. वापस किये।

अप्रैल 2004 में, आयोजन समिति ने मार्च 2004 तक के व्यय के ब्यौरे और शेष प्रस्तुत किये। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि मार्च 2004 तक व्यय आंकड़े घटकर 3.43 करोड़ रह गये थे। छः करोड़ रू. वापस करने के बाद खेलों के स्थगन के 30 महीने बाद भी समिति ने ब्याज और विविध प्राप्ति के 0.49 करोड़ रू. सहित 1.06 करोड़ रू. को अभी भी रोके रखा था। यह देखा गया कि आयोजन समिति ने अक्टूबर 2001 तक केवल 2.12 करोड़ रू. व्यय किये थे। खेलों के स्थगन होने के बाद, आगे मार्च 2004 तक फर्नीचर की खरीद, कैंप कार्यालय का नवीकरण (अध्यक्ष के सरकारी आवास), दूरभाष बिलों, बैठकों, मेजबानी और मनोरंजन, कार्यालय खर्चों आदि पर 1.31 करोड़ रू. व्यय किया था।

इस प्रकार, सितम्बर 2001 में, खेलों के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने के तुरन्त बाद, मंत्रालय के शेष राशि के तुरन्त वापस करने को सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप निधियों का लगभग दो वर्षों के लिए अनावश्यक अवरोधन हुआ।

उत्तर में मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2005) कि खेलों को सितम्बर 2001 में उनके स्थगन के बाद की तिथि तक कराने का निर्णय विभिन्न स्तरों पर सरकार के विचाराधीन था। यह भी बताया गया कि अक्टूबर 2001 में एक सरकार ने खेलों के स्थगन के तुरन्त बाद आयोजन समिति को व्यय के लेखे, उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने और अव्ययित शेष भी अविलम्ब वापस करने के लिए कहा और दिसम्बर 2001 में एक अनुस्मारक भी जारी किया गया था। उत्तर में, आयोजन समिति ने मंत्रालय को सूचित किया कि लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, क्योंकि कुछ वित्तीय देयताएं खेल सचिवालय के बजट अनुमानों के अनुमोदन के अभाव में चुकाई नहीं जा सकी थी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि व्यय का आंकड़ा 4.18 करोड़ रू. से 3.43 करोड़ रू. में इस कारण से परिवर्तित हो गया था क्योंकि 3.00 करोड़ रू. के अग्रिम में से आई.टी.डी.सी. द्वारा 75.00 लाख रू. की राशि वापस कर दी गई थी। यह भी सूचित किया गया था कि अव्ययित अनुदान, सोसाईटी के अभिग्रहण और समापन के अनुमोदन के लिए आयोजन समिति की अंतिम बैठक पर व्यय करने के लिए और सनदी लेखाकार के लेखापरीक्षा शुल्क के लिए 35.31 लाख रू. की एक लघु राशि रोकने के पश्चात् अब सरकार को वापिस कर दी गई है। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अनुदान की शर्त के अनुसार अव्ययित राशि अनुदान ग्राही द्वारा राशि की वापसी के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिनों में वापस की जानी थी।

अध्याय XIX : संघ शासित क्षेत्र

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

जहाजरानी सेवा निदेशालय

19.1 जलयान की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय

संविदा का उल्लंघन करने पर कार्य के निलम्बन के सात वर्षों के बाद भी फर्म के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने में अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन की विफलता के परिणामस्वरूप 1.74 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ।

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन (प्रशासन) ने अगस्त 1997 में मै. दामोदर इंजिनियर्स पोर्ट ब्लेयर (फर्म) के साथ 2.49 करोड़ रु. की लागत पर एक मध्यम आकार के सवारी नौका जलयान, जिसे 20 महीनों अर्थात् अप्रैल 1999 तक सुपुर्द किया जाना था, के निर्माण के लिए एक समझौता किया। फर्म को, जलयान की सुपुर्दगी से पहले किए गए सभी भुगतानों के लिए एक क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। समझौते में अनुबन्धित था कि संविदा में दिए गए समय के बाद छः महीने के भीतर जलयान की सुपुर्दगी की विफलता के मामले में, खरीददार संविदा को समाप्त करने और फर्म को किए गए भुगतान की राशि की वापसी का दावा करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान था कि फर्म द्वारा चूक के मामले में, खरीददार निर्माण को पूरा करने के लिए अन्य किसी निर्माता के साथ संविदा कर सकता है।

फर्म ने मार्च 1999 तक पेटा स्टेज (चौथा चरण) तक का कार्य पूरा किया था। तत्पश्चात् मई 2004 तक आगे कोई प्रगति नहीं किए जाने के कारण अभिलेख में नहीं थे। जहाजरानी सेवा निदेशालय (ज.से.नि.) ने अगस्त 1997 और मई 2000 के बीच फर्म को 1.74 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया और जनवरी 1999 और अप्रैल 2001 के बीच आई.आर.एस.[#] के निरीक्षण के प्रति 0.89 लाख रु. का एक व्यय भी किया।

कार्य के बन्द होने के बाद के ढाई से अधिक वर्षों के बाद केवल जनवरी 2002 में ज.से.नि. ने फर्म को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। एक दूसरे वर्ष के बाद जनवरी 2003 में ज.से.नि. ने प्रशासन को फर्म के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करने का अनुरोध किया। परन्तु प्रशासन ने न तो फर्म के साथ संविदा को समाप्त किया और न

[#] भारतीय जहाजरानी रजिस्टर

ही मई 2004 तक जलयान के निर्माण को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही की थी जैसा कि समझौते में प्रावधान किया गया था। यद्यपि फर्म ने जलयान को सुपुर्द करने में विफलता के मामले में प्राप्त राशि को चुकाने के उत्तरदायित्व के लिए अगस्त 1997 में एक क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत किया था, प्रशासन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की प्राप्ति के बाद अक्टूबर 2004 में फर्म को 1.74 करोड़ रु. की राशि वापस करने का अनुरोध किया। तथापि दिसम्बर 2004 तक कोई वसूली नहीं की गई थी।

इस प्रकार कार्य के निलम्बन के पांच वर्षों के बाद भी, संविदा का उल्लंघन करने के लिए फर्म के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने में प्रशासन की विफलता के परिणामस्वरूप 1.74 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ।

तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते समय, ज.से.नि. ने मई 2004 में बताया कि मामले में आवश्यक कार्यवाही, प्रशासन स्तर पर की जा रही थी।

मामला जुलाई 2004 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

उद्योग निदेशालय

19.2 शेड्स के निर्माण पर निष्फल व्यय

मांग का विस्तृत निर्धारण किए बगैर एक सुदूर द्वीप, केम्पबेल बे पर सत्रह शेड्स का निर्माण करने के निदेशालय के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप अधिकार में लेने के तीन-चार वर्षों के बाद भी शेड्स अप्रयुक्त रहे और उनके निर्माण पर किया गया 1.27 करोड़ रु. का व्यय निष्फल रहा।

योजना आयोग के विशेषज्ञ दल ने दक्षिण अण्डमान में कम से कम 20 और निकोबार और काछल द्वीप में अन्य 20 निर्मित शेड्स उपलब्ध कराने के लिए अगले तीन से पांच वर्षों के दौरान संगठित लघु इकाईयों के लिए नवम्बर 1993 में सुझाव दिया। अनुशंसाओं के आधार पर उद्योग निदेशालय (निदेशालय) ने औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। योजना में शेड्स के निर्माण द्वारा मूलभूत सुविधा सम्बन्धी सहायता के प्रावधान और उन्हें स्वरोजगार के लिए अग्रदर्शी उद्यमियों को पट्टे पर देने पर विचार किया गया था। केम्पबेल बे के पांच शेड्स के निर्माण के लिए पहले से ही पहचान की जा चुकी थी। निदेशालय ने केम्पबेल बे में 12 और शेड्स का निर्माण करने का निर्णय लिया।

दस शेड्स का निर्माण शामिल करते हुए प्रथम दो चरण 58.92 लाख रू. की कुल लागत पर अप्रैल 1998 तक पूरे किए गए थे। दस पूरे हुए शेड्स निदेशालय द्वारा अगस्त 2000 में अधिकार में लिए गए थे। प्रति शेड 310 रू. प्रतिमाह के नाममात्र किराये पर शेड्स को पट्टे पर देने के अक्टूबर 2000 में किए गए प्रयत्न, विद्युतीकरण, पाईप-कनेक्शन और पहुँच-मार्ग के पूरा न होने के कारण असफल रहे।

शेष सात शेड्स का निर्माण शामिल करते हुए, तीसरा चरण जो कि सितम्बर 1998 में आरम्भ हुआ था, 67.78 लाख रू. की लागत पर जुलाई 2001 में पूरा किया गया था और निदेशालय द्वारा सितम्बर 2001 में अधिकार में लिया गया था। निदेशालय ने, प्रति शेड 1100 रू. प्रति माह की संशोधित दर पर अग्रदर्शी उद्यमियों को सभी सत्रह शेड्स पट्टे पर देने के फरवरी 2002 में प्रयत्न किये। अठारह आवेदनकर्ताओं में से चार चुन लिए गए थे परन्तु शेड्स के किराये के अधिक होने पर विचार करते हुए उनमें से किसी ने भी शेड्स को अधिकार में नहीं लिया। फरवरी 2002 में, प्रशासन ने अन्य सरकारी विभागों द्वारा शेड्स के उपयोग की संभावना की भी छानबीन की। परन्तु विभागों में से किसी ने भी शेड्स को अधिकार में लेने में रूचि नहीं दिखाई। शेड्स कोई भी ग्राहक न होने के कारण अगस्त 2004 तक खाली पड़े रहे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने निम्नलिखित तथ्य प्रकट किए:

- निदेशालय ने मांग का विस्तृत निर्धारण किए बगैर शेड्स के स्थान का निर्णय लिया। शेड्स एक गैर-वाणिज्यिक इलाके एक सुदुर द्वीप, केम्पबैल बे में निर्मित किए गए थे और वहां पोर्ट ब्लेयर से कच्चा माल और तैयार उत्पाद लाने और ले जाने के लिए परिवहन में बाध्यता थी।
- यद्यपि विशेषज्ञ वर्ग ने प्रति माह उद्योगों को प्रोत्साहन का पुनरीक्षण करने के लिए द्वीप के मुख्य प्रशासक के अधीन एक समन्वय कक्ष और प्रोत्साहन सम्बन्धी और अन्य कार्यक्रमों की प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिए, निदेशालय के अधीन एक उप-समिति की स्थापना करने की अनुशंसा की थी, परन्तु ऐसी कोई समिति नहीं बनाई गई थी। निर्माण के प्रथम चरण के पूरा होने के बाद, मध्यावधि पुनरीक्षण नहीं किया गया था। योजना के परिणामों का एक मध्यावधि पुनरीक्षण, केम्पबैल बे में बारह और शेड्स के निर्माण को शामिल करते हुए दूसरे और तीसरे चरण के कार्यान्वयन को उचित रूप में आगे बढ़ाने के उपयुक्त निर्णयों से सुसाध्य किया जा सकता था।

इस प्रकार, मांग का विस्तृत निर्धारण किए बगैर एक सुदूर द्वीप, केम्पबैल बे पर सत्रह शैंड्स का निर्माण करने के निदेशालय के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप अधिकार में लेने के तीन-चार वर्षों के बाद भी शैंड्स अप्रयुक्त रहे और उनके निर्माण पर किया गया 1.27 करोड़ रु. का व्यय निष्फल रहा।

प्रशासन ने नवम्बर 2004 में, शैंड्स के उपयोग न करने का कारण, वन उत्पाद और पर्यावरणीय संसाधन, जिन पर औद्योगिक इकाईयां अधिकांशतः आधारित थीं के प्रयोग पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबन्ध लगाने/हटाने के आदेश पर आरोपित किया और बताया कि जब कभी अन्य आर्थिक गतिविधियों की सम्भावना होगी, तो वैकल्पित उपयोग हेतु प्रशासन/निदेशालय द्वारा इन शैंडों पर विचार किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अक्टूबर 2000 में दस शैंड्स को पट्टे पर देने का प्रयत्न, वन उत्पादों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने/कम करने के, नवम्बर 2001 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के जारी करने से काफी पहले विफल हो गया था।

जहाजरानी सेवा निदेशालय

19.3 जलयानों पर मल्लाह रखने पर परिहार्य व्यय

जलयानों की अस्थाई छँटनी की अवधि के दौरान ठेके के विस्तारण के परिणामस्वरूप 66.89 लाख रु. का परिहार्य व्यय और मल्लाह रखने वाले एजेन्ट को अनभिप्रेत लाभ हुआ।

निदेशक जहाजरानी सेवा (नि.ज.से.) ने अपने जलयानों पर मल्लाह रखने के लिए मै. ए.बी.एस. मैरिन सर्विसेज प्रा.लि. (एजेन्ट) के साथ दिसम्बर 2001 में एक अनुबन्ध किया। एजेन्ट को प्रति जहाज 3.85 लाख रु. प्रतिमाह के शुल्क पर प्रत्येक जलयान के बोर्ड पर छः अधिकारी उपलब्ध कराना अपेक्षित था। भुगतान केवल वास्तविक समय के लिए, जब जलयान में, त.प्र.क.¹ द्वारा प्रमाणित किए जा रहे वास्तविक व्यक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से मल्लाहों को रखा गया था, किया जाना था। ठेके की अवधि प्रत्येक जहाज के ठेके के प्रारम्भ होने की तारीख से आरम्भ होकर एक वर्ष की थी और इसे आपसी सहमति से बढ़ाया था। नि.ज.से. द्वारा एजेन्ट को हानि पहुँचाएँ बगैर दो माह का नोटिस देकर ठेके को समाप्त किया जा सकता था।

नि.ज.से. ने एजेन्ट को दिसम्बर 2001 से एम.वी. बरतांग में तथा जुलाई 2002 से एम.वी.ओंग. में मल्लाह रखने में लगाया था। वा.प्र.सं.² के लिए, एम.वी. बरतांग में

¹ तकनीकी प्रबन्धन कम्पनी

² वार्षिक प्रत्यक्ष सर्वेक्षण

दिसम्बर 2002 से सितम्बर 2003 तक तथा एम.वी.ओंग में जून 2003 से मार्च 2004 तक जलयानों की अस्थाई छँटनी की गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि अस्थायी छँटनी के समय, एम.वी. बरतांग का ठेका दिसम्बर 2002 में पहले ही समाप्त हो चुका था, जबकि एम.वी. ओंग का ठेका जुलाई 2003 में समाप्त होने ही वाला था। ऐसा होते हुए भी, नि.ज.से. ने जलयानों के ठेके को एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था। नि.ज.से. ने एजेन्ट को अस्थायी छँटनी की अवधि के लिए 66.89 लाख रू. की राशि का भुगतान किया। त.प्र.क. के प्रमाण-पत्र के बिना अस्थायी छँटनी की अवधि के लिए भुगतान जारी किया गया था, यह ठेके के सुस्पष्ट उपबन्धों का उल्लंघन है क्योंकि तकनीकी प्रबन्धन के लिए भारतीय जहाजरानी निगम के साथ ठेका केवल अप्रैल 2004 में किया गया था।

प्रशासन ने अगस्त 2004 में बताया कि जलयानों पर मल्लाह रखने के ठेके का नवीकरण इसलिए किया गया था जिससे कि वा.प्र.स. के दौरान मरम्मत कार्य के दौरान निरीक्षण किया जा सके। एम.वी. द्वीप शक्ति के लिए मल्लाह रखने हेतु अप्रैल 1999 में एक अन्य एजेन्ट के साथ किए गए इसी प्रकार ठेके के मामले में, अस्थायी छँटनी की अवधि के दौरान, नि.ज.से. ने मल्लाह रखने के ठेके का नवीकरण कराने के बजाए, अनुत्पादक व्यय से बचने के लिए, अस्थाई छँटनी की अवधि के दौरान जलयानों के बोर्ड पर अपने व्यक्तिगत कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया था। एम.वी. बरतांग तथा एम.वी.ओंग के मामलों में ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार, जलयानों की अस्थाई छँटनी की अवधि के दौरान ठेके के विस्तारण के परिणामस्वरूप 66.89 लाख रू. का परिहार्य व्यय और मल्लाह रखने वाले एजेन्ट को अनभिप्रेत लाभ हुआ। जो नवीकृत किया गया था ताकि वा.प्र.स. के दौरान मरम्मत निर्माण-कार्य का पर्यवेक्षण किया जा सके।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2004 में भेजा गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XX : सामान्य


20.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति के बार-बार निर्देशों/सिफारिशों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने 150 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणियां लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित समय-सीमा के बीत जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं की।

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने 1982 में यह निर्णय लिया कि मंत्रालयों/विभागों को इन प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सभी पैराग्राफों पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणियां (का.टि.) प्रस्तुत करनी चाहिए।

लो.ले.स. ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर का.टि. प्रस्तुत करने में अधिकांश मंत्रालयों/विभागों की ओर से अत्यधिक विलम्ब तथा निरन्तर विफलता को गम्भीरता से लिया। संसद में 22 अप्रैल 1997 को प्रस्तुत किये गये अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लो.ले.स. ने यह इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 तक समाप्त वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित लम्बित का.टि. को तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करके प्रस्तुत किया जाये तथा सिफारिश की कि मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष से आगे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी पैराग्राफों पर का.टि. लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

नवम्बर 2004 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों, संघ सरकार (सिविल, अन्य स्वायत्त निकाय तथा वैज्ञानिक विभाग) में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया का.टि. की समीक्षा से पता चला कि मंत्रालयों/विभागों ने 150 पैराग्राफों पर उपचारात्मक का.टि. प्रस्तुत नहीं की। इसमें मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष तक के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए 35 पैराग्राफ शामिल हैं, जैसाकि **परिशिष्ट-I** में दिखाया गया है। बकाया का.टि. 1988-89 से भी पहले की तिथि से सम्बन्धित थी।



यद्यपि मार्च 1996 से मार्च 2003 को समाप्त वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर मई 1997 और जुलाई 2004 के बीच प्रस्तुत किये गये थे तथा का.टि. प्रस्तुत करने की निर्धारित चार माह की समय-सीमा प्रत्येक मामले में समाप्त हो गई थी, मंत्रालयों/विभागों द्वारा 115 पैराग्राफों पर का.टि. अभी प्रस्तुत की जानी थी, जबकि 105 पैराग्राफों के बारे में अन्तिम का.टि. नवम्बर 2004 तक प्रतीक्षित थी जैसाकि परिशिष्ट-II में दिखाया गया है।

20.2 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम - प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली के उपबंधों के अनुसार, वाणिज्यिक या अर्धवाणिज्यिक प्रकृति वाले विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों को ऐसे सहायक लेखे या प्रोफार्मा लेखे अनुरक्षित करने होते हैं जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से विचार विमर्श के बाद सरकार द्वारा निर्धारित हों।

मार्च 2004 तक वाणिज्यिक या अर्धवाणिज्यिक प्रकृति के 37 सरकारी उपक्रम विभागीय रूप से प्रबंधित थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम प्रति वर्ष प्रोफार्मा लेखाओं द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं, जो सामान्यतः व्यापार लेखे, लाभ-हानि लेखे तथा तुलन पत्र से बनते हैं। जबकि भारत सरकार मुद्रणालय, व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र के बिना प्रोफार्मा लेखे तैयार करता है, प्रकाशन विभाग केवल भण्डार लेखे तैयार करता है।

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके नियंत्रण वाले उपक्रमों के लेखापरीक्षित लेखे वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के नौ महीने के अन्दर

तैयार कर लिए जायें। विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के अद्यतन उपलब्ध लेखाओं के आधार पर तैयार संक्षिप्त वित्तीय परिणामों की स्थिति परिशिष्ट-III में दर्शायी गई है। इससे यह देखा जाएगा कि 36 उपक्रमों के संबंध में एक वर्ष से लेकर इकतीस वर्ष तक की अवधि तक के प्रोफार्मा लेखे बकाया थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

अवधि जब से बकाया पड़े थे		
वर्षों की संख्या	अवधि	उपक्रमों की संख्या
1-5	1998-99 से 2002-2003	27
6-10	1993-94 से 1997-1998	3
11-15	1988-89 से 1992-1993	शून्य
16-20	1983-84 से 1987-1988	2
21-25	1978-79 से 1982-1983	1
26-30	1973-74 से 1977-1978	2
30-31	1972-73 से 1973-1974	1
जोड़		36

बकाया प्रोफार्मा लेखाओं वाले उपक्रमों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जहाजरानी विभाग (31 वर्ष), दूरदर्शन (27 वर्ष) और आकाशवाणी (21 वर्ष) शामिल थे।

लोक लेखा समिति ने अपनी 57वीं रिपोर्ट (दसवीं लोक सभा) में इस तथ्य को गम्भीरता से लिया था कि दूरदर्शन के प्रोफार्मा लेखाओं को 1977-78 से अंतिम रूप नहीं दिया गया था। लेखाओं को अंतिम रूप देने हेतु 15 वर्ष से अधिक असाधारण विलंब की भर्त्सना करते हुए समिति ने सुझाव दिया था कि अद्यतन प्रोफार्मा लेखे तैयार करने के तरीकों एवं अनुसंधान के साधनों हेतु मंत्रालय को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से विचार-विमर्श करना चाहिए। इस विषय पर अपनी कार्रवाई टिप्पणी अर्थात् 106वीं रिपोर्ट (दसवीं लोक सभा) में समिति ने बताया कि प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ तथा उन्होंने स्थिति पर गम्भीर आपत्ति जताई। समिति ने बकाया प्रोफार्मा लेखे दो वर्ष में तैयार करने का सुझाव दिया था। लेकिन दूरदर्शन के प्रोफार्मा लेखे अभी भी बकाया रहते हैं।

प्रोफार्मा लेखे के अभाव में, इन संगठनों द्वारा दी जानेवाली सेवाओं का मूल्य, जिनका प्रबंध वाणिज्यिक आधार पर किया जाना है, को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका। साथ ही उनकी गतिविधियों के सामान्य निष्पादन सूचक जैसे निवेश पर प्रतिफल, लाभशीलता आदि का आकलन भी सम्भव नहीं था।

विभागीय रूप से प्रबंधित उपक्रम के लेखाओं के संकलन में विलम्ब को मंत्रालयों, (i) कृषि, (ii) रक्षा (iii) पर्यावरण एवं वन (iv) वित्त (v) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (vi) सूचना एवं प्रसारण (vii) विद्युत (viii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग (ix) जहाज रानी (x) शहरी विकास, के सचिवों को अक्टूबर 2004 में; उनके उत्तर/ टिप्पणियों के लिए सूचित कर दिया गया था जो दिसम्बर 2004 तक प्रतीक्षित थे।

20.3 बट्टेखाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां तथा अवसूलीयोग्य देय राशि

वर्ष 2003-04 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई/छोड़ी गई हानियों तथा वसूल न किये जाने वाले प्राप्यों, शुल्कों, अग्रिमों की विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट में दी गई हैं। परिशिष्ट IV से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2003-04 के दौरान 439 मामलों में मुख्यतः प्रणाली की विफलता के कारण 54.65 लाख रु. की हानियां, 91.39 लाख रु. सरकारी कर्मियों की व्यक्तिगत लापरवाही/जालसाजी आदि के कारण, तथा अन्य कारणों के लिए 772.24 लाख रु. बट्टेखाते में डाले गये थे। वर्ष के दौरान, 151 मामलों में कुल 188.78 करोड़ रु. की वसूली तथा अनुग्रही अदायगी को छोड़ा गया था।

20.4 ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर


लोक लेखा समिति के कहने पर जारी किए गए वित्त मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने इस प्रतिवेदन में शामिल 56 में से 32 ड्राफ्ट पैराग्राफों के उत्तर नहीं भेजे।

लो.ले.स. की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पुनरीक्षण/पैराग्राफों के विषय में छः सप्ताह के अन्दर अपना उत्तर भेजने के लिए जून 1960 में सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किये। ड्राफ्ट पैराग्राफ सदैव संबंधित लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा के परिणामों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के अन्दर उनका उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं। मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल ऐसे प्रत्येक पैराग्राफ के अन्त में निरपवाद रूप से दर्शाए जाते हैं।

मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में शामिल 56 ड्राफ्ट पैराग्राफ मई 2004 - दिसम्बर 2004 की अवधि में अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को भेजे गए थे।

मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने लोक लेखा समिति के कहने पर जारी किए गए वित्त मंत्रालय के उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन में 32 ड्राफ्ट पैराग्राफों के उत्तर नहीं भेजे जैसा कि परिशिष्ट-V में दर्शाया गया है। परिणामतः ये 32 पैराग्राफ, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के उत्तर के बिना ही प्रतिवेदन में शामिल कर लिए गए हैं।

नई दिल्ली
दिनांक 5 अप्रैल 2005




(डा. अ.कु. बनर्जी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 7 अप्रैल 2005



(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट-I
(पैराग्राफ. 20.1 देखें)

मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नवम्बर 2004 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			जोड़		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्त	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
1.	वित्त (राजस्व विभाग)	1994	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2
		1995	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	सूचना एवं प्रसारण	1995	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3.	शहरी विकास	1989	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
		1990	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5	-
		1991	-	-	-	8	8	-	-	-	-	8	8	-
		1992	-	-	-	9	9	-	-	-	-	9	9	-
		1993	-	-	-	12	12	-	-	-	-	12	12	-
4.	युवा मामले एवं खेलकूद	1994	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	जोड़		4	-	4	36	35	1	-	-	-	40	35	5

परिशिष्ट-II

(पैराग्राफ 20.1 देखें)

मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नवम्बर 2004 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			जोड़		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
1.	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (डाक विभाग)	2001	3	--	3	--	--	--	--	--	--	3	--	3
		2002	3	--	3	--	--	--	--	--	--	3	--	3
		2003	8	--	8	--	--	--	--	--	--	8	--	8
	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2003	--	--	--	--	--	--	3	3	--	3	3	--
	दूरसंचार विभाग	1997	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
	2000	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1	
	2001	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1	
	2003	4	--	4	--	--	--	1	1	--	5	1	4	
2.	वाणिज्य	2003	--	--	--	1	1	--	--	--	--	1	1	--
3.	उपभोक्ता मामले और लोक संवितरण	2001	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
4.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (डी एस आई आर सहित)	2001	--	--	--	--	--	--	1	--	1	1	--	1
		2003	--	--	--	--	--	--	1	1	--	1	1	--
5.	संस्कृति	1997	--	--	--	1	--	1	--	--	--	1	--	1
		1998	--	--	--	1	--	1	--	--	--	1	--	1
		2000	--	--	--	1	--	1	--	--	--	1	--	1
		2001	--	--	--	2	--	2	--	--	--	2	--	2
		2003	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			जोड़		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
6.	पर्यावरण एवं वन	2002	--	--	--	--	--	--	1	--	1	1	--	1
7.	विदेश मामले	1999	4	--	4	--	--	--	--	--	--	4	--	4
		2000	5	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	5
		2001	7	--	7	--	--	--	--	--	--	7	--	7
		2002	6	1	5	--	--	--	--	--	--	6	1	5
		2003	14	13	1	--	--	--	--	--	--	14	13	1
8.	वित्त (राजस्व विभाग)	1998	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		1999	2	1	1	--	--	--	--	--	--	2	1	1
		2002	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
	आर्थिक मामलों का विभाग	2000	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2003	5	5	--	1	--	1	--	--	--	6	5	1
9.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1997	2	--	2	--	--	--	--	--	--	2	--	2
		1998	2	--	2	--	--	--	--	--	--	2	--	2
		1999	1	1	--	1	--	1	--	--	--	2	1	1
		2000	3	1	2	1	1	--	--	--	--	4	2	2
		2001	3	1	2	1	--	1	--	--	--	4	1	3
		2002	1	1	--	2	1	1	--	--	--	3	2	1
		2003	3	3	--	--	--	--	--	--	--	3	3	--

2005 का प्रतिवेदन संख्या 2

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			जोड़		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
10.	गृह मामले	2000	2	--	2	--	--	--	--	--	--	2	--	2
		2001	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
		2002	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2003	3	2	1	--	--	--	--	--	--	3	2	1
11.	मानव संसाधन विकास (प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)	2000	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2001	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग	1999	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2001	--	--	--	5	--	5	--	--	--	5	--	5
		2002	--	--	--	3	3	--	--	--	--	3	3	--
	2003	4	4	--	7	7	--	--	--	--	11	11	--	
	महिला एवं बाल विकास विभाग	1999	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2002	--	--	--	1	--	1	--	--	--	1	--	1
		2003	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
12.	सूचना एवं प्रसारण	1997	2	--	2	--	--	--	--	--	--	2	--	2
		1998	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2000	3	--	3	--	--	--	--	--	--	3	--	3
		2001	5	1	4	--	--	--	--	--	--	5	1	4
		2002	1	--	1	9	5	4	--	--	--	10	5	5
		2003	1	1	--	4	4	--	--	--	--	5	5	--
13.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	2003	--	--	--	--	--	--	1	1	--	1	1	--

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			जोड़		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
14.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	2003	--	--	--	--	--	--	2	2	--	2	2	--
15.	श्रम	2000	--	--	--	3	--	3	--	--	--	3	--	3
		2001	--	--	--	1	--	1	--	--	--	1	--	1
		2002	--	--	--	2	1	1	--	--	--	2	1	1
16.	विधि एवं न्याय	2003	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
17.	ग्रामीण विकास	2002	2	2	--	--	--	--	--	--	--	2	2	--
18.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	2003	--	--	--	--	--	--	2	2	--	2	2	--
	अन्तर्िक्ष विभाग	2003	--	--	--	--	--	--	1	1	--	1	1	--
	परमाणु ऊर्जा विभाग	2003	--	--	--	--	--	--	1	1	--	1	1	--
19.	जहाजरानी	2001	--	--	--	1	1	--	--	--	--	1	1	--
		2002	--	--	--	3	3	--	--	--	--	3	3	--
		2003	--	--	--	15	14	1	--	--	--	15	14	1
20.	लघु उद्योग	2000	--	--	--	1	1	--	--	--	--	1	1	--
		2003	--	--	--	1	1	--	--	--	--	1	1	--
21.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1998	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2001	--	--	--	1	--	1	--	--	--	1	--	1
		2002	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
		2003	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
22.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	1997	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1
		2000	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	1

2005 का प्रतिवेदन संख्या 2

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			जोड़		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
23.	इस्पात	2003	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
24.	कपड़ा	2000	--	--	--	1	1	--	--	--	--	1	1	--
		2003	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
25.	पर्यटन	2001	1	--	1	1	1	--	--	--	--	2	1	1
		2003	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
26.	शहरी विकास	2002	--	--	--	2	2	--	--	--	--	2	2	--
		2003	2	2	--	3	3	--	--	--	--	5	5	--
27.	जल संसाधन	2003	2	2	--	--	--	--	--	--	--	2	2	--
28.	युवा मामले एवं खेलकूद	2003	1	1	--	--	--	--	--	--	--	1	1	--
जोड़			130	53	77	76	50	26	14	12	2	220	115	105

परिशिष्ट-III

(पैराग्राफ 20.2 देखें)

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(लाख रु. में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूंजी	निरुद्ध परिसम्पत्तियां (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल	मध्य पूंजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियाँ
कृषि मंत्रालय										
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	2002-03	3209.32	704.41	2000.64	(-) 1111.12	224.75	(-) 886.37	--	
2.	बर्फ और प्रशीतन संयंत्र, कोचीन	2002-03	188.51	100.27	71.93	(-) 102.38 (संचित हानि (-) 982.85)	22.62	शून्य	शून्य	
रक्षा मंत्रालय										
3.	केन्द्रीय भण्डार विभाग	2002-03	48.00	2780.87	2050.90	7266.36	7714.57	14980.93	26.22	
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय										
4.	पर्यावरण तथा वन विभाग, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1999-00	1443.83	162.11	1281.72	(-) 993.99	2147.31	(-) 993.99	(-) 4.20	
वित्त मंत्रालय										
5.	बैंक नोट प्रैस, देवास	2000-01	10745.45	4826.32	5919.14	शून्य	4315.33	4315.33	12.14	
6.	करंसी नोट प्रैस, नासिक रोड	2001-02	46381.48	33168.68	13269.27	837.76	5593.68	8554.18	16.94	
7.	सरकारी क्षारोद कार्यशाला, गाजीपुर	1998-99	137.82	24.50	39.35	(-)382.54	98.95	(-)283.59	-	
8.	सरकारी क्षारोद कार्यशाला, नीमच	1996-97	437.28	545.36	216.31	(+)428.34	52.47	480.82	109.95	
9.	सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	1998-99	234.10	103.44	75.96	(+)5410.65	75.21	5485.86	875.34	
10.	सरकारी अफीम कारखाना, नीमच	1996-97	338.70	294.15	41.76	(+) 5457.64	5.78	5463.42	88.22	
11.	भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	2001-02	42765.49	312.05 1693.62	602.46 179.78	(-) 2624.30	5200.92	उ.न.	उ.न.	
12.	भारत सरकार टकसाल, कोलकाता	2001-02	479.46	5915.18	933.63	(+)6195.36	58.21	(+)6253.57	-	
13.	भारत सरकार टकसाल, मुंबई	1998-99	32364.04	4592.79	1397.64	(+)12489.53	5258.25	17747.78	-	

2005 का प्रतिवेदन संख्या 2

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूंजी	निरूद्ध परिसम्पत्तियां (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल	मध्य पूंजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियाँ
14.	भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक रोड	2000-01	51443.95	4237.30	3206.50	(-) 4753.28	4542.22	(-) 211.05	(-) 0.56	
15.	भारत सरकार टकसाल, नोएडा	1997-98	2538.17	1672.86	631.44	1546.59	324.62	1871.21	576.43%	वर्ष 96-97 और 97-98 के प्रोफोर्मा लेखाओं का सत्यापन नहीं किया गया है। भा.स.टकसाल, नोएडा को इस कार्यालय द्वारा लेखाओं में इंगित की गई अनियमितताओं अर्थात् स्थाई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास आदि का सुधार करने के लिए कहा गया है।
16.	सिक्वोरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	1999-00	7758.40	3205.44	4834.73	(-) 928.50	शून्य	(-) 928.50	-	
17.	सुरक्षा मुद्रणालय, हैदराबाद	1999-00	1947.00	938.00	1031.00	(+) 24.00	304.00	328.00	-	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय										
18.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2002-03	709.84	122.40	70.14	(-) 10.90	170.78	606.88	39.26	
19.	चिकित्सा भण्डार डिपो	2001-02	3224.27	87.41	26.62	(-) 473.38	46.97	147.73	-	आंकड़ों में एम.एस.डी. चेन्नई और गुवाहटी के परिणाम शामिल नहीं हैं क्योंकि ये सिर्फ वर्ष 2000-01 के लिए ही उपलब्ध थे।
20.	केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का वनस्पति उद्यान, कनके, संची	2003-04	0.31	0.23	0.00182	(+) 0.262	0.142	0.633	64.13	
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय										
21.	आकाशवाणी	1982-83	8325.15	5227.06	3098.09	(-)3121.89	409.64	(-)2712.25	-	
22.	वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, आकाशवाणी	1983-84	251.28	178.71	72.57	(+) 1071.47	-	(+) 1071.47	-	
23.	वाणिज्यिक बिक्री सेवा, दूरदर्शन, नई दिल्ली	1976-77	-	0.14	-	(+) 57.62	-	(+) 57.62	-	

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूंजी	निरूद्ध परिसम्पत्तियां (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल	मध्य पूंजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियाँ
24.	महानिदेशक दूरदर्शन, नई दिल्ली	1976-77	2545.61	2026.43	519.18	(-) 575.45	117.88	(-) 457.57	-	वर्ष 1982-83 तक के प्रोफोर्मा लेखे प्राप्त कर लिए गए हैं परन्तु वित्तीय परिणाम उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं।
25.	फिल्म प्रभाग, मुम्बई	2000-01	3553.20	3544.43	1828.56	(-) 764.45	413.20	-	-	
26.	रेडियो प्रकाशन, आकाशवाणी	1985-86	639.64	0.45	0.11	(-) 48.58	0.90	(-) 48.49	-	
विद्युत मंत्रालय										
27.	बदरपुर धर्मल पॉवर स्टेशन, नई दिल्ली	2002-03	42673.30	13148.30	27915.52	6598.92	2105.10	8704.02	20.48	
28.	विद्युत विभाग, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2001-02	17926.41	15464.33	2015.55	(-)55167.01	1718.91	(-) 8694.07	(-) 61.40	
29.	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	2002-03	3123.21	1852.18	1271.03	(-) 1453.43	270.86	(-) 1724.29	-	
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय										
30.	चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम	2001-02	6531.85	3023.96	758.76	(-) 641.27	306.75	(-) 334.52	(-) 5.12	
31.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर	2000-01	1200.23	231.14	969.08	(-) 820.26	83.60	(-) 736.66	शून्य	
जहाजरानी मंत्रालय										
32.	नौका सेवा, अण्डमान	2001-02	6759.91	6759.91	3693.62	(-) 4097.12	2053.16	(-) 2043.96	(-) 12.00	
33.	प्रकाशस्तम्भ तथा दीपपोत विभाग	2001-02	12602.00	13299.00	5051.00	4678.00	190.00	5716.00	17.19	माँगे गये आगे के विवरण अभी प्रतीक्षित हैं।
34.	समुद्री विभाग (नौकाघाट) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2001-02	266.70	266.70	40.29	(-) 3415.49	142.63	(-) 3272.86	(-) 278.58	2002-03 के आगे की जानकारी मांगी गई थी परन्तु अभी प्रतीक्षित थी।

2005 का प्रतिवेदन संख्या 2

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूंजी	निरूद्ध परिसम्पत्तियां (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल	मध्य पूंजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियाँ
35.	जहाजरानी विभाग, (नौकाघाट) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	1972-73	43.50	56.80	7.89	(-) 80.15	4.47	(-) 75.68	-	1973-74 के आगे की जानकारी मांगी गई थी परन्तु अभी प्रतीक्षित थी।
शहरी विकास मंत्रालय										
36.	प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली	2000-01 और आगे	-	-	-	-	-	-	-	प्रकाशन विभाग प्रोफोर्मा लेखे के बजाए स्टोर लेखे बनाता है जिनकी लेखापरीक्षा वर्ष 1999-2000 तक की जा चुकी है। मंत्रालय ने नवम्बर 2001 में लेखा की पद्धति को वाणिज्यिक पद्धति में बदलने का निर्णय लिया था। विभाग द्वारा अभी तक पद्धति बदली नहीं गई थी।
37.	भारत सरकार मुद्रणालय	2002-03	999.51	-	61.72	-	49.94	-	-	भारत सरकार के मुद्रणालय "बिना लाभ एवं हानि" के आधार पर कार्य करते हैं। आंकड़ों में केवल दिल्ली के मुद्रणालयों के परिणाम सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट - IV

(पैराग्राफ 20.3 देखें)

2003-2004 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई /छोड़ी गई हानियों तथा अवसूली योग्य राशियों का विवरण

(लाख रुपये में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	बट्टे खाते में डाली गई एवं अवसूली योग्य राशियों का विवरण									
	प्रणाली की असफलता		उपेक्षा/धोखाधड़ी आदि		अन्य कारण		वसूली छोड़ना		अनुग्रहपूर्वक राशि का भुगतान	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
कृषि	-	-	-	-	12	41.51	-	-	-	-
परमाणु ऊर्जा	-	-	-	-	30	6.88	-	-	-	-
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड	-	-	-	-	51	49.37	7	5.72	1	7.30
वाणिज्य एवं उद्योग	-	-	-	-	-	-	1	0.12	-	-
रक्षा	-	-	-	-	3	3.16	-	-	-	-
वित्त	-	-	-	-	1	0.03	2	18857.07	-	-
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	23	51.00	13	7.00	46	419.00	-	-	-	-
शिक्षा निदेशालय (लक्षद्वीप)	-	-	1	0.39	-	-	-	-	-	-
डाक एवं दूरसंचार	6	0.32	11	1.83	11	4.28	2	0.82	135	2.13
लोक निर्माण विभाग	-	-	-	-	-	-	1	0.86	-	-
राष्ट्रपति सचिवालय	-	-	-	-	10	0.74	-	-	-	-
सड़क परिवहन और राजमार्ग	12	3.33	94	82.17	99	218.06	-	-	-	-
जहाजरानी	-	-	-	-	3	1.68	-	-	-	-
अन्तर्िक्ष	-	-	-	-	13	27.53	-	-	-	-
कपड़ा	-	-	-	-	-	-	2	3.52	-	-
जोड़	41	54.65	119	91.39	279	772.24	15	18868.11	136	9.43

परिशिष्ट - V

(पैराग्राफ 20.4 देखें)

ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर

क्र.सं	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफों की कुल संख्या	पैराग्राफों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफों का संदर्भ
1.	कृषि	01	01	1.1
2.	नागर विमानन	01	01	2.1
3.	वाणिज्य	02	01	3.2
4.	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	09	08	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11
5.	संस्कृति	01	01	5.1
6.	विदेश मामले	13	08	6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.7, 6.11, 6.12, 6.13
7.	वित्त	03	--	--
8.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	04	03	8.1, 8.2, 8.4
9.	गृह मामले	03	01	9.3
10.	मानव संसाधन विकास	04	--	--
11.	सूचना एवं प्रसारण	01	--	--
12.	श्रम	01	--	--
13.	विद्युत	01	--	--
14.	जहाजरानी	01	01	14.1
15.	पर्यटन	01	01	15.1
16.	जनजाति मामले	01	--	--
17.	शहरी विकास	05	04	17.1, 17.2, 17.3, 17.4
18.	युवा मामले एवं खेलकूद	01	--	--
19.	संघ शासित क्षेत्र जोड़	03	02	19.1, 19.3
		56	32	